खण्ड-165, अंक-5
गुरूवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(23 फरवरी, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 165 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २३ फरवरी, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम मुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
बलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री

राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामग्रधीन सिंह यादव, श्री
रामग्रनन्त पाण्डेय, श्री
रामग्रवध सिंह, श्री
रामग्रासरे वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री

रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २३ फरवरी, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विलेज लेविल वर्कर्स की भर्ती में पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को उम्र में छूट देने की मांग

**१—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वी० एल० डब्लू० (विलेज लेविल वर्कर्स) की भर्ती के लिये पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को उम्र की कोई छूट दी गई है? यदि नहीं तो क्यों?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी नहीं। इस प्रकार की छूट देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इन पिछड़ी जाति वालों को कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गई हैं जिनका यहां बारबार आश्वासन दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सारी सुविधायें तो बहुत से विभागों से सम्बन्ध रखती हैं। सब का वर्णन करना इसलिये सम्भव नहीं है। यदि नोटिस दी जाय तो उन सूचनाओं को इकट्ठा किया जा सकता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या एप्वाइन्टमेंट डिपार्टमेंट से कोई हिदायतें सुविधायें देने के बारे में इस विभाग को भी दी गई हैं?

श्री अध्यक्ष—वह इस सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं इसलिये यह पूरक प्रश्न उठता नहीं है। सूचना चाहने के बाद ऐसी कोई बात पूछी नहीं जा सकती।

माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को निर्धारित वेतन देने के लिये अनुदान में वृद्धि

**२—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या यह बात सही है कि माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के लिए निर्धारित अनिवार्य वेतन क्रमों को लागू करने में संस्थाओं के प्रबन्धकों को जो आर्थिक परेशानी है उसे दूर करने के लिये राज्य सरकार अपनी आर्थिक सहायता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—अनिवार्य वेतनक्रम में वार्षिक वेतन वृद्धियों के कुल व्यय पर शासन द्वारा १/४ के स्थान पर १/३ भाग की दर से अनुदान देने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

**३—श्री अनन्तस्वरूप सिंह—अगर हां, तो यह सहायता कब तक दी जा सकेगी और सरकार का इसमें कितना खर्च होगा?

डाक्टर सीताराम—लगभग ५ लाख रुपया।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या इस १० लाख की अनुदान की आज्ञा से समस्त राज्य के माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य रूप से यह वेतन क्रम लागू हो सकेगा?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो उनको इन्क्रीमेन्ट दिये जाते हैं उसको १/४ सरकार अब तक देती थी किन्तु इस साल १/३ दिया है।

हरगांव शुगर मिल, जिला सीतापुर के लिये गन्ने का भाव

**४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्टेशन रामकोट, जिला सीतापुर में जो गन्ना शुगर मिल, हरगांव के लिये खरीदा जाता है उस गन्ने की कीमत किसानों को प्रतिमन क्या मिलती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—स्टेशन रामकोट, जिला सीतापुर से हरगांव शुगर मिल के लिए खरीदे जाने वाले गन्ने की कीमत किसान को १ रु० ५ आने (एक रुपया पांच आना) प्रतिमन के हिसाब से मिलती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस केन्द्र में १ रुपया ७ आना मन भी नहीं दिया जाता ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१ रुपया ७ आना मन तो मिल गेट पर दिया जाता है।

तारांकित प्रश्न

गांव कादीपुर, जिला गाजीपुर की डकैती

*१—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर, थाना कासिमाबाद के गांव कादीपुर में जो माह अक्टूबर में डाका पड़ा था उसमें कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये और कौन-कौन सामान बरामद हुये हैं ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—ग्राम कादीपुर की डकैती के सम्बन्ध में कुल १४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

*२—श्री शिवपूजन राय—क्या उन डाकुओं द्वारा जो व्यक्ति मरे उनकी औरत और बच्चों को सहायता प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

श्री शिवपूजन राय—उन १४ व्यक्तियों के नाम और गांव क्या है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता कि इस तरह के मुकदमे से सम्बन्धित सबके नाम और गांव आप पूछें।

श्री शिवपूजन राय—गिरफ्तार व्यक्तियों के घर से कौन सा सामान बरामद हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह सारी तफसील तो जब मुकदमा चलेगा उस वक्त शहादत में आयेगी, इसलिये मेरा इस तफसील में जाना मुनासिब नहीं मालूम होता।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मरे हुये व्यक्तियों को भी सरकार की ओर से कोई सहायता दी जाती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों की सहायता के लिये शिफारिशें गवर्नमेंट के पास आई हैं और उन पर विचार हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डाके में कितने व्यक्ति मारे गये थे और उनकी सहायता के लिये क्या सिफारिशें आईं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सहायता के लिये तो अभी विचार हो रहा है इसलिये अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, और एक व्यक्ति उसमें मारा गया ?

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो एक व्यक्ति मारा गया है वह वही व्यक्ति है जिस पर डाका पड़ा था या वह था जो डाकुओं से रक्षा करते हुआ मारा गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—डाकुओं से रक्षा करता हुआ मारा गया।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो सामान बरामद हुआ वह क्या था ?

श्री अध्यक्ष---जवाब दे दिया गया कि वे बतलाना उचित नहीं समझते।

जल-विद्युत योजनाओं द्वारा मिलने वाली बिजली का प्रयोग

*३---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल-विद्युत योजनाओं से बिजली की कितनी उत्पत्ति होती है, और इसमें से कितनी सप्लाई किस-किस कार्य के लिये ---रोशनी, ट्यूबवेल, उद्योग-धंधे, कृषि आदि में होती है ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उद्योग धंधों में जो बिजली इस्तेमाल होती है उसमें से कितनी आटे की चक्कियों को दी जाती है और कितनी अन्य के लिये ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---उत्तर प्रदेश के जल-विद्युत-गृहों द्वारा १९५४-५५ में ग्रिड क्षेत्र में कुल मिला कर २१,१६,२४,४११ यूनिट जल-विद्युत उत्पन्न हुई, इसमें से २,९४,२१,२८४ यूनिट रोशनी पंखों तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिये; ७,६३,२७,९५० यूनिट ट्यूबवेल के लिये; ५,७३,२७,२८९ यूनिट उद्योग धंधों के लिए और १०,२७,५२८ यूनिट कृषि के लिये इस्तेमाल की गयी। उद्योग धंधों में इस्तेमाल हुई ५,७३,२७,२८९ यूनिट बिजली में से लगभग १,५४,४०,००० यूनिट बिजली आटा चक्कियों द्वारा इस्तेमाल । हुई और शेष बिजली अर्थात लगभग ४,१८,८७,२८९ यूनिट अन्य उद्योग धन्धों में प्रयुक्त हुई।

*४---श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस वर्ष में जल-विद्युत के लिये सरकार को कितने आवेदन-पत्र मिले और उनमें से कितने को बिजली मंजूर की गई ?

श्री धर्मसिंह---१९५५ में जल-विद्युत के लिये ७२,६९५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से ६२,८६७ आवेदन-पत्र स्वीकृत किये गये।

*५---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस बिजली के कनेक्शन के लिये जो कनेक्शन चार्जेज तथा जमानत मांगी जाती है उसका आधार क्या है ?

श्री धर्मसिंह---कनेक्शन चार्जेज तथा जमानत की रकम, बिजली की मिकदार और जिस स्थान पर बिजली चाहिये उसकी सप्लाई लाइन से दूरी के हिसाब से निर्धारित की जाती है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में जो सरकार ने नियम बनाये हुये हैं वह नियम जनसाधारण के सूचनार्थ बंटवाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---वैसे तो प्रेस इत्यादि में निकलता ही रहता है और अगर आवश्यकता पड़ी तो उस पर कार्यवाही कर ली जायगी।

*६-८---श्री रामसुन्दर पांडेय---[२२ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

नोट---तारांकित प्रश्न ३-५ श्री बलवन्तसिंह ने पूछे।

गवर्नमेंट फैक्टरी, बंगलौर से ट्रांसफार्मर्स खरीदने पर आपत्ति

*९—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि हाइडिल विभाग ने गवर्नमेंट फैक्टरी बंगलौर के बने हुए जो ट्रान्सफार्मर्स खरीदे थे उनका १२५ (के० बी० ए०) का फैक्टरी रेट ४,८३० रु० तथा १०० (के० बी० ए०) का ४,६७० था, परन्तु वे क्रमश: एजेन्ट द्वारा ५,५४४ और ५,६६८ रुपये की दर से खरीदे गये ?

श्री धर्मसिंह—विद्युत विभाग ने, अखबारों के जरिये विज्ञापन करके मुहरबन्द टेन्डर पा लेने के बाद सब से कम टेन्डर की गयी दरों पर ४ ट्रान्सफार्मर खरीदे थे जो कि गवर्नमेन्ट इलेक्ट्रीकल फैक्टरी, बंगलौर द्वारा निर्मित थे। १२५ के० बी० ए० के २ ट्रान्सफार्मर ५,५४४ रु० की दर से, तथा १०० के० बी० ए० के दो ट्रान्सफार्मर ५,६६८ रु० की दर से खरीदे गये थे। चूंकि गवर्नमेंट इलेक्ट्रीकल फैक्टरी बंगलौर ने कोई कोटेशन नहीं भेजा था, इसलिये उनको आर्डर देने या उनके फैक्टरी रेट जानने का सवाल पैदा नहीं होता है।

*१०—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या यह सही है कि हाइडल विभाग ने ३०-३५ लाख रुपये की कीमत के आर्डर्स एलेक्ट्रिकल मशीन्स कारपोरेशन, कानपुर को दिये जब कि उसका स्वयं अपना मूलधन दो या तीन लाख से अधिक नहीं है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—बंगलौर फैक्ट्री रेट्स जो मंगाये गये, जब एजेंट ने ५,५४४ का रेट दिया तो वह बंगलौर फैक्ट्री का रेट ४,८३० था और जिसका रेट एजेंट ने ५,६६८ रुपये दिया था उसके लिये बंगलौर फैक्ट्री का रेट ४,६७० रु० था। तो फिर सामान बंगलौर फैक्ट्री के रेट से क्यों नहीं खरीदा गया ?

श्री धर्मसिंह—कोटेशंस मंगाये गये तब बंगलौर फैक्ट्री के कोटेशंस नहीं आये थे। लिहाजा उन पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता था।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जो कोटेशंस मंगाये गये उनमें जब रेट इतने कम थे तो उससे पहले इन कोटेशंस से ज्यादा रेट पर इतना सामान क्यों खरीदा गया ?

श्री धर्मसिंह—सबसे कम रेट यही था जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया, इससे कम रेट किसी के नहीं थे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार बतलायेगी कि किसके टेंडर का रेट सबसे कम था और कितने टेंडर्स थे ?

श्री धर्मसिंह—२१ फर्म्स के करीब लोगों ने टेंडर दिये थे और सबसे कम रेट्स वही थे जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया है।

कानपुर जिले के विचाराधीन मुकदमों के निर्णय में देरी

*११—श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार को सूचना मिली है कि कानपुर जिले में मजिस्ट्रेटों की कमी के कारण अत्यधिक मुकदमें पेंडिंग पड़े रहते हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं।

श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र—क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि कुछ मुकदमे ढाई साल से चल रहे हैं, उनको पेशी होने की नौबत नहीं आती। कुछ लोग छः महीने से ऊपर जेल में बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष—आप सूचना स्वयं दे रहे हैं। यह प्रश्न नहीं है। आप प्रश्न पूछिये। "जी नहीं" यह उत्तर मिलने के बाद जो प्रश्न उठता है वही पूछिये आप।

श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे मुकदमे हैं जो ढाई साल या दो साल से ऊपर से चल रहे हैं, और उनका कोई निर्णय होने को नहीं आ रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इतने ब्योरे के लिये तो सूचना की जरूरत होगी। यह मैं बतला सकता हूं कि इस साल के आखिर में २ हजार ७ सौ १५ मुकदमे बाकी थे।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मुख्य मंत्री को यह विदित है कि कितने ही ऐसे मुकदमे हैं जिन में चार्जशीट दे दी गयी है और छः महीने से ऊपर से पड़े हुये हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इस समय कानपुर जिले में कुल कितने मैजिस्ट्रेट हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वहां तो सैंक्शंड स्ट्रेन्थ १८ है। दो और बढ़ा दिये गये हैं। २० वहां पहुंच गये हैं।

इंजीनियरिंग के कामों की कंटिंजेंसी कम करने के लिये केंद्रीय सरकार का आदेश

*१२—**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्रीय सरकार की ओर से आदेश आया है कि इंजीनियरिंग के कामों की कंटिंजेंसी कम कर दी जाय ? यदि हां, तो इस आदेश का पालन किस सीमा तक किया गया ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

केंद्रीय सरकार से सुझाव आया था। इंजीनियरिंग के कामों की कंटिंजेंसी पांच फीसदी से तीन फी सदी पहली अप्रैल, १९५४ से कर दी गई, जिसका पालन किया जा रहा है।

*१३—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग के कामों की कंटिंजेंसी १९५३-५४, ५४-५५ तथा ५५-५६ में कितने प्रतिशत घटाई गई और इससे कितने रुपये की बचत हुई ?

श्री धर्मसिंह—चूंकि कंटिंजेंसी के दर में पहिली अप्रैल, १९५४ से कटौती लागू की गई, इसलिये १९५३-५४ के कामों पर कोई असर नहीं पड़ा। १९५४-५५ के कामों की कंटिंजेंसी ५ फीसदी से ३ फीसदी करने से रेवेन्यू और कैपीटल हैंड्स में ९०,२४१ और ६,९३,१६० रुपये की बचत हुई। १९५५-५६ के बचत का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस साल का हिसाब अभी बन्द नहीं किया गया।

*१४—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में विद्युत विभाग के सु० इंजीनियरों को आदेश दिया गया था कि वे इंजीनियरिंग के कामों की कंटिंजेंसी को पांच प्रतिशत से तीन प्रतिशत कर दें ? यदि हां, तो इस आदेश की पूर्ति किस सीमा तक की गई ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, आदेश का पालन किया जा रहा है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कंटिंजेंसी से बचत पी० डब्लू० डी० में, सार्वजनिक निर्माण कार्य, और सिंचाई विभाग में क्या-क्या हुई ?

श्री अध्यक्ष—आप अलाहदा-अलाहदा विभाग के लिये पूछना चाहते हैं ?

श्री श्रीचन्द्र—जो कंटिंजेंसी की मद में ७ लाख ८३ हजार ४ सौ १ रु० दिखाया गया है वह विद्युत विभाग का है। मैं चाहता हूं कि कंटिंजेंसी से बचत सिंचाई विभाग और पी० डब्लू० डी० से क्या-क्या हुई ?

श्री धर्मसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर तीन प्रतिशत से एक प्रतिशत वर्तमान बजट में कंटिंजेंसी करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—इस तरह का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१५–१७—श्री सुरेंद्रदत्त बाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[२२ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

अमरोहा डाकखाने से जाली सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग जारी होने की पुलिस जांच

*१८—श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार को सूचना मिली है कि मुहकमा पोस्ट टेलीग्राफ, जिला मुरादाबाद ने अमरोहा म्युनिसिपल बोर्ड के खिलाफ जाली सर्टीफिकेट आफ पोस्टिंग हासिल करने के सिलसिले में तहकीकात पुलिस के हवाले कर दी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जांच से मालूम हुआ है कि अमरोहा डाकखाने से एक जाली Certificate of posting जारी हो जाने का मामला डाक तथा तार विभाग द्वारा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या सरकार को मालूम है कि यह जाली सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, अमरोहा ने हाँसिल किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—शिकायत इसी किस्म की आयी थी। लेकिन उस पर मैजिस्ट्रेट द्वारा जो जांच हुई और पुलिस ने भी जांच की, लेकिन यह सिद्ध नहीं हो सकता कि यह सर्टिफिकेट जाली था।

श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या सरकार यह बतलायेगी कि पुलिस की इनक्वायरी खत्म हो गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

नैनीताल जिले में वन विभाग के टोंग्या ग्रामों के काश्तकारों की मांग

*१९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास नैनीताल जिले में वन विभाग के टोंग्या (Tongya) ग्रामों के काश्तकारों की कुछ भूमि संबंधी मांगें आई हैं ? अगर हां, तो सरकार उक्त मांगों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी हां, मगर प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन सी मांगें आयीं हैं और इन मांगों में कौन-कौन सी मांगें विचाराधीन हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उनकी यह मांग है कि ये गांव जो हैं, जो जंगल के अन्दर हैं उन पर उनको ही मालिक बना दिया जाय, और यही विचाराधीन है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि माननीय वन मंत्री जी ने फैसला किया है कि स्वयं इन गांवों में मांगो के निरीक्षण हेतु जायंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार भविष्य में टोंग्या प्रणाली को अवैधानिक मानते हुये बन्द करने का इरादा रखती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मेरा जहां तक ख्याल है कि जब कि भूमि की इतनी कमी है तो यह तो काश्तकारों के लिये बड़े लाभ की चीज है। जंगल भी होते रहते हैं और खेती भी होती रहती है। तो मेरे ख्याल से यह तो अच्छी प्रणाली है।

रिहन्द बांध के पावर हाउस में प्रयोग की जाने वाली मशीनों की खरीद के लिये टेण्डर्स

*२०—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेणुका सरोवर (रिहन्द बांध) योजना के पावर हाउस में बैठाई जाने वाली मशीनों का specification हो गया है ? यदि हां, तो उसके अनुसार उक्त मशीनों का अनुमानित मूल्य क्या है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। रिहन्द बांध योजना के पावर हाउस में बैठाई जाने वाली मशीनों की विशेषिका (specification) तैयार हो गई है, तथा विभिन्न फर्मों से निविदा (tenders) मांगे गये हैं। जब तक कि निविदा (tenders) आ न जायं तब तक विशेषिका के अनुसार अनुमानित मूल्य नहीं बताया जा सकता।

*२१—श्री व्रजभूषण मिश्र (अनुपस्थित)—क्या उपर्युक्त सभी मशीनों के लिये आर्डर किसी फर्म को दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

*२२—श्री व्रजभूषण मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मशीनों को हमारे देश में पहुंचा देने की अवधि भी निर्धारित हो गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस योजना के संबंध में बैठाई जाने वाली मशीनों के लिये किन-किन फर्मों से टेंडर मांगे गये हैं ?

श्री धर्मसिंह—वह मेरे पास लिस्ट तो नहीं है, लेकिन जो टेंडर्स आये थे वह ४०,४१ के करीब फर्म्स के थे।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह टेंडर की कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह—वह तो जो १७ फरवरी है वह उसकी आखीरी तारीख थी, और उसके बाद ही दो चार दिन बाद शायद वह खोले गये होंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन टेंडर देने वालों में विदेशी कम्पनियां कितनी हैं और कौन-कौन-सी हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह करीब ४० कम्पनियों का सवाल उन्होंने बताया। तो इसमें से छांटने के लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप देख लें उसमें।

नोट—सारांकित प्रश्न २०-२२ श्री रामस्वरूप ने पूछे।

श्री वृजबिहारी मिश्र—(जिला आजमगढ़) क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ये टेंडर कब मांगे गये थे।

श्री धर्मसिंह—अब यह डेट तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आखीरी तारीख जैसा कि मैंने बतलाया १४ फरवरी थी।

श्री शिवनारायण—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि ये ४० कम्पनियां जिन्होंने अप्लाई किया है, ये सब स्वदेशी हैं या कोई विदेशी भी हैं ?

श्री धर्मसिंह—अब इसके लिये कह नहीं सकता। मेरे पास सूचना तो नहीं है।

घोड़ाखाल तथा भीमताल स्टेट के विशाल भवनों के प्रयोग के लिये सुझाव

*२३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि नैनीताल जिले में श्री रामपुर नवाब की घोड़ाखाल स्टेट, तथा श्री राजा जींद की भीमताल स्टेट के विशाल भवनों का समुचित उपयोग हो सकने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार भविष्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों में ट्रेनिंग कार्य हेतु इन भवनों को लेने के संबंध में विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल इन्हीं भवनों का नहीं बल्कि प्रदेश में ऐसे कई पुराने रईसों के मकान हैं जिनकी कि आर्थिक कारणों से या किन्हीं और कारणों से मरम्मत वगैरह नहीं हो रही है, और कोई उपयोग भी नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इन्फौर्मल तरीके से कोशिश की उनके मालिकों से दरयाफ्त करने की कि अगर वे सार्वजनिक कामों के लिये मुफ्त दे दें तो बहुत अच्छा है। अगर बेचने के लिये तैयार हों तो गवर्नमेंट लेना चाहती है। लेकिन जहां तक इन दोनों मकानों की बात है उन्होंने बताया कि न बेचने को तैयार हैं और न मुफ्त देने को। अगर कभी जरूरत हुई तो विचार किया जायगा कि प्रदेश में किन-किन मकानों को कानूनी तरीके पर ऐक्वायर किया जाय। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री को सूचना प्राप्त है कि विशेषतया जींद स्टेट में कई बार ट्रेनिंग कैम्प पहले भी खोले जा चुके हैं और इस सूबे में कई बिल्डिंग हैं जिनको राजा जींद ने पहले भी सार्वजनिक प्रयोग-हेतु दी हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनका अपनी तरफ से किसी सरकारी काम के लिये दे देना और उस मकान को ऐक्वायर कर लेना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है।

आजमगढ़ जिले में अमिला और सूरजपुर पुलिस चौकियों की अपनी इमारतें न होना

*२४—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि अमिला और सूरजपुर पुलिस चौकियों (जिला आजमगढ़) के पास अपनी इमारतें नहीं हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। इन पुलिस चौकियों के पास अपनी कोई इमारत नहीं है।

*२५—श्री झारखंडेराय—क्या यह सही है कि इस समय ये पुलिस चौकियां मुफ्त दी गई इमारतों में स्थित हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं।

*२६—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार इन पुलिस चौकियों को उनके लिये इमारतें बनवा कर ट्रांसफर करने की योजना पर विचार कर रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ये चौकियां गांव के बीचोबीच में स्थित हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—गांव में ही है। किस जगह पर हैं इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि गांव के बीचोबीच में होने के कारण कई बार गांव वालों से झगड़ा होते होते बचा है?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो इत्तला मेरे पास नहीं है। लेकिन यह इत्तला है कि कुछ जुर्म करने वाले लोगों से रक्षा होती है, और गांव वाले इन चौकियों के रहने से खुश हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मेरे प्रश्न को सूचना मानकर इन चौकियों को कम से कम गांव से बाहर बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो जांच के बाद ही कहा जा सकता है, जैसा मैंने पहले उत्तर दिया था।

फतेहपुर जिले में कानपुर से बिजली लाने के लिये कार्य

*२७—श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में कानपुर से बिजली ले जाने के लिये जो रुपया स्वीकृत हुआ है वह ३० मार्च तक खर्च हो जायेगा या नहीं?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

*२८—श्री अनन्तस्वरूप सिंह—अगर हां, तो उक्त काम कब से शुरू होगा और अगर शुरू हो गया है तो उसकी क्या प्रगति है?

श्री धर्मसिंह—शहर का सर्वे किया जा चुका है।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—सरकार क्या यह बताने की कृपा करेगी कि सर्वे का काम कब खत्म हुआ था और उसके बाद कोई काम किया गया कि नहीं?

श्री धर्मसिंह—सर्वे को खत्म हुये तो कुछ ही समय हुआ है। उसके बाद मैटीरिअल इत्यादि के लिये आर्डर्स वगैरह भेज दिये गये हैं। ज्यों ही वह आ जायेंगे वैसे ही कार्यवाही की जायेगी।

१ मई, १९५३ को कानपुर के मजदूरों की गैरहाजिरी के संबंध में यू० पी० इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल के फैसले के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडेराय जी ने भेजा है कि यू० पी० इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार उनका कहना यह है कि गत

[श्री अध्यक्ष]

१ मई, १९५३ को गैरहाजिरी के कारण, २९,००० कानपुर मजदूरों की नौकरी की कंटीनुइटी समाप्त किये जाने से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार हेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।

यह ट्रिब्यूनल की जो पद्धति है यह तो स्वीकृत पद्धति है, कानून की बात है । किसी ट्रिव्यूनल के फैसले के ऊपर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता जब तक कि उसके बाद कोई ऐसी परिस्थिति न बिगड़े, या कोई यकायक गड़बड़ न हो जाय, ऐसी बात जब तक नहीं होती तब तक सिर्फ फैसले की वजह से, कोई चीज अखबार में छप गई, और शायद मैंने भी आज ही उसे पढ़ा, उसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता । मैं इसको उचित नहीं समझता कि यह प्रश्न उठाया जा सकता है और इसकी आवश्यकता भी नहीं देखता हूं ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी द्वारा निजी स्पष्टीकरण देने के लिये प्रार्थना

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—मैं जनाब की खिदमत में एक चीज पेश करते हुये अर्ज करूंगा कि कल वजीरआला ने शाम को जबाव देते हुये—मुझे अफसोस है कि मैं उस वक्त यहां मौजूद नहीं था—कुछ अल्फाज मेरे मुताल्लिक कहे थे । उन्हीं के बारे में मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—उनकी स्पीच जो कार्यवाही में दर्ज है वह पढ़ ली आपने ?

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—जो अखबार में आयी है वह पढ़ी है ।

श्री अध्यक्ष—उसके ऊपर मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—वह चन्द ही अलफाज हैं ।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि मुख्य मंत्री जी ने वह बात कही या नहीं, वह आप पहले मेहरबानी करके देख लें, और किसी दूसरे रोज फिर उसके ऊपर पर्सनल एक्सप्लेनेशन आप दें । अखबार में कोई चीज छप गई उसके आधार पर मैं आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन की इजाजत नहीं दूंगा । पहले आप आफिस से दरियाफ्त कर लें । मैं दिखा दूंगा आपको दफ्तर में । फिर आपको मौका दूंगा । आज भी मौका मिल सकता है अगर आप उसको पहिले देख लें ।

१९५५-५६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद जारी होगा ।

***श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने आज इस सदन के सामने जो सप्लीमेंटरी बजट ११,३०,९१,४०० रुपये का रखा है उसके सिलसिले में मुझे चन्द शब्द कहने हैं । सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह इतना रुपया कहां से आयेगा । माननीय मन्त्री ने अपने एक्सप्लेनेशन में सब जगह यह बता रखा है कि हमारे पास सेविंग्स होंगी हर ग्रांट के अन्दर जिनमें से हम इस रुपये को खर्च करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी स यह भी जानना चाहूंगा कि आखिर वह हमें यह बतायें कि यह सेविंग्स कैसे होंगी ? इसका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो मतलब यह हुआ कि अगर किसी डिपार्टमेंट में इस कदर सेविंग्स हो जाय कि ११ करोड़ रुपये बच सकें और उनकी दूसरी मद में खर्च कर सकें तो मैं समझता हूं यह बजेटिंग ठीक नहीं है । इससे साफ यह जाहिर होता है कि जिस वक्त हमारे डिपार्टमेंट्स अपने बजेट्स फाइनेन्स डिपार्टमेंट भेजते हैं उस वक्त वे ठीक ठीक बजेटिंग नहीं करते हैं । वह जो कुछ भी प्रोग्राम साल भर के अन्दर चलते हैं उसका उन्हें अंदाजा नहीं है कि यह रुपया साल भर में खर्च हो सकेगा या नहीं । अगर उन्हें अन्दाजा नहीं है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट्स ने जो तरीका अख्तियार किया है कि अलग अलग स्कीमों के लिये माग लेते हैं और उन पर वह रुपया खर्च न करके नई स्कीमों पर वह रुपया खर्च करने की बात करते है, और जब तक अध्यक्ष महोदय हमें यह मालूम न हो सके कि जो स्कीम सदन से पास हुई थीं वह किन कारणों से नहीं चल सकीं और रुपया किन कारणों से उन पर खर्च नहीं हो सका, तब तक हम इस रुपये को जो मंत्री जी सदन से स्वीकार करवाना चाहते हैं, उसे हम स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं होंगे ।

हमारे सामने माननीय मंत्री जी ने सिर्फ इतना ही लिख दिया है कि इस ग्रांट से हमारे पास बचत है उसको हम रिएप्रोप्रियेट करके खर्च कर लेंगे । अध्यक्ष महोदय, जहां एक ग्रांट में छोटे सब-हैड्स होते हैं उनमें हमारे डिपार्टमेंट्स को अधिकार है कि एक सब-हैड्स से वह दूसरे सब हैड में रुपया खर्च कर सकते हैं । लेकिन एक ग्रांट से दूसरी ग्रांट में खर्च करने की बात होती है, या न्यू आइटम आफ ऐक्सपेंडीचर होता है तो उस पर सदन की मंजूरी लेना आवश्यक होता है । आज हमारे सामने सप्लीमेंटरी बजट पेश हुआ है उससे साफ जाहिर है कि हमारे पुराने बजट में से ११ करोड़ ३० लाख न सही, लेकिन १० करोड़ रुपया ऐसा है जो हम खर्च नहीं कर पाये हैं । हमारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स नहीं चली और रुपया बचत में पड़ा हुआ है और दूसरी स्कीमों पर आप खर्च करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इसका खुलासा नहीं करेंगे तो हमें तीन चार साल के बाद मालूम होगा जब कि हमारे ए० जी० के पास स्टेट के एकाउंट्स चले जायेंगे और ए० जी० की किताबों में दर्ज हो जायेंगे तब पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट में कौन सी सेविंग हुई और कितना ऐक्सेज हुआ । जब सदन के सामने सारी रिपोर्ट आयगी तब मालूम होगा । इसलिये हमें आशा है कि मंत्री जी बताने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि उनके सामने फिगर्स हैं और वह बतला सकते हैं कि इस ग्रांट में इतना रुपया खर्च हुआ है और इतनी बचत हुई है, जिसे हम खर्च कर सकते हैं । तो मंत्री जी एक आइडिया रख सकते हैं कि यह स्कीमें इन कारणों से नहीं चल सकीं इसलिये दूसरी स्कीमों पर हम खर्च करना चाहते हैं और कुछ खर्च भी कर दिया है । इसका कोई नक्शा इसमें नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, रुपया खर्च करना शुरू कर दिया गया है और बहुत सा खर्च हो चुका है । हमारे कांस्टीटयूशन के जरिये से जो कंटिजेन्सी फंड क्रियेट किया गया है जिसमें ५ करोड़ रुपया रखा हुआ है और गवर्नर महोदय को अख्तियार है कि अगर उनको खर्च करने की जरूरत आ पड़े तो वह कंटिजेन्सी फंड से उधार लेकर खर्च कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा इम्पार्टेन्ट स्कीम है जिसको लेजिस्लेचर से पास करने से पहले ही चलाना जरूरी समझते हैं तो वह रुपया ले सकते हैं । लेकिन इसके माने यह नहीं है कि बिना सदन के सामने अपनी स्कीम को रखे हुये, बिना लेजिस्लेचर की स्वीकृति लिये इस तरह से कंटिजेन्सी से रुपया निकाल लिया जाय और सदन के सामने सिर्फ रेग्यूलेराइज कराने के लिये रखा जाय । हमारी राय नहीं ली जा रही है और हम से पूछा नहीं जा रहा है । हमसे उन स्कीमों के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है । जब उन पर रुपया खर्च होने लगता है और करीब करीब सारा रुपया खर्च हो चुकता है तो इस सप्लीमेंटरी बजट को माननीय मंत्री जी यहां लाते हैं । तो अध्यक्ष महोदय, यह बजट यहां पहले आ जाना चाहिये था । उन स्कीम पर रुपया खर्च होने के पहले ही मैं समझता हूं कि यह बजट यहां आना चाहिये । अब तो काफी देर हो चुकी है और सरकार की तरफ से साथ ही यह हिदायत भी कर दी गई है कि २५ मार्च के बाद पेमेंट बन्द कर दिया जाय ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—प्वाइंट आफ आर्डर । क्या यह समझा जाय कि सामान्य विवाद आरम्भ हो गया ?

श्री अध्यक्ष—जी हां ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इन स्कीम्स पर भी रुपया खर्च नहीं हो पायेगा क्योंकि थोड़े ही दिन हमारे पास हैं । अगले साल का बजट हमारे सामने कल ही पेश होने वाला है, और उसमें हमें मालूम होगा कि अगले साल के लिये क्या क्या कार्यवाही करेंगे और क्या क्या स्कीम्स अगले साल चलेंगी ? लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह सप्लीमेंटरी बजट इतनी देर में क्यों लाया गया ? अगर सरकार का सिर्फ यही मंशा है कि जो रुपया भी हमने खर्च कर दिया उसको सिर्फ रेगुलराइज करने के लिये, जिस प्रकार से एक्सेस ग्रान्ट के लिये सरकार सामने आती है उसी प्रकार का यह सप्लीमेंटरी बजट हमारे सामने आये और कहे कि हमने यह रुपया खर्च कर दिया, इसको मंजूर कर दीजिये तब तो ठीक है । माननीय मंत्री जी कहेंगे कि रुपया बचा हुआ था, उसको हमने दूसरे विभागों में खर्च कर दिया । देश में ही, उसकी उन्नति में ही यह रुपया खर्च हुआ है । अगर इस तरह की बात को हम स्वीकार कर लें तो लेजिस्लेचर की आवश्यकता ही नहीं है । थोड़े से डिपार्टमेंट के सेक्रेटीज बैठ जायं और वह जिस तरह से चाहें रुपया खर्च कर लें । आखिर वह सब देश के काम में ही, देश की खातिर ही खर्च होगा, चाहे बुरी तरह से हो या अच्छी तरह से । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि सप्लीमेंटरी बजट जो हमारे सामने रखा जाय वह खर्च करने के पहले ही रखा जाना चाहिये ताकि हम उन मदों पर विचार कर सकें और आज तो मैं यही कहूंगा कि यह स्कीम्स चला दी गई है इसलिये हमको जरूर इनको मंजूर ही कर लेना चाहिये ।

अब अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती कि जिनसे हमारी समस्यायें, प्रदेश की समस्यायें, जैसे बेकारी की समस्या या और दूसरी चीजें है अगर उनको हल किया गया होता तब तो ठीक था, लेकिन इससे कुछ साफ जाहिर नहीं होता । इसके पहले कि मैं कुछ और बातों पर कहूं, हमारे माननीय सिंचाई मंत्री यहां पर बैठे हुये हैं, वह कहीं चले न जायं इसलिये एक बात कह देना चाहता हूं । हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी भी यहीं हैं । हमारे प्रदेश में इन्सानों की जो सबसे पहली जरूरत है और मैं समझता हूं कि खाने के भी पहले जिसकी आवश्यकता है वह पानी की, पीने के पानी की । मैं जब कभी सुनता हूं अपने सिंचाई मंत्री की या स्वास्थ्य मंत्री की बात को कि हमने पानी की नहरें बना दी हैं, हमने पानी की यह व्यवस्था कर दी है, वह कर दी है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं यह कहने के लिये आज तैयार हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर सिंचाई का काम बहुत हुआ है । इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं । पर यह कहते हुये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कि आज इस प्रदेश के अंदर लाखों आदमी ऐसे हैं कि जिन्हें आज पीने को पानी तक नहीं मिलता है, क्या यह जरूरियात हमारी पूरी नहीं होनी चाहिये ? मुझे दुख इस बात का है कि हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स है उसमें वह ५० लाख रुपया खर्च नहीं होने पा रहा है और वह लैप्स होने जा रहा है । हमारे पब्लिक हैल्थ के डिपार्टमेंट के पास इतना स्टाफ नहीं है कि रूरल एरियाज की पानी पीन की स्कीम्स को चला सकें । उनके काम करने वाले शहरों में, म्युनिसिपैलिटीज में नोटीफ़ाइड एरियाज में ही काम करते हैं । आखिर में फैसला इस बात का हुआ कि माननीय सिंचाई मंत्री को यह भार सौंपा जाय कि रूरल वाटर वर्क्स स्कीम्स को सिंचाई विभाग से चलावें । आज हमारे यहां लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी पीने के लिये नहीं मिलता है गर्मी में, और न नहाने को मिलता है ।

श्री अध्यक्ष—आम बजट भी आने वाला है, उसमें यह प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं । लेकिन अनुपूरक अनुदानों के सिलसिले में जो इसमें नीति बरती गई है उसके ऊपर ही आलोचना हो सकती है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं प्लानिंग में आपको दिखलाऊंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो लोकल डैवलपमेंट वर्क्स की ग्रान्ट आई है, १ करोड़ ५ लाख रुपये की, उस रुपये को अगर वे वाटर स्कीम्स में डाल दें तो लाखों आदमियों का भला हो सकता है। मुझे खुशी है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जब कभी हमारे यहां जाते हैं तो पानी के लिये कुछ कह जरूर देते हैं। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से क्या कहूं, मुझे शर्म आती है और उन्हें भी खुद शर्म आती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वह कुछ कर नहीं रहे हैं। मैंने भी एक स्कीम उनको दी थी। मैंने सुना है कि वह अपने विभाग के लोगों से कह देते हैं कि भाई बजट आ रहा है और उपाध्याय जी नाराज हो जावेंगे। यदि यह कह दिया जाय कि यह ५० लाख रुपया आगे खर्च कर दिया जायगा तो भी कुछ संतोष हो सकता है। हरिजनों के लिये जो पानी मिलेगा उसके लिये कहा जाता है कि ५० परसैन्ट हरिजन देंगे और ५० परसैन्ट सरकार देगी। वह हरिजन बेचारा कहां से ५० परसैन्ट लावेगा ? उसके पास पैसा नहीं है। आप सड़कें और नहरें बनवाते हैं, और टैक्स बाद को लेते हैं। मगर पीने के पानी के वास्ते पैसा पहले चाहते हैं। हमारे हरिजनों की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि पहले पैसा दे सकें। सरकार पहले प्रबन्ध कर दे तो जनता बाद में पैसा देने के लिये तैयार हो जायगी। लेकिन उनकी तो आंखें ही नहीं खुलती हैं। वह तो समझते हैं कि जो उन्होंने तय कर लिया है वह ठीक ही किया है और दूसरे तो बका ही करते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि जरा इधर ज्यादा ध्यान दें और रूरल वाटरवर्क्स की स्कीमों को पूरा करावें। अगर इसके लिये कन्टिजैन्सी से भी रुपया लिया जायगा तो हम देंगे यह सदन उसके लिये यह नहीं कहेगा कि यह रुपया मत लो। यह मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि इस ओर ध्यान दें क्योंकि शिक्षा में भी वाटर वर्क्स का काम आता है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी अवश्य इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

इस किताब भर में जहां जहां मैंने पढ़ा, इसमें देखा कि बेकारी की समस्या हल करने के लिये ये सारी चीजें की जा रही हैं। इंडस्ट्रीज के लिये हमारे इन्डस्ट्री मंत्री ने काफी रुपया हमसे मांगा है। तमाम स्कीमें, लैबर से लेकर जितनी हो सकती थीं, उनकी चर्चा इसमें है। वह कहते हैं कि यहां की बेकारी की समस्या बहुत हद तक दूर हो जायगी। कुछ तो ट्रेनिंग सेन्टर खुल रहे हैं। यह बेकारी की ऐसी समस्या है जिसे हमें सुलझाना ही पड़ेगा। खास कर पढ़े-लिखे नवयुवकों की बेकारी की समस्या को समय से हल नहीं किया गया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने हाल ही में पढ़ा कि अगली पंचवर्षीय योजना में कुछ एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज और खुलने वाले हैं। मैं तो कहूंगा कि उनकी आवश्यकता हमको नहीं है। एक बेरोजगार आदमी एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के आफिस में जाता है तो उसके नाम रजिस्टर होने में ही तीन दिन लग जाते हैं। सरकार का आदेश है कि एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज से ही सारी भरतियां की जावें। सारे दफ्तरों में लिखा है कि यहां भरती एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज से होती है। मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन हो रहा है और मैं कब तक न कहूं ? एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में भी नाम लिखाने के लिये पैसा देना होता है उस बेरोजगार आदमी को। यहां से मांग जाती है और एक्सचेन्ज वाले पैसा लेने की वजह से अपने लोगों के नाम भेज देते हैं जिनकी वहां जरूरत नहीं होती है। अगर हमको यहां ड्राइवर चाहिये तो वह टाइपिस्ट भेज देते हैं क्योंकि पैसा लेकर नाम भेजा जाता है। एक इम्तिहान तो एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में होता है और दूसरा डिपार्टमेन्ट में जाकर होता है। डिपार्टमेंट वालों की जरूरत के मुताबिक वह आदमी नहीं होता, इसलिये वह दूसरा मांगते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर अवश्य ध्यान दें। आपके डिपार्टमेंट में जो नौकरियां खाली होती हैं उनके लिये जो आदमी आते हैं अगर वे क्वालीफाइड हैं तो आप उन्हें रख लीजिये और आप इम्तिहान

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

लीजिये। वहां इम्तहान लेने की आवश्यकता नहीं है। भले ही हम यही कहेंगे कि अपने आदमी रख लिये गये, लेकिन इन बेकारों को दूसरी जगह जाकर पैसा देने की तो आवश्यकता नहीं रहेगी। यह बेकारी की समस्या सारे लखनऊ में है। इस सदन के माननीय सदस्यों के पास रोजाना, २,४ आदमी लखनऊ में नौकरी के लिये आते हैं। इसलिये हमारी मुसीबतें और ज्यादा हैं।

यह जो खर्चा होने वाला है उससे किस प्रकार हमारी बेकारी की समस्या हल होगी, यह सुझाव मैं माननीय नियोजन मंत्री जी को देना चाहता हूं। हर जिले में बेकार लोगों की लिस्ट बनाइये। हम माननीय सदस्य, अपने इलाके के प्रतिनिधि हैं और वहां की बेकारी दूर करना हमारा फर्ज है, और जितनी स्कीम्स हमारी हैं अथवा हो सकती हैं उनमें आउट पुट कम हो सकता है, पढ़े लिखों से काम कम हो सकता है, लेकिन जब आप मजदूरों को २ रुपया रोज देते हैं तो उनको डेढ़ रुपया दीजिये और उन कामों पर नवयुवकों को जो पढ़े लिखे हैं उनको रखिये। वे लोग तो आठ आना पर भी काम कर सकते हैं। जिलों में जितने भी रचनात्मक कार्य हो रहे हैं उनके ऊपर उनको रक्खा जाय। वहां पर उनको खाना दिया जाय, उनके रहने का इन्तजाम किया जाय, उनको वहीं पर सिनेमा दिखाया जाय, तो हमारे नवयुवक आठ आना या एक रुपया पर काम करने के लिये तैयार हो जायेंगे। अब इसी आर्मी में से आप जहां-जहां आपको आवश्यकता हो आदमी ले सकते हैं। उनके वहां के कामों को देख कर आप उनको दूसरे परमानेन्ट कामों पर लगाइये। आज तो हालत यह है कि २० स्थानों के लिये यहां से एडवर्टाईजमेंट निलकता है तो १,००० प्रार्थना-पत्र आते हैं। घरों से लोग खर्चा करके आते हैं लेकिन यहां पर तो सब सेट हो जाता है कि इतने आदमी रखने हैं और वही रख लिये जाते हैं और बाकी को कह दिया जाता है कि तुम अपने घर चले जाओ। अतः हमें इस समस्या पर विचार करना होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी तो इसको समझ सकते हैं क्योंकि वे राजनीति का विचार नहीं करते, लेकिन माननीय गुप्ता जी तो कहेंगे कि यह सोशलिस्ट पार्टी की स्कीम है उसको अलहैदा ही रक्खा जाय। लेकिन हम उनको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि जितने भी राज्य के रचनात्मक कार्य हैं उन सब में हम उनको सहायता करना चाहते हैं। अतः इस समय हमारे सामने जो समस्या आयी है उस पर हमें पूर्णरूप से विचार करना चाहिये और उसको सुलझाने की कोशिश करना चाहिये। मैं पी० एस० पी० की ओर से सरकार को इस बात का विश्वास दिला देना चाहता हूं कि वह इस समस्या को हल करने में कभी भी पीछे नहीं रहेगी। आप एक्सप्लाइट कीजिय· और हम आपका साथ देने को तैयार हैं लेकिन बेकारी की समस्या को टालने से कोई काम बनने वाला नहीं है। हमारे यहां जमीन है, जंगल है और पढ़े-लिखे नौजवान भी हैं जो बेकार हैं, वे भी हैं। जिस तरह से आप किसी सिपाही को वर्दी दे देते हैं तो वह वर्दी पहन कर ही अपने को बादशाह समझता है, और अगर उसकी वर्दी उतरवा ली जाती है तो वह इसमें अपनी इंसल्ट समझता है, तो इसी तरह से अगर आप इस प्रकार से उन नौजवानों को काम दे देंगे तो भी वे किसी हद तक संतुष्ट हो जायेंगे। मां बाप भी उनके परेशान हैं कि उनको कहां तक खर्चा दें? इसलिये उनको आप रचनात्मक कार्यों में लगायें, उनसे कड़ा काम करायें, आस-पास के लोगों को पढ़वाएं, शाम को खाना दे दीजिये, जांघिया और कमीज दे दीजिये, और इस प्रकार से जितने पढ़े-लिखे नौजवान हैं उनको काम पर लगा दीजिये। अपने जिले के लिये तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हूं। तो अगली पंचवर्षीय योजना में आप उनको काम पर लगा दीजिये। यह सबसे बड़ी समस्या आपके सामने है।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं आपसे कह दूं। वह यह है कि जिसका जिक्र माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में भी नहीं किया। वह रोड्स का प्रश्न है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह रोड्स बनती क्यों हैं जब कि हम उनका पूरा फायदा नहीं उठा सकते हैं? क्या हमारी सड़कें केवल इसलिये बनती हैं कि उन पर मोटरकार ही चलें या कि उनसे प्रदेश के सब लोग पूरा-पूरा फायदा उठायें। मुझे बड़ी खुशी है कि जब से माननीय मुख्य मंत्री

और यातायात मंत्री ने इस बारे में दिलचस्पी लेना आरम्भ किया है तब से बहुत से प्राइवेट आपरेटर्स को काम मिला है। उसके लिये हम उनके आभारी हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री इस बात पर भी विचार करें जो केन्द्रीय सरकार से कुछ संबंध रखती है। अगर आप अपने प्रान्त का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिये ट्रांसपोर्ट एक महत्वपूर्ण साधन है, तथा उसके लिये सड़कों का होना बहुत आवश्यक है। बिना सड़कों के ट्रांसपोर्ट का काम नहीं चल सकता। अब लखनऊ से इलाहाबाद, कानपुर से इलाहाबाद, और इलाहाबाद से जो सड़कें बनारस जाती हैं, उन पर आज बसें नहीं चलतीं। और वह इसलिये नहीं चलाई जातीं कि रेलवे वाले नाराज हो जायेंगे क्योंकि उनका उस पर असर पड़ेगा। आखिर यह सड़कें किस लिए बनाई गई हैं, वह मौजूद हैं और अक्सर दिन भर कोई यातायात का साधन नहीं होने पर भी ट्रांसपोर्ट सर्विस न सरकार ही चलाती है और न प्राइवेट आपरेटर्स को ही चलाने दिया जाता है। या तो जिस तरह बम्बई में आधा-आधा घंटे पर सर्विस होती है वैसे ही यहां भी प्रबन्ध रेलवे करे, या फिर यह सरकार उसका इंतजाम इन सड़कों पर करे। यूरोप में तो रेलवे का इतना अच्छा इन्तजाम है कि आध घंटे पर रेलें चलती हैं और वहां पर तो सड़कों का जहां तक सम्बन्ध है उन पर गुड्स सर्विस को ही महत्व दिया जाता है। हमारे सूबे में, क्योंकि रेलवे में हमारा कोई हाथ नहीं है, इस लिए आवश्यकता है कि हमारे यहां यातायात बढ़े और उन सड़कों पर जहां सरकारी गाड़ियां नहीं चलतीं उन पर या तो सरकार अपनी गाड़ियां चलाये तब भी हमें खुशी है। लेकिन अगर वह नहीं चलाना चाहे तो प्राइवेट आपरेटर्स को ही चलाने दे। रोज ८-१० बसेज जैसे इलाहाबाद से लखनऊ का मार्ग है उस पर चलाई जा सकती हैं, दिन भर कोई वहां के लिए सड़क से यातायात का साधन नहीं है। जब सरकार की गाड़ियां भी नहीं चलतीं और दिन भर रेल से भी कोई प्रबन्ध नहीं है तो सरकार का क्या नुकसान है अगर लोगों को कुछ सुविधा इन सड़कों के जरिये से मिल सकती है।

कुछ ट्रांसपोर्ट की बात भी मैं अर्ज करूं। मंत्री जी ने कहा है कि हमारे एनफोर्समेंट स्क्वेड जो हैं और उनके जो अफसर होते हैं वह चालान वगैरा करते हैं, लेकिन वह कामयाब नहीं होने पाते और दूसरी तरफ से वकील लोग जाते हैं और सरकार के मुकदमे अक्सर खारिज हो जाते हैं। उसके लिए सरकार ने कुछ नई व्यवस्था की है कि हर जगह जैसे डिस्ट्रिक्ट पबलिक प्रासिक्यूटर होते हैं, उसी तरह से विभाग के केसेज के लिए इन्तजाम किया है। इसमें कोई एतराज नहीं है अगर कोई कानून के खिलाफ काम करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और इस तरह का इंतजाम होना ही चाहिए। लेकिन मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जब आप उनको कानून के खिलाफ काम करने पर सजा देने की बात करते हैं तो आप को कुछ उनकी भी सहूलियत का खयाल करना चाहिए और वह सहूलियत यह है कि जिस इलाके में वह जुर्म करते हैं उसी इलाके में उनके केसेज सुने जायं और यह न होना चाहिए कि कोई मेरठ का रहने वाला है और जुर्म मेरठ के इलाके में हुआ है तो उसका केस इलाहाबाद में हो। यह प्रथा अनिवार्य होना चाहिए कि जहां का मुकदमा हो वहीं पर मुकदमा सुना जाय ताकि जिसने कानून को न भी तोड़ा हो और उस परा मुकदमा चल जाय तो वह लोकल वकील वगैरा के जरिये अपने को बचा तो सके। इधर मैजिस्ट्रेट का इन्तजाम हुआ है लेकिन वह अनिवार्य होना चाहिए। यह कोई ज्यादा कहने की बात नहीं थी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी या यातायात मंत्री जी से कहता तो वैसे ही हो जाता, लेकिन केवल इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मंत्री जो अब ट्रान्सपोर्ट विभाग को काफी डेवलप करना चाहते हैं और हम भी हर तरह से उनकी सहायता करने को तैयार हैं कि उसका विकास हो, और स्टेट का यह ट्रांसपोर्ट उत्तम होना ही चाहिए और हमारे यहां किसी तरह की कमी किसी और स्टेट के ट्रांसपोर्ट विभाग से कोई कमी न होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक हमारे जंगलात का प्रश्न है। जंगलात के लिए हम से काफी रुपया मांगा गया है और कहा गया है कि इससे हमारा काफी रोजगार बढ़ेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां यह जंगल है वहां जितना ज्यादा कटिंग होगा वहां उतना ही

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

ज्यादा रोजगार और काम मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्री जी ने इस बात को दिखलाया है कि हमारी फारेस्ट प्रोड्यूस से बड़ी इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज दोनों ही बढ़ सकती हैं। उन्होंने उसके लिए रुपया मांगा है और मैं समझता हूं कि यह बड़ा अच्छा विकास का कार्य है, और मैं समझता हूं कि इससे काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जिससे हमारी वेल्थ बढ़ती हो अगर उसके लिये कोई रुपया मांगा जाय तो वह अवश्य मिलना चाहिये। प्लान्टेशन के लिये रुपया मांगा गया है लेकिन अगर कहीं बड़ी इंडस्ट्रीज खुलने से जो लोग इन कामों को करते हैं वे बेकार न हो जायं। मैं इंस्टांस देना चाहता हूं कि खैर की लकड़ी होती है उससे कत्था बनता है, उसकी मांग बड़ी भारी है। उसके काम करने वाले पूर्वी जिले के हजारों लोग हैं और यहां के भी हजारों लोग तराई के मैदानों में आ जाते हैं। अगर बड़ी इंडस्ट्रीज कायम करके उनके रोजगार को छीनना चाहते हैं तब तो यह बड़ा भारी अन्याय उनके साथ है। मैं प्रार्थना करूंगा कि कोई बड़े उद्योग धंधे इस चीज के लिये न खुलें। छोटों से काम चल जाय, और लोगों को उनसे रोजगार मिलता हो तो वे ही खोले जायं। अगर लोगों को रियायतें देना ही चाहते हैं तो वह कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिये से देना चाहिये जिससे वह फायदा सारे समाज को मिले। कोआपरेटिव सोसाइटीज भी उन्हीं की, फारेस्ट भी उन्हीं के, रुपया देने वाला विभाग भी उन्हीं का। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो खैर की इंडस्ट्री कायम की जाने वाली है उसका क्या इंतजाम होगा इस पर वे विचार करें। सरकार को कोई फायदा हो तब तो ठीक है, और नहीं है तो रियायतें देकर हजारों आदमी बेकार कर देना कहां तक उचित होगा, यह सोचने की बात है।

पारसाल बजट के सिलसिले में काफी चर्चा पुलिस के अत्याचार के सिलसिले में हुई थी। मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस के भ्रष्टाचार को, उसकी ज्यादतियों को रोकने के लिये एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस कम्प्लेंट्स के मातहत एक ऐसा महकमा खोला गया है। उसका एक डी० आई० जी० भी होगा जो सारा काम करायेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि अब तक हमें पुलिस वालों पर विश्वास नहीं है। न वह हमें भाई समझते हैं और न हम उन्हें। न मालूम कितना समय लगेगा जब दोनों यह समझें कि हम एक ही देश के हैं। वह समझें कि हमें जुल्म और ज्यादती नहीं करनी चाहिये और हम भी यह समझें कि वे हमारे भाई हैं। लेकिन जब तक जुल्म की उनके अन्दर भावना है तब तक हमारी भी यह भावना रहेगी। इसके बजट में जो एक्सेप्शन लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि हर थाने की छोटी मोटी शिकायतें जो होंगी उनकी मुकम्मिल जांच हुआ करेगी और इन्हीं के जरिये हुआ करेगी। तो हमारे डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस कम्पलेन्ट्स का काम बड़ा भारी है और अगर ये पुलिस की ज्यादतियों को हटा सकने में कामयाब होते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी और इससे कोई अच्छी बात नहीं होगी। हम शिकायतें नहीं करना चाहते। हमारे आजमगढ़ के रामसुन्दर जी पांडेय और पूर्वी जिले के भाई ही शिकायत किया करते हैं। हम तो पहाड़ के रहने वाले हैं, वहां पुलिस की ज्यादतियां नहीं है, पटवारी लोग हैं जो छोटी मोटी ज्यादतियां किया करते हैं। उनका इलाज हम वहीं कर लेते हैं और वह आगे नहीं पढ़ पाती। फिर भी मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक कदम उठाया है और उन्होंने एक डी० एस० पी० को मुकर्रर कर दिया है। यह नहीं कि हम उस की मुखालिफत करने लगें कि यह क्या करेगा। हमें ट्रायल लेना चाहिये ताकि इसी साल जब बजट आये--पुलिस का विभाग आखिर में ही रक्खा गया है--उस दिन हमारे एम० एल० एज० और पुलिस का रुख कुछ बदला हो तो उसे हाउस के सामने लावें, अगर न हुआ हो तो भी लावें, ताकि पुलिस की ज्यादतियां बन्द हों।

(एक सदस्य--आप अपने यहां का बतलावें)

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मैं तो सारे प्रांत की ओर से बोल रहा हूं। हमारे यहां

तो पुलिस ही नहीं है। यह तो सारे प्रदेश का मामला है, हमारे पास सारा मसाला तैयार रक्खा है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी का यह प्रयास सफल हो ताकि हमारे प्रदेश से जो पुलिस की ज्यादती व जुल्म होता था वह इस प्रदेश से दूर हो सके और इसके लिये हम सब लोग मिल कर कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि हमारा दिल व भावना साफ रहे तो हम इसमें कामयाब हो जायेंगे, अगर पुलिस वाले भी इसमें हमारी सहायता करेंगे तो।

अध्यक्ष महोदय, मेडिकल और पब्लिक हेल्थ के बारे में क्या कहूं। अफसोस तो इसी बात का है कि प्लानिंग के भी मंत्री वही हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल नहीं कि प्लान्ड तरीके से किया जाय। अध्यक्ष महोदय, आखिर हम भी इंसान हैं। हमारे यहां भी लोग बीमार पड़ते हैं। माननीय मंत्री उधर भी एक आयुर्वेद का ही अस्पताल खुलवा देते। मेरे जिले में एक कांस्टीट्युएंसी के अन्दर ही सारे अस्पताल भी हैं, सारे एन० ई० एस० ब्लाक्स भी हैं, डाकखाने भी हैं। मैं खुश हूं। मुझे मलाल नहीं है, लेकिन श्रीमन्, हमारे यहां भी कुछ दवा दारू का, चूर्ण वगैरह का इन्तजाम हो जाता। यह कहा गया कि रानीखेत में एक अस्पताल खोल दिया गया है, लेकिन वह तो पहले ही खोल दिया गया था, मेरे आने से पहले ही खोल दिया गया था। शहरों के अन्दर मिलिटरी अस्पताल और भी होते हैं, लेकिन गांव के अन्दर अगर दवायें नहीं मिलतीं तो बड़ी मुश्किल होती है। जहां तक स्वास्थ्य का ताल्लुक है केवल शहरों को ही रुपया न दिया जाय। माननीय मंत्री जी प्रदेश के हर इलाके के मंत्री हैं, केवल कांग्रेस वालों के ही मंत्री नहीं हैं, हमारे भी मंत्री हैं। वे भले ही हमें अपना विरोधी समझें।

एक सदस्य---आपके भी मंत्री हैं ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय---हां मेरे भी मंत्री हैं जैसे हम सबके एम० एल० एज० हैं। श्रीमन्, वहां जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल हैं, ६०० रुपये सालाना की दवा उनमें बांटी जाती है। ५० रुपये महीने का अंदाजा लगा लीजिये, इसमें क्या दवा मिलती होगी ? पानी पीने को भी न मिलता होगा। जब हम जेल के अन्दर थे तो वहां मिक्सचर नं० ६, ७ और ८ दिया जाता था (एक आवाज---तो आप जेल ही चले जाइये।) अफसोस तो यही है कि वहां भी नहीं भेजा जाता। पब्लिक हेल्थ एंड वाटर वर्क्स भी उन्हीं के मातहत है। ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स ही चलावें, इससे भी लोगों का काफी भला होगा। कमलापति जी तो करेंगे ही। अगर माननीय मंत्री जी ने भी कुछ किया तो मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ फायदा मेरे इस कथन से हमारे प्रदेश के लोगों को होगा।

अध्यक्ष महोदय, कुछ बिजली की बात है। मेरी एक आदत है कि जब किसी चीज में मैं खराबी देखता हूं तो उसका खूब विरोध करता हूं। जो कुछ मेरे दिल में भावना आती है उसको बाहर निकालता हूं लेकिन अगर कोई अच्छी चीज देखता हूं तो उसके बारे में भी कहे बगैर नहीं रहता। मैंने यह देखा, हमारे इंजीनियरिंग विभाग के लोग---म यह नहीं कहता कि वह रुपया किस तरह से खर्चकर रहे हैं---पर उन लोगों ने जिस मेहनत के साथ काम किया है, जो लोग हमारे पहाड़ों की तरफ जायंगे, वह देखेंगे, तमाम रास्ते पर उन्होंने पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ कर, अपनी जान को खतरे में डाल कर कार्य किया है। वह उनकी मेहनत सराहनीय है। उन्होंने काम किया, लेकिन साथ ही अध्यक्ष महोदय, उस बिजली का फायदा हमारे देहात वाले कैसे उठा सकते हैं ? हमारी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि हम गांवों के अन्दर झोपड़ियों में बिजली के बल्ब लगा सकें। हमारे पास पैसा नहीं है। पर हम सरकार से यह अवश्य चाहते हैं कि हमारे गांवों की समस्यायें जो हैं, जिन साधनों की गांवों में आवश्यकता है उनको पूरा किया जाय। हम मोमबत्ती जला कर रह सकते हैं, हम कड़ुवे तेल का दिया जला कर रह सकते हैं। लेकिन जो हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, पीने का पानी मिले, उद्योग धंधे बढ़ाये जायं, बेकारी की समस्या हल हो, सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाय। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी हमारी ओर भी ध्यान देंगे। बिजली विभाग वाले हमसे पूछते हैं कि

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

बिजली जलाने में आप का कितना खर्च होगा ? बिजली घर में जलाते हैं तो खर्चा कुछ होगा ही नहीं ! न हमारे पास फिटिंग करवाने के लिए पैसा है न कोई साधन हैं। मैं इसलिए प्रार्थना करूंगा कि बिजली वहां दी जाय जहां लैम्प जलाने के लिए बिजली की आवश्यकता न हो, बल्कि और चीजों के लिए आवश्यकता हो। सिंचाई के साधन पैदा करने के लिए, पीने के लिए पानी की आवश्यकता हो, ग्राम उद्योगों के लिए आवश्यकता हो, वहां पर बिजली पहुंचायी जाय। तब गांव वाले समझेंगे कि सरकार ने कुछ किया है। शहरों में बिजली पहुंचाने से कोई काम बनने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में भी कुछ थोड़ा सा पैसा मांगा है, ढाई हजार रुपया मांगा है। अगर मुझे किसी बात का दुख है तो वह कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में है। ऐसा बोगस डिपार्टमेंट शायद ही कोई प्रदेश में हो। माननीय वित्त मंत्री जी पता नहीं ध्यान देते हैं या नहीं ? ढाई हजार रुपया कंट्रीब्युशन मांगा है। कहते हैं कि चूंकि हमारी बैंक का इंटरेस्ट का रेट बहुत कम हो गया है इसलिए हम रुपया नहीं दे सकते और ढाई हजार रुपया सरकार दे दे। इस प्रांविशल कोआपरेटिव बैंक को इस साल पाँच लाख नफा हुआ है। जहां बैंक खोलना चाहिये वहां बैंक नहीं खोलते हैं। कोआपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्री करवाओ तो सैकड़ों अड़चनें लगा देते हैं। माननीय मंगला प्रसाद जी हैं नहीं, माननीय वित्त मंत्री जी से इस सिलसिले में बातचीत हो नहीं पायी। लेकिन माननीय मंगलाप्रसाद जी से काफी बातें कही गयीं। लेकिन उनके ऊपर कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के अफसर इस तरह से हावी हैं कि उनको एक कदम आगे बढ़ने नहीं देते हैं। मिनिस्ट्री में इस तरह रहने से फायदा क्या है, इस्तीफा दे देना चाहिये। अगर सरकारी कर्मचारी उनके मन के मुताबिक काम नहीं करते हैं, गलत बात नहीं है। ठीक बात कह रहे हैं, हमारी सारी बेसिस कोआपरेटिव पर है, हम कोआपरेटिव का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। फिर कौन सी ऐसी बात है कि डिपार्टमेंट हम पर हावी बन कर रहे ? हमें बैंक से क्या सहूलियतें मिलती हैं ? ढाई परसेंट पर गवर्नमेंट आफ इंडिया से उनको कर्जा मिलता है। लेकिन मांगते हैं ९ फीसदी। हम लोगों ने अभी एक सोसाइटी बनाने के लिये कर्जा मांगा तो हमसे कहते हैं कि १२ १/२ लेंगे। ढाई परसेंट पर गवर्नमेंट आफ इंडिया से लें और साढ़े १२ परसेंट पर दें। यह देश की सेवा करते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जरा इस कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ भी देखें। शेष फिर कभी इसके बारे में कहूंगा।

इंडस्ट्रीज के बारे में माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हर जिले में एक-एक इंडस्ट्री का इन्स्पक्टर रखा जाय। दो ग्रेड इंस्पेक्टर होंगे। एक असिस्टेंट डाइरेक्टर के रेंक का होगा और दूसरा डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर होगा। अगर बेकारों को रखने की बात है तो बड़ी खुशी की बात है पढ़े लिखे बेकारों को रखा जाय। लेकिन इंडस्ट्रीज का ऐसा सवाल है जिसमें टेक्नीकल आदमियों की आवश्यकता है, जो उनके बारे में जानते हैं, उन्हीं को रखने की आवश्यकता है। खाली दफ्तर में बैठे इससे कामकाज चलने वाला नहीं है। हमारी प्लानिंग कमेटीज के पास इंडस्ट्रीज की कोई चीज नहीं, उनके पास पैसा नहीं। प्लानिंग कमेटीज के लिये इंडस्ट्रीज का सवाल तो एक तरह से बिल्कुल ही बेकार है। अभी इन्स्पेक्टर साहब जायंगे, ये जाने क्या बतायेंगे ? अगर कोई टेक्नीकल आदमी हो, समझता हो इंडस्ट्रीज के बारे में, कुछ जानता हो तब तो ठीक और नहीं तो किसी राशनिंग डिपार्टमेंट वाले को रखना है तो दूसरी बात है। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे। अध्यक्ष महोदय, जिले के अन्दर तो हम लोग अफसरों के मारे परेशान हैं। एक कोआपरेटिव आफिसर होता है वह कहता है कि हम तुम्हारी सोसाइटी रजिस्टर करेंगे, इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वे कहते हैं कि तुम्हारी हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्टर करेंगे, करते धरते दोनों में से कोई नहीं। इंडस्ट्री वाला कहता है कि अगर कोआपरेटिव

के जरिये से रजिस्टर होंगे तो जो हम रुपया देते हैं वह हम तुमको नहीं देंगे क्योंकि तुम कोआपरेटिव के जरिये से रजिस्टर हुये हो और कोआपरेटिव वाला कहता है कि साहब यह तो इंडस्ट्री का मामला है हमारे यहां तो मल्टी परपजेज इंडस्ट्रीज के लिये मिलेगा। तो यह कन्फ्यूजन मेरी समझ में नहीं आया, और फिर रजिस्टर कराने में सैकड़ों तरह की झंझटें भी हैं। अब अध्यक्ष महोदय, यह हमारे जो नये इंस्पेक्टर होंगे अगर वे इंडस्ट्रीज का टेक्नीक समझते हैं तब तो बड़ी खुशी की बात है और मंत्री जी से मैं यह कहूंगा कि जिले में सी० ओ० होते हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता में कोई भी शेयर लेने के लिये तैयार नहीं है। रोज देखिये। तो कभी सी० ओ० साहब बैठे रहते हैं, कभी कोई और कहते हैं कि इधर खर्च नहीं कर सकते, उधर खर्च नहीं कर सकते। इनके ओडिट से तो हम लोग इतने परेशान हैं कि हमारे एकाउन्टेंट जनरल भी इतने परेशान न करते होंगे जितने ये कोआपरेटिव के आडिटर करते हैं। तो सारी चीज मौका है, हमको मौका मिलना चाहिये हम गलती कर सकते हैं, उससे सीखेंगे। परन्तु कुछ पालिसी तो होनी चाहिये। इसलिये मैं मंत्री जी को आगाह कर देना चाहता हूं कि यह जो ५१ इंसपेक्टर आप रखने वाले हैं, वे टेक्नीकल होने चाहिये। आपके इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में कितने जौइन्ट डायरेक्टर हैं, और कितने ही डिप्टी, क्या मंत्री जी बता सकते हैं कि ये सब क्या काम करते हैं ? कुछ नहीं। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हमारे प्रदेश में हो पाया है, सब बिल्कुल बोगस है। सैकड़ों चिट्ठियां लिखीं डिपार्टमेंट को कि हमारे यहां सैकड़ों जानवर मरते हैं, उनकी टेनिंग के लिये लोगों को कुछ रुपया दिया जाय, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक चिट्ठी लिखे हुये ६ महीने हो गये लेकिन जवाब नहीं आता है। इसलिये यह जो ५१ आदमी हमारे माननीय मंत्री जी रखने वाले हैं जिलों के अन्दर कुछ तो इंडस्ट्रीज की बात हमें कोई बताई जाय या हमारी सुनी जाय। मैं इसलिये विरोध कर रहा हूं कि हमको वे रास्ता बतायें जिससे हम अपनी बेरोजगारी दूर कर सकें इंडस्ट्रीज, काटेज इंडस्ट्रीज कायम करके। हमको सरकार से सहायता मिले, रिजर्व बैंक से सहायता मिले, कोआपरेटिव बैंक से सहायता मिले, पर यह होता नहीं।

मुझे इसकी भी बहुत खुशी है कि हमारी सीमेंट फैक्ट्री चुर्क के मजदूरों के लिये १० हजार रुपये की मांग है जो कि वहां डाइरेक्टर के डिसपोजल पर रखी जाय। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे प्रदेश में जो प्राइवेट एम-प्लायर्स हैं वे खराब हैं, लेकिन हमारी स्टेट को उससे खराब नहीं होना चाहिये मोडल एम-प्लायर्स हमको होना चाहिये। हमारे मजदूरों को सीमेंट के कारखाने के अन्दर किस तरह अपनी तन्दुरुस्ती को खराब करते हुये काम करना पड़ता है, और उनकी देखभाल के लिये जो कदम उठाया गया है, मैं समझता हूं यह बहुत उचित है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ रुपया इसमें पोलिटिकल पेंशंस के लिये है। वह एक ऐसा विषय है जिसमें हम सब लोगों पर उसका असर पड़ता है। मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन एक छोटी-सी शिकायत है। शिकायत उसे कहें, या चाहे और कुछ कहें, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर हैं, इसलिये मैं उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। वैसे जितनी पोलिटिकल पेंशन्स के लिये अर्जियां आ रही हैं। जैसा कि उन्होंने इस सदन के सामने कहा भी था कि चाहे कोई कांग्रेसी हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, अगर वह जेल गया हो और आज लाचार हो, तो उसको पैसा मिलना चाहिये, यह भावना माननीय मुख्य मंत्री जी की थी। लेकिन आज भी गांवों में जो बेवायें हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, जो लखनऊ नहीं आ सकतीं, उनका भी कोई ख्याल होगा ? कौन उनके बारे में कहेगा ? अगर हम कहें तो वह न जाने क्या बात सोचेंगे। हम तो चाहते थे कि हमारे यहां की कांग्रेस कमेटी जब लिस्ट बना रही थी, हमारे यहां के एम० एल० ए० जब नाम भेज रहे थे तो उन्हें यह भी देखना चाहिये

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

था कि उनके साथ ऐसे साथी भी रहे हैं जो आज मर गये हैं, जिनकी विधवायें होंगी, उनके बच्चे होंगे, उन्हें भी मदद पहुंचाने की बात होनी चाहिये। नहीं तो जो हट्टे कट्टे हैं, नवजवान हैं, काम कर सकते हैं, उनको पेंशन मिले और बुड्ढों, बेवाओं को पैसा न मिले तो हमें थोड़ा सा दुख होता है। मुझे आशा है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे साथियों में से कोई भी गलत नाम नहीं देगा लेकिन हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि जिन चीजों को हम आपके सामने पेश करें अगर वह जायज हों, उन्हें आप देखिये, एग्जामिन करा लीजिये और अगर वह जायज हों, तो उन्हें अवश्य कुछ न कुछ दिया जाय। इसलिये यह पेंशन का सवाल है, मैं मना कैसे कर सकता हूं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि उसमें कम से कम यह न हो कि पोलिटिकल पार्टीज के पेड एजेंट्स हो जायं। बुड्ढों को मिलना चाहिये, नवजवानों को नहीं मिलना चाहिये। तो यह जो रुपया मांगा गया है इसमें तो कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती।

शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये इसमें कुछ रुपया मांगा गया है। उनकी मदद तो होनी ही चाहिये। मैं तो यह कहता हूं कि बहुत कम उनके लिये हो रहा है। इसलिये उनके लिये जो रुपया मांगा गया है वह मंजूर होना ही चाहिये।

अब रहा अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग। प्लानिंग का, अध्यक्ष महोदय, कभी आपको इधर से गुजरने का मौका शायद न मिलता हो, जिधर पहले में फाइनेंस डिपार्टमेंट था नीचे के हिस्से में, नहीं तो आपको मालूम होता कि उस सारे हिस्से में प्लानिंग डिपार्टमेंट का दफ्तर भरा हुआ है। सेक्रेटरियट लेवेल पर, डेवलपमेंट कमिश्नर के लेविल पर, आज इतना सारा स्टाफ इस प्रदेश में बैठा हुआ है जिसकी जरूरत नहीं है और उसका कारण यह है कि प्लानिंग विकास, प्लानिंग विकास, नाम तो बहुत बड़ा है अध्यक्ष महोदय, लेकिन होता क्या है? ५० लाख रुपया तो लोकल डेवलपमेंट वर्क्स के लिये रखा है माननीय मंत्री जी ने। उसके बाद एन० ई० एस० ब्लाक्स, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, इन तीन के अलावा और किसी चीज से नियोजन से कोई मतलब नहीं। कोई कोआर्डिनेशन की बात है नहीं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर कोआर्डिनेशन जरूर है जहां कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के मातहत एनीमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट या और जितने डिपार्टमेंट्स वहां हैं वह हैं, लेकिन यहां हेडक्वार्टर पर तो इतने लोगों की जरूरत नहीं है। मैं यह कहता हूं कि अगर डेवलपमेंट करना है तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये। सरकार ने पालिसी निर्धारित की है कि कमिश्नर्स को भी डेवलपमेंट का वर्क सौंपा जाय। कमिश्नर्स के लेवेल पर डीसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर्स ये जितने हैं ये सब सारे सूबे में बंट जायं। वह सब कमिश्नर्स के अधीन रहें ताकि वह वहां के लोगों की तकलीफों को देख सकें और उनको बता सकें। बारह-बारह असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं। कुछ चीजें तो ऐसी अवश्य हैं जिनकी जरूरत है। वह यहां पर हेडक्वार्टर पर रहें। लेकिन जो बाकी और हैं वह जोन्स में बांट दिये जायं। जैसा कि नैनीताल के पास के कुछ जिलों के लिये नैनीताल में कर दिया गया है कि जहां हम अगर कोई जरूरत हो तो जा सकें और अगर हमें कोई सेंक्शन लेनी हो तो वह हम वहां से वह सेंक्शन ले सकें। यही बात झांसी के लिये भी है। लेकिन और भागों के लोगों को लखनऊ आना पड़ता है और उन्हें कितनी ही कठिनाई उठानी पड़ती है कि कहा जायं, किसके पास जायं, क्या करें। डेवलपमेंट वर्क के बारे में तो मुझे कहना नहीं है। लेकिन यह मैं जरूर माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर वह विचार करें। अगर यह डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया तो इससे बहुत सा काम कम हो जायगा। डेवलपमेंट वर्क में तो कोई रोक-टोक हो नहीं सकती। वह काम तो होना ही चाहिये।

कैपिटल आउट ले में हमने देखा जो खर्चे हो रहे हैं वह आउट साइड दि रेवेन्यूज हैं। कानपुर में सेंट्रल वर्कशाप के लिये कोई मशीनें वगैरह खरीदी जा रही हैं। ऐसा होता है कि

इस साल के लिये बजट में जो रुपया रखा हुआ हो वह इसी साल के अन्दर खर्च हो जाना चाहिये। लेकिन कभी दिक्कतें ऐसी पड़ जाती हैं कि फारेन फर्म से हमारा आर्डर होता है और थोड़ा एडवांस पेमेंट तो हम कर देते हैं लेकिन उसका पूरा पेमेंट तभी होता है जबकि मशीनें बाहर से आ जाती हैं और उस बीच में हमारा फनैन्शल इयर खत्म हो जाता है। इसलिये माननीय मंत्री जी ने इस साल कुछ मशीनें कानपुर सेंट्रल वर्कशाप के लिये आ रही थीं उसके लिये कहा है कि इतना रुपया हमने मंजूर किया था लेकिन उसमें से ८३ लाख रुपया खर्च हो रहा है और बाकी रुपया खर्च नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से और विभागीय अधिकारियों से यही कहना चाहता हूं कि यह तरीका अवश्य अख्तियार किया जाय। परसाल एक मशीन आने वाली थी जो कि विलायत से आती और चूंकि वह साल भर के अन्दर नहीं आयी इसलिये पहले वाला आर्डर कैंसिल समझा गया। तो इस किस्म की रकमों की स्वीकृति की अगर जरूरत हो तो हम उसको देने के लिये हमेशा तैयार हैं। डेवलपमेंट पर कितना रुपया खर्च किया जाय, मैं समझता हूं कि इस संबंध में सदन के सभी माननीय सदस्य उदार होंगे।

इंडस्ट्रीज के लिये कुछ रुपया देने की माननीय मंत्री जी ने बात कही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि वह रुपया किसको दिया जा रहा है तो मालूम होता है कि बड़ी-बड़ी फर्म्स को दिया जा रहा है। काटेज इंडस्ट्रीज वालों को भी तो आप कुछ लोन दीजिये, लेदर वालों को भी तो कुछ लोन दीजिये, टैनिंग डिपार्टमेंट का तो यह है कि ए-क्लास की टैनिंग वाली सोसायटी होगी तो २० हजार तक, बी-क्लास की होगी तो १० हजार तक लोन दिया जायगा। लेकिन उस पर भी यह और लगा दिया गया कि वह उन सोसाइटीज को न दे करके प्रांविशियल कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया जायगा ताकि वह रकम झंझट में पड़ी रहे और उससे कोई मदद न हो सके। इस प्रदेश का ७५ प्रतिशत बजट माननीय नियोजन मंत्री के पास है और माननीय नियोजन मंत्री के पास एनर्जी है, ताकत है, वे सब कुछ कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी चाहें तो इस प्रदेश का आगे ले जा सकते हैं और चाहें तो इस प्रदेश को खड्ड में भी डाल सकते हैं। हम माननीय मंत्री जी के प्रदेश को आगे जाने में साथ देने के लिये तैयार हैं लेकिन वे हमारा सहयोग लेने को तैयार ही नहीं हैं। मैं उन्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगर देश को ऊपर उठाना है, प्लानिंग करनी है, देश के अन्दर सोशलिस्ट--इक अब उड़ गया--पैटर्न कायम करना है तो कांस्ट्रक्टिव अपोजीशन को तोड़ने की कोशिश मत कीजिये, वर्ना देश खतरे में होगा, देश के अन्दर गलत अपोजीशन आ जायगा। कल माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि देश प्रेम हममें कोई कम नहीं है। हमने भी देश की आजादी की लड़ाई के लिये जो कुछ हमसे हो सका वह किया और हम आज भी करने के लिये तैयार है। हो सकता है कि स्वराज्य मिलने के बाद आप गलत रास्ते पर जा रहे हों, हमारा काम है रास्ता बतलाना। यह भी हो सकता है कि हम गलत हों। लेकिन हमारे दिल में वही एक भावना है जो आपके दिल में भी है। जो आप समझते हैं कि हमारे देश का उत्थान हो तो हमारे दिलों में भी वही भावना है और हम भी अपने देश की उन्नति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश ऊंचा उठे और हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान में सबसे आगे हो। इसी भावना के साथ जो बजट पेश हुआ है उस पर हमने प्रकाश डाला है और हमें आशा है कि मंत्री जी इसका ख्याल करेंगे।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं बराबर एक घंटे से डिप्टी लीडर आफ दि अपोजीशन उपाध्याय जी की स्पीच बड़े ध्यान से सुनता रहा और जब वह अपनी स्पीच दे रहे थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि इस नये वर्ष का नया बजट सदन में पेश हो चुका है और जनरल बजट के ऊपर वह जनरल डिसकशन में भाग ले रहे हैं। क्योंकि जो सप्लीमेंटरी ग्रांट्स आई हैं उनके ऊपर ही उन्होंने अपने को सीमित नहीं रखा बल्कि जनरल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

पालिसी पर भी उन्होंने स्पीच दे डाली। मैं आशा करता हूं कि जब दो तीन दिन के बाद इस सदन में हमारा जनरल बजट आयगा और उस पर जनरल डिसकशन होगा तो जो स्पीच इस समय आपने दे डाली है उस पर उनको मौका देने की कृपा नहीं करेंगे। लेजिस्लेचर के सामने जब सप्लीमेंटरी ग्रांट्स आती है तो वह विशेष परिस्थिति में आती हैं क्योंकि जब जनरल बजट पेश होता है उस समय हाउस के सामने आय-व्यय के आंकड़े मौजूद होते हैं और साल भर के लिये व्यय पूरा करने के लिये अगर टैक्सेशन की जरूरत होती है तो उस पर भी विचार करने का मौका मिलता है। लेकिन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के समय पूरा बजट हमारे सामने नहीं होता है, इसलिये वह विशेष परिस्थितियों में ही आनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जिनका साल भर के बीच में अनुमान किया जाना संभव नहीं होता है जैसे कि बाढ़ आ जाती है, कोई बीमारी पड़ जाती है या आग लग जाती है तो उस समय अनुमान करना संभव भी नहीं हो सकता है और इसके लिये रुपया खर्च करना आवश्यक होता है। इसलिये सप्लीमेंटरी ग्रांट्स आती हैं। वह आवश्यक होती है और जिनका अंदाजा नहीं किया जा सकता है और राज्य के लिये खर्च करना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर किसी बिल्डिंग की आवश्यकता है और वह तो जनरल बजट के समय तक के लिये रोकी भी जा सकती है लेकिन अगर कोई ऐसी इमारत मिलती है जो कम कीमत पर मिलती है और उससे राज्य को लाभ होता है तो वह लेनी पड़ती है। अगर बजट में प्रावीजन नहीं है तो उसका बेचने वाला रुक नहीं सकता है और दूसरे को दे देगा, ऐसे समय में खर्च करना पड़ता है।

श्रीमन्, लेकिन ऐसे खर्च सप्लीमेंटरी ग्रांट में रखना जिनका अनुमान आसानी से हो सकता था, जिसको आसानी से देखा जा सकता था या पहली सप्लीमेंटरी ग्रांट में रखे जा सकते थे उनको दूसरी सप्लीमेंटरी ग्रांट में पेश करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होता है क्योंकि लेजिस्लेचर के सामने बजट की पूरी शक्ल नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं जो आवश्यकीय है। जैसे अर्द्ध कुम्भ मेले के संबंध में और बुद्ध जयंती के संबंध में मांग रखी हैं। इनका तो अनुमान पहले से था कि यह रुपया खर्च करना पड़ेगा क्योंकि यह हर साल होता है और उसके लिये जनरल बजट में प्रबन्ध कर सकते थे या पहली सप्लीमेंटरी ग्रांट में इसको रखना उचित था। लेकिन हमने यह नहीं किया और इसको दूसरी ग्रांट में रखना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और एकाउन्ट्स ने या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो अनुमान कर सकते थे यह करके उचित नहीं किया है और मैं समझता हूं कि वह इसमें शामिल नहीं होने चाहिये थे।

इसी तरह से एक इर्रीगेशन की ग्रांट है उसमें भी बहुत से खर्चे ऐसे रखे गये हैं जिनको हम आगे के लिये रोक सकते थे और इस समय उनका पेश किया जाना नितान्त आवश्यक नहीं था। अभी हमारा जनरल बजट पेश होने वाला है उसमें वह जरूर रखे जा सकते थे इसलिये उनको इस सप्लीमेंटरी ग्रांट में रखना किसी प्रकार उचित नहीं था। ऐसे खर्च भी इसमें बहुत से हैं, जैसे लखनऊ कलेक्टरेट के लिये पंखे खरीदने के लिये या रोडवेज में पंखे के लिये, इन सब को जनरल बजट में रखा जा सकता था, और इन सब का इसमें रखना और वह सब रुपया खर्च कर लेना मैं समझता हूं कि किसी प्रकार भी उचित नहीं था। न वह ऐसी मांग थी कि जो इसमें रखी जानी चाहिये थी।

ऐसे खर्चे भी इसमें शामिल किये गये हैं कि जैसे राज्यपाल के लिये एक मोटर खरीदने के लिये ३२,००० रुपया मांगा गया है। मैं यह नहीं कहता कि वह उनके लिये आवश्यक नहीं। आवश्यक है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे देश और प्रदेश के लिये जो कि इंडस्ट्री में पिछड़ा हुआ है उसमें इंडस्ट्री तभी तरक्की कर सकती है जब कि हम देश में ही बनी हुई वस्तुयें खरीदें। अगर हमारी सरकार, हमारे राज्यपाल ही अपने यहां की बनी हुई चीजें न खरीदेंगे तो यहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। एक बार जब किंग जार्ज फिफ्थ अपने

एक ऑफिस में गये और वहां उन्होंने देखा कि टाइपराइटर्स जो रखे हुये हैं वह दूसरे देशों के बने हुए हैं, और लोगों को उन दूसरे देशों के टाइपराइटर्स को उन्होंने व्यवहार करते देखा तो उन्होंने फौरन इस बात पर एतराज किया। वह इस बात को बरदाश्त नहीं कर सके कि इंग्लैन्ड के टाइपराइटर्स के अलावा दूसरे देशों के बने टाइपराइटर्स वहां व्यवहार में लाये जायं। ३२,००० की कोई मोटर हमारे देश में नहीं बनती। हिन्दुस्तान मोटर्स या दूसरी मोटर वर्क्स हमारे यहां १०,१२ हजार तक की मोटर बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि चाहे उनकी सर्विस में कुछ इनएफ़ीशियेंसी भी हो, चाहे यहां का माल उतना टिकाऊ न हो जितना कि दूसरे देशों का होता है, बाहर के देशों का होता है, तब भी चूंकि हमें अपने देश के उद्योग धंधों को बढ़ाना है और उनको प्रोत्साहन देना है इसलिये आवश्यक है कि हम अपने देश की बनी हुई चीजें ही खरीदें और इस बात का तहैय्या कर लें। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें हमारे यहां न मिलती हों, कई चीजें ऐसी हैं, जैसे रिहन्द बांध के लिये मशीनें हैं या बिजली बनाने के लिये मशीनों की जरूरत है। उनका बाहर से मंगाना नितान्त आवश्यक है, उनका मंगाना ठीक है क्योंकि उनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। लेकिन जब मोटर्स हमारे देश में बन रही हैं और चाहे उनमें २० या ४० परसेंट ही हमारे देश की लेबर लगी हो, और उसमें थोड़े से पार्ट्स ही हमारे देश के लगे हों, लेकिन चूंकि हमारे लोगों को उससे लाभ पहुंचता है इसलिये ऐसी हालत में हमें उन्हीं को खरीदना चाहिये। इसलिये कि हमें अपने यहां की फैली हुई बेकारी को कम करना है, उद्योग धंधों को बढ़ाना है। किसी हालत में भी उनको छोड़ कर हमारे स्टेट डिपार्टमेंट को या राज्यपाल महोदय को किसी दूसरे देश की मोटर नहीं खरीदनी चाहिये थी और अपने देश के उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिये था। उन्हीं मोटरों को खरीदना चाहिये जो कि हमारे देश में बनती हैं और जो एफीशियेंसी में भी अब बहुत सी दूसरी मोटरों से ज्यादा अच्छी हैं। तो मुझे यह अर्ज करना है कि जो आपने सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स रखी है उनमें बहुत से ऐसे खर्चे हैं।

इसी तरह से मोटर बसेज के स्टैंड को बनाने की बात है। कई जगहों पर बन रहे हैं। वह स्टैंड या तो अगले साल बन सकते थे या उनको हम रोक सकते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर हम दो, तीन, चार साल से टेम्पोरेरी शेड्स में काम कर रहे थे, कच्चे झोपड़ों में काम कर रहे थे, तो उनको दो महीनों के लिये और रोका जा सकता था। इनके लिये मद सप्लीमेंट्री ग्रांट में रखना, मैं समझता हूं किसी तरह भी उचित नहीं है। तो मैं अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें अपने भाषण को सिर्फ सप्लीमेंटरी ग्रांट तक ही सीमित रखना चाहिये, और मैं समझता हूं कि यह असंगत भी है कि यदि हम इस समय बजट का जनरल डिरकशन कर दें। यह मैं समझता हूं कि आउट आफ ईश्यू है। हमें सिर्फ सप्लीमेंटरी बजट पर ही अपने को सीमित रखना चाहिये और ऐसा ही रूल्स का प्राविजन भी है और ऐसी ही दूसरे देशों के अन्दर परिपाटी है। लेकिन हमारी परिपाटी एक अजीब सी बनती जाती है कि चाहे कोई मांग हो या न हो हम ऐसी स्पीच कर देते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं कि जिससे उसका जो विषय है, कोई संबंध नहीं होता। तो मैं महज अपने आपको सप्लीमेंटरी ग्रांट पर ही सीमित रखना चाहता हूं। ऐसे बहुत से खर्चे हैं कि जिनको आपने रखा है और वह ठीक हैं।

फ्लड्स के विषय में आपने बहुत सी मांगें की हैं। फ्लड्स का कोई अंदाजा आप नहीं कर सकते थे। अक्टूबर में बहुत सी बाढ़ आई और उनसे बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा इसमें तकावी लोन्स के लिये मांग की है। वह ठीक है। एक मांग यह की गई है कि रुदौली नोटीफाइड एरिया को एक रकम २५,००० रुपये की दी जाने वाली है। वहां की हालत खराब है। मैं मानता हूं कि उनकी हालत खराब है। हम म्युनिसिपैलिटीज को काफी धन दे रहे हैं लेकिन टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया को हमने कम धन नहीं दिया। एक लाख रुपया हमने पिछले बजट में टाउन एरिया कमेटीज के लिये रखा था लेकिन वह रुपया टाउन एरिया कमेटीज को न देकर नोटीफाइड एरिया कमेटीज को दिया जा रहा है। यह असंगत-सा मालूम होता है और खास कर जबकि टाउन एरिया कमेटीज

[श्री केशव गुप्त]

खुद जितनी जरूरत है वह हम पूरी नहीं कर सकते। कहीं भी चले जाइये, किसी भी प्रदेश के हिस्से में चले जाइये, टाउन एरियाज कमेटीज की हालत बहुत खराब है। न तो वे रूरल एरियाज में ही शामिल किये जाते हैं और न अरबन एरिया में ही गिने जाते हैं। और इसका नतीजा यह है कि उनको कहीं से भी मदद नहीं मिलती। उनके पास इतने फंड्स नहीं हैं जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। उनके लिये एक लाख रुपये की बहुत थोड़ी रकम थी, उसकी कहीं ज्यादा जरूरत थी। कम से कम ५०-६० लाख रुपये की जरूरत थी। इसलिये इस जगह रुपया रख कर कोई अनुचित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जब ग्रांटों पर अलग-अलग डिस्कशन होगा तब बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात मैं माननीय मंत्री महोदय से अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स में उन्हीं चीजों को रखना चाहिये जो नितान्त आवश्यक हों, जिनके बिना रुका नहीं जा सकता हो, जिन आवश्यकताओं के बगैर राज्य या प्रदेश का नुकसान होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमें बजट की शक्ल मालूम न हो सकेगी और न टैक्सेज की शक्ल ही मालूम होगी तथा सप्लीमेंट्री बजट के समय सदन को एक दिक्कत और होती है, वह यह कि रुपया कंटिन्जेंसी फंड से खर्च कर लिया जाता है और बाद को वह खर्चा बताया जाता है इसलिये उसको मंजूर करना एक लाजिमी बात हो जाती है। इसलिये इस समय हमें उन्हीं आइटम्स को रखना चाहिये जो नितान्त आवश्यक हों। जब जनरल बजट पास किया जाता है तो कोई रुपया पहले से खर्च नहीं किया जाता है, लेकिन सप्लीमेंटरी बजट के समय ऐसा नहीं होता है। इसलिये सप्लीमेंट्री बजट के समय हमें अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। मैं माननीय मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करूंगा कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के लिये जो फाइनेंशियल नियम हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान दें और सप्लीमेंटरी बजट में उन चीजों को रखने का प्रयत्न न करें जो कि जनरल बजट के समय प्रस्तुत की जा सकती हैं। इस समय इसकी और भी इसलिये आवश्यकता है कि यह समय डैफीसिट बजट का चल रहा है, और अगले पांच सालों में ४ करोड़ रुपये की कमी को हमें पूरा करना है। हमें एक एक पैसे की बचत पर ध्यान रखना है और उन्हीं चीजों पर रुपये को खर्च करना है जो नितान्त आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि सप्लीमेंटरी ग्रांट के वक्त पूरा ध्यान उन सिद्धांतों का रक्खा जायगा जो सिद्धांत कि सप्लीमेंटरी ग्रांट को पेश करने के लिये बहुत जरूरी होते हैं।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे बजट में बहुत सा रुपया वेहिकिल्स के लिये मांगा जाता है। हर डिपार्टमेंट ऐसी मांग करता है। अगर इसके अन्तर्गत तमाम खर्चे को जोड़ा जाय तो करोड़ों की तादाद में ऐसा खर्चा आयेगा। आजकल यह एक परिपाटी सी पड़ गयी है कि हर डिपार्टमेंट और हर आफीसर वैहिकिल्स चाहता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से सरकारी वेहिकिल्स का इस्तेमाल होता है उसकी भी अजीब कहानी है। मैंने इसको देखा है और एक दो विभागों की लॉगबुक्स को चैक करने का भी मुझे मौका मिला है। इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में दो वेहिकिल्स हैं, उनकी तीन चार महीने की लागबुक्स को मैंने देखा तो पाया गया कि वह दफ्तर से रेलवे स्टेशन या कौंसिल हाउस गयी हैं, जब कि फाइनेंशियल रूल्स में यह दिया हुआ है कि ५ मील से कम के अन्तर के लिये किसी प्रकार से भी उनको यूज न किया जाय। इसके अतिरिक्त जो सरकारी कन्वेयेंसेज होते हैं उनकी लोगों को परवाह भी उतनी नहीं होती जितनी निजी गाड़ियों की। इसलिये इस परिपाटी को जितनी जल्दी हो बन्द किया जाना चाहिये। जहां तक मुझे याद है एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, दोनों ने इस परिपाटी की आलोचना की है। पी० डब्ल्यू० डी० और बी० एन्ड आर० में तो एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ही इस काम के लिये रक्खा गया है। यह जो एक परिपाटी सी पड़ गई है जहां भी देखा जाय और उसका हिसाब लगाया जाय तो हजारों रुपया वेहिकिल्स पर खर्च होता है। आज के जमाने में जब कि सडकें बन गई हैं, जबकि सब तरफ रोडवेज की गाड़ियां उपलब्ध हैं, जबकि रेलवे के टाइम

टेबिल में काफी गाड़ियां पहले से अधिक चलाई जा रही हैं, जब कि हर तरह के यातायात के साधन बढ़ गये हैं, और इसके साथ ही साथ जब कि हम यह भी समझते हैं कि निजी सम्पत्ति को आज भी, चाहे हम उसे सोशलिस्ट एकनामी कहते हों, अब भी काफी महत्व सार्वजनिक सम्पत्ति के मुकाबिले में दिया जाता है। और हमारे अफसरान जितने निजी सम्पत्ति की कद्र करते हैं उतनी पबलिक सम्पत्ति की नहीं करते। निजी सम्पत्ति काफी बचाकर और एहतियात से खर्च करते हैं जब कि पब्लिक प्रापर्टी का उतना ख्याल नहीं किया जाता है, जो निजी गाड़ियां होती हैं उनको वह बहुत हिफाजत से रखते हैं और सरकारी गाड़ियों को जरूरत और बिला जरूरत इस्तेमाल किया करते हैं, और नतीजा यह होता है कि उसकी आयु भी निजी मोटर या गाड़ी की आयु से बहुत कम रह जाती है। इसलिये मैं कहूंगा कि यह वेहिकिल्स हर विभाग के पास बहुत ज्यादा है, और यह सन् ४७ के बाद से जो परिपाटी हमारे सूबे में बड़ी है उसको हमें रोकना चाहिये और उसे बहुत जोर से रोकने की आवश्यकता है क्योंकि करोड़ों रुपया इस में खर्च होता है। फिर अगर यह तमाम वेहिकिल्स हमारे ही देश में बनते तो हम समझ सकते थे कि उनका ठीक या गलत कैसे भी इस्तेमाल होता है लेकिन वह रुपया हमारे देश में ही रहता है। लेकिन वह बात भी नहीं है, वह सब बाहर विदेशों से आते हैं और इस तरह से हमारा रुपया बरबाद होता है। अगर वह यहीं बनते होते तो उपयोग के साथ दुरुपयोग भी होता तो .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने जो उपदेश अभी दिया है वह उसी से दूर जा रहे हैं।

श्री केशव गुप्त—इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो रकमें रखी गई हैं वह बहुत सोच समझकर रखी जायं, और जो बहुत ही जरूरी खर्च हों वही किये जायं तो उस से हमारे फाइनेंसेज पर अच्छा असर पड़ेगा और करोड़ों रुपया बच सकेगा। बस यही मुझे कहना है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सप्लीमेंटरी बजट में जो रुपया सरकार ने मांगा है उसके समर्थन के लिये उपस्थित हुआ हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी तो चले गये लेकिन पुलिस विभाग के उपमंत्री जी मौजूद हैं, उनसे मैं कहूंगा कि हमारे यहां बस्ती में एक रात के अन्दर सात चोरियां हुईं और वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इसलिये हम चाहते हैं कि जो पैसा आज हम पुलिस पर और दूसरे विभागों पर खर्च करते हैं वह ढंग से खर्च हो और बेकार खर्च न किया जाय, जैसा कि माननीय मदनमोहन जी ने कहा कि रुपया ठीक से खर्च किया जाना चाहिये। आज स्वराज्य को हुये सात आठ साल बीत गये और अंग्रेजी हुकूमत यहां से खत्म हुई और हमारी हुकूमत और हमारे अफसर यहां काम कर रहे हैं आज तो हमारा स्तर और ऊंचा होना चाहिये था। इसी सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि पोलिटिकल सफरर्स के लिये पेंशन्स का प्रबन्ध किया गया है वह सरकार कान खोल कर सुन ले कि चाहे कोई सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो या कांग्रेसी हो, जिसको भी पेंशन दी जाय वह काफी छानबीन के बाद ही दी जाय और ऐसा न हो कि मोटे को मिल जाय और जो गरीब है उसको न मिले। मैं चाहूंगा कि सही छानबीन के बाद सही आदमी को ही यह पेंशन मिले।

दूसरे मैं बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा कि वहां दो पार्टियां हैं और १२ मेम्बर एक तरफ हैं और १२ एक तरफ, १ मेम्बर सब बैलेंस करता है। वहां पार्टी बाजी चलती है एक रोज तो वहां पीने का पानी तक झगड़े में बन्द कर दिया गया ....

श्री अध्यक्ष—आपका भाषण जरा असंगत हो रहा है।

श्री शिवनारायण—जो रुपया मांगा जा रहा है, जो रुपया सप्लीमेंटरी बजट में हम खर्च करेंगे।

श्री अध्यक्ष—यह बस्ती के लिये नहीं मांगा जा रहा है।

श्री शिवनारायण—हमारे नाम पर जो रकम दिखाई जाय वह खर्च की जाय। मैं महामान्य राज्यपाल का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह करते भी हैं, लेकिन सरकार तो "कहता तो बहुत मिला, गहता मिला न कोय", जो कहती है वह करती नहीं है। हरिजनोत्थान करना सरकार का काम है, हरिजनों के लिये कहना रामकुमार शास्त्री और राजा वीरेंद्रशाह का काम है, शिवनारायण का नहीं। मेरा तो कहना केवल यही है कि जो पैसा आप हमारे नाम पर खर्च करें वह ठीक ढंग से किया जाय। मैं तो चाहता हूं कि आप सिर्फ तीन चीजें हरिजनों को दे दीजिये खाना, कपड़ा और रहने के लिये मकान। मैं मंदिर बगैरह के चक्कर में नहीं हूं। एक साहब हाल में ही आये और कहने लगे कि अगली शिवरात्रि को हम हरिजनों का मंदिर-प्रवेश करायेंगे। मैंने कहा "हममें तुममें, खड्ग खम्भ में, जहां देखो तहां रामहि राम"। तुम चाहे जो करो, मंदिर खोलो चाहे जो करो मैं तो हरिजनों के लिये यह नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि लोग जाकर देखें कि आज डी० ए० वी० कालेज में हमारे साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। उसकी जांच करा ली जाय। उचित व्यवहार उनके साथ होना चाहिये। केवल कहने से काम नहीं चलता। वैसे तो हम माइनारिटी में नहीं हैं, हम बहुत बड़ी मेजारिटी में हैं, और इसलिये मैं चाहे ब्राह्मण हों, चाहें सेठ जी हों, कहता हूं कि उन्हें सचेत रहना चाहिये। उतना ही किया जाय जितना कहा जाय और जो न करना हो वह मत कहिये। कोआपरेटिव के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां डेढ़ लाख का गबन है और उसकी बड़ी कड़ी जांच होनी चाहिये।

पी० डब्ल्यू० डी० में हमारे जिले की सिवान पर गोरखपुर की जो सड़क के लिये रखा गया है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन डुमरियागंज में एक पुल के निर्माण के लिये जब यहां अंग्रेजी राज्य था तब कहा गया था, और हाफिज जी ने कहा था, वे पी० डबल्यू० डी० मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि पुलिया बनवा देंगे लेकिन आज तक इतनी सप्लीमेंट्रीज आयी हैं लेकिन वह रुपया नहीं दिया गया। मैं कहता हूं कि वह पुलिया बनवा दी जाय। ३१ मील की सड़क वहां इतनी खराब है और विदेशों से आनेवाले लोग उसी स्टेशन से पास होंगे। इससे अधिक बजट में बताऊंगा यह सम्लीमेंट्री बजट है, इसलिये मुख्तसरन बता दिया है। पीने के पानी का जिक्र किया गया है। पिछले वर्ष इर्रीगेशन मिनिस्टर साहब हमारी कांस्टीटुयेंसी में गये थे और आश्वासन दिया था कि पानी मिलेगा। कुछ तो उनको मिल रहा है लेकिन उस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो वर्क वहां हो रहा है उसमें कुछ लोग रुकावट डालना चाहते हैं इसलिये वह अगर बन्द कर दिया गया तो हजारों लोग बेकार हो जायेंगे और हाहाकार मच जायेगा। अन्त में मैं इस मांग का समर्थन करता हूं और सिंचाई मंत्री से आशा करता हूं कि वे हमारे किसानों का ख्याल रखेंगे।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे आपको मुझे रोकने या असंगत कहने का अवसर प्राप्त हो। साथ ही साथ गुप्ता जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उद्देश्य के अनुसार उनका आचरण नहीं रहा।

मान्यवर, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में यह आवश्यक होता है कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स लायी जायं क्योंकि वर्ष के आरम्भ में यह अनुमान करना कि साल भर में कितना व्यय होगा कठिन होता है। परन्तु श्रीमन्, सितम्बर में एक सप्लीमेंटरी बजट आया, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। माननीय गुप्ता जी ने उदाहरण भी दिये कि उस समय फाइनेंस डिपार्टमेंट भलीभांति समझ सकता था, फाइनेंस एक्सपर्ट होने के नाते कि ये ऐसी साधारण सी स्थितियां उत्पन्न होंगी, जिनके लिये उनको रुपया देना होगा, लिहाजा उनके लिये उसी वक्त इन्तजाम करना लाजमी था लेकिन दुर्भाग्यवश सितम्बर में सप्लीमेंटरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्रान्ट्स के लिये हम लोगों के सामने ५ करोड़ रुपये के आंकड़े आये जिनको हमने पारित किया, और अब ११ करोड़ से अधिक फिर मांगा जाता है। हमको देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कांटिंजेंसी फंड से जब आप व्यय कर चुके तो इस समय यह अच्छा नहीं मालूम होता कि हमारे पास यह चीज लायी जाय। इसके पूर्व हमसे अनुमति ले ली जाती तो अच्छा था, या हमको यह मालूम होता कि कुछ ऐसी मजबूरियां थीं आपके सामने। कांटिंजेंसी फंड से श्रीमन् रुपया लिया जा सकता है परन्तु उसके लिये आवश्यकता होनी चाहिये, परिस्थिति होनी चाहिये। लेकिन श्रीमन् इस वर्ष इस सदन में हम काफी बैठते रहे हैं। इसलिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि अवसर नहीं था सरकार के पास ताकि यह बजट हमारे सामने लाया जा सकता। हर साल अपोजीशन की तरफ से ये बातें कही जाती हैं लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती। मैंने यह माना कि यह बजट ऐसा है कि जिस पर कुछ सिद्धांतों पर हम अपना मत अवश्य प्रकट कर सकते हैं और हमें उसी तक सीमित रहना चाहिये।

एक बात, श्रीमन्, मुझे आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कहनी है कि एडीशनल पोस्ट डी० आई० जी० की हिल्स में क्रियेट की गई। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि उसे सम्लीमेंट्री ग्रान्ट्स में ही लाया जाता। फिर हर जिले में डी० एस० पी० कम्पलेंट्स रक्खे गये हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हर जिले में जो एंटी करप्शन कमेटीज बनी हुई हैं उनके क्या फरायज हैं। एक पुराना जी० ओ० है जो पहले कई जिलों को भेजा गया था, और आज भी वह जी० ओ० लागू है। जबकि एंटी-करप्शन कमेटीज का पुनःसंगठन किया गया और डी० एस० पी० कम्पलेंट्स की नियुक्तियां की गईं तो वैसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि यह स्पष्टीकरण किया जाता कि एंटी करप्शन कमेटीज के फरायज क्या हैं, उनके अधिकार और कर्त्तव्य क्या हैं? जो रुपया मांगा जा रहा है वह तो ठीक है, लेकिन बहुत सी जरूरतों के बारे में पहले से अंदाजा लगाया जा सकता था। यह उस समय भी समझा जा सकता था। सितम्बर में बजट आया था उस वक्त भी समझा जा सकता था। जबकि १९५६-५७ का बजट इस सदन में कल आने वाला हो उस समय यह सप्लीमेंटरी बजट जो हमारे सामने लाया जाता है, मैं समझता हूं कि फिटनेस आफ थिंग्स में नहीं है। इसका इस समय आना उचित नहीं है। यदि कुछ पहले आता तो कहा भी जा सकता था जो कि माननीय उपाध्याय जी के ऊपर रोष प्रकट किया था, वह भूल इसलिये हो सकती है कि कल बजट आने वाला है। तो भ्रम से बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। इससे अधिक मैं इस समय नहीं कहना चाहता।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट बहुत अच्छा है, माकूल है, इसको कई मेम्बरों ने कहा, मैं भी उसे दोहराता हूं। और अगर हर एक आइटम पर अपना विचार व्यक्त करूं तो किसी पर कुछ व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। लिहाजा मैं सिर्फ एक पहलू को आपके सामने रखना चाहता हूं। वह है हरिजन समस्या। अजीब हालत है। पुराना शेर है--'मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की।'

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शुबहा नहीं कि हमारे मुल्क पर यह कलंक है कि इंसान इंसान को छूने से परहेज करता है। कुत्ता छूले, बिल्ली छूले, जो कच्चा गोश्त खाते हैं तो अशुद्ध नहीं होते। लेकिन इंसान छूले तो कहते हैं कि हमारा धर्म चला गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लखनऊ सेंट्रल जेल में था, वहां छूतछात हमारे कांग्रेस वाले नहीं मानते थे। तो हमारे जिले का एक कैदी आया। उसने कहा कि मैंने चोरी किया, डकैती की, कत्ल किया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। सीताराम तुमने धर्म क्यों छोड़ दिया, सबके साथ क्यों खाते हो? तात्पर्य यह है कि छुआ न खाना ही धर्म रह गया है! इधर हमारे गांधी जी का ध्यान गया, कांग्रेस का ध्यान गया, और उन्होंने कोशिश की कि यह कलंक है छूट जाना चाहिये। आपने देखा कि उनका बायकाट हुआ। मैं भी एक नाचीज शरीक हुआ, और १९२४ में छूतछात तोड़ने में शरीक हुआ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह ऐतिहासिक घटनायें आप बयान कर रहे हैं। आप बजट पर कृपा करके आ जाइये ।

श्री सीताराम शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, अगर आप कानूनी बात करेंगे तो शायद मैं कुछ अर्ज नहीं कर पाऊंगा । लेकिन वह उससे संबंध रखता है। मैं अर्ज कर रहा था. . . .

श्री अध्यक्ष---आप बजट पर आ जाइये ।

श्री सीताराम शुक्ल---कैसे बजट को कामयाब बनायें, उसी पर आ रहा हूं ।

काफी रुपया इस मद में लगाया गया और अलग विभाग खोल देने के बाद भी हरिजन सदस्य की आप स्पीचेज सुनते हैं कि शिकायत जहां की तहां बनी हुई है। कमरे में और शिकायत होती है कि गवर्नमेंट दिलचस्पी नहीं लेती है हरिजनों के मामले में। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है ।

श्री अध्यक्ष---मैं इस तरह की कोई चीज जो बाहर कही गयी हो, इस सदन में अभी न कही गई हो, कल किसी सिलसिले में कही गयी हो, उसके जवाब का मौका आज नहीं दूंगा। अभी सिर्फ शिवनारायण जी बोले हैं। उन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। तो मैं समझता हूं कि आप पहिली बातों पर उत्तर नहीं दे सकते । आपको बजट के ऊपर जो टीका-टिप्पणी करनी हो वह कीजिये।

श्री सीताराम शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, इसीलिये बजट बना है कि जो शिकायतें होती हैं, क्या बाहर, क्या अन्दर, वह न हों. . . .

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई दूसरी विधान सभा आपको ढूंढ़नी पड़ेगी। यहां आपको नियम के अनुसार चलना पड़ेगा ।

श्री सीताराम शुक्ल---आप कल नहीं थे। मैंने कहा था कि आप लोग तशरीफ लाइये, बात कही जाय और सुनी जाय। इस वक्त तो मैं यह कह रहा हूं कि हमें छुआछूत अगर मिटाना है तो इसके हर पहलू पर विचार करना चाहिये, और इसके दो पहलू हैं। हरिजनों में भी ऐसे हैं जो किसी खास काम के लिये ही उपयुक्त होंगे, क्योंकि बड़ी दिक्कत यह है कि हरिजनों में भी छुआछूत है ।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)---प्वाइन्ट आफ आर्डर । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपका सप्लीमेंट्री बजट से क्या ताल्लुक है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप अपने तर्क को मुख्य बजट के लिये रिजर्व रखिये। जब मुख्य बजट आये उस वक्त नीति निर्धारण का जो कार्य है उस वक्त हो सकता है। अनुपूरक बजट में नीति निर्धारण का काम आप नहीं कर सकते हैं। तो आप कृपया इसमें कोई अगर आइटम हो तो उसी पर भाषण दें ।

श्री सीताराम शुक्ल---यह इस समय कहां जायगा ?

श्री अध्यक्ष---आपका समय कोई निर्धारित नहीं है ।

श्री सीताराम शुक्ल---तो मैं अर्ज करता हूं कि तब तक किसी और को बोलने की इजाजत दे दीजिये ।

***राजा वीरेंद्रशाह**---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट भवन के सामने पेश है मैं इसके सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं कि यह शायद पहली बार है कि जब सरकार ने ११ करोड़ ३० लाख के करीब का पूरक बजट मांगा । अगर आप इसे देखें तो इस प्रान्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का पूरा बजट १२ करोड़ के करीब आता था। सरकार ने जो पूरक बजट मांगा है मुझे आपत्ति इसमें इसलिये है कि जहां तक कार्य का सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि सप्लीमेंट्री बजट के लिए यह आवश्यक है कि जब तक कोई बहुत आवश्यक कार्य न हो, बहुत ही जरूरी किसी काम को समाप्त करने के लिये रुपया न चाहिये, तब तक सरकार को सप्लीमेंट्री बजट में इतनी बड़ी रकम नहीं मांगनी चाहिये। मैं समझता हूं कि सप्लीमेंट्री बजट इस प्रान्त की हिस्ट्री में इतना बजट जरूर बढ़ गया है, लेकिन ११ करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम है जो सरकार मुख्य बजट के दो दिन पहले मांग रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो डिपार्टमेंट हैं उनमें यह आदत हो गई है कि जो रकम खर्च न हो सकें उस रकम को सप्लीमेंट्री बजट में दिखायें। चाहे नई मद हो चाहे पुरानी हो, महफूज रखें। आगे बजट जो आयेगा उसमें भी लेंगे और इसमें भी रखेंगे इस नियम से यह सप्लीमेंट्री बजट बढ़ जाता है। जब हम आप चाहते हैं कि खर्च कम किया जाय तो उस समय सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि ऐसा खर्च जो न हो बजट में दिखाया जाय। जब डेफिसिट बजट हमारा है तो उसको दिखलाने में सरकार संकोच करती है। तो श्रीमन, एक तो यह बात है कि बजट में यह देखा जाय कि जो नई मदें हैं वे कतई न आनी चाहिये, मेन बजट में आनी चाहिये।

अब मैं चाहता हूं श्रीमन्, चन्द जो रकमें मांगी गई हैं उनके बारे में भी आपसे कुछ अर्ज कर दूं। इसमें श्रीमन्, गवर्नर महोदय की कार के वास्ते ३२ हजार रुपया मांगा गया है ग्रान्ट नम्बर १२। कार तो देनी चाहिए। यह बात तो ठीक है। लेकिन यह ३२ हजार की रकम तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। लेकिन श्रीमन्, यह कार आयेगी बाहर से, यह उचित नहीं है। मैं आपके द्वारा राज्यपाल महोदय से अदब के साथ अर्ज करूंगा कि हमारे यहां जो कारें बनती हैं उनको क्यों न अपनाया जाय? इससे उन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को भी कुछ उत्साह होगा और गरीबों के सामने एक उदाहरण होगा, अगर हमारे राज्यपाल महोदय यह कार अपने लिये खरीदें। क्या जरूरत है कि बाहर से बड़ी ब्यूक कार ही मंगाई जाय? इस लिये हम इसमें यह ठीक नहीं समझते कि बाहर से कार मंगाई जाय।

दूसरी चीज श्रीमन्, मैं यह अर्ज करूंगा कि इधर सरकार कहती है और हम पास करते हैं कि जहां तक हो सके हम बचत करें। लेकिन उपमंत्रियों और सभा-सचिवों के लिये नैनीताल में मकान बनाये जा रहे हैं। श्रीमन्, यह तो बड़ी आपत्ति की बात है। नैनीताल में जब हमने असेम्बली का जाना बन्द कर दिया तो यह अब क्यों किया जा रहा है? हमारे उपमंत्री और सभा-सचिव वहां ऊपर जो कोठियां है, उनमें जाकर रहें। किराये पर रहें। वह अच्छे खासे तन्दुरुस्त लोग हैं, नवजवान भी हैं। ऊपर की कोठियों में जाकर रह सकते हैं। और मैं श्रीमन्, बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि यह चीज उन्हीं के हित में नहीं है कि इधर तो आप कहते हैं कि बचत होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप नैनीताल में उपमंत्रियों और सभासचिवों के लिए मकान बनाये जा रहे हैं। जब आर० ए० एफ० की इतनी बैरेक्स वहां पड़ी हुई हैं, और भी वहां मकान हैं, तो क्या जरूरत है कि पन्द्रह दिन, एक महीने या दो महीने के लिए आप १५ हजार की मकान खर्च करके वहां मकान बनाने जा रहे हैं? इसलिए श्रीमन्, मुझे इसमें बड़ी आपत्ति है। जब ऐसा समय है हमारे प्रदेश में तो हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। उनकी सुविधा के लिए उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई, एलाउंसेज बढ़ाये गए, वह हमने मंजूर किया। लेकिन अब ये मकान बनाये जायं, मैं बहुत अदब से इसका विरोध करता हूं। इसी तरह से आपके पुलिस विभाग में भी कुछ पोस्ट्स निकाली गई हैं, कुछ रखी गई हैं। ठीक है। लेकिन बजट के मौके पर आप उसे लाते तो मैं समझता हूं कि वह एक ठीक बात होती। एक एक्सट्रा डी० आई० जी० बनाये गए हैं पहाड़ी इलाके के लिए। वह पहाड़ी इलाके तो स्वयं ही ऐसे हैं कि जो महफूज हैं। वहां तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के साहबान ने कोई खतरा शायद बताया हो। मगर बजट में वह इसे ले आते तो ठीक था। इस वक्त इस सप्लीमेंटरी डिमांड में इसको लाना मैं समझता हूं उचित नहीं था। इस

[राजा बीरेन्द्रशाह]

वक्त में इस पर और कुछ नहीं कहूंगा। बजट जब आयेगा तो और बातें कहूंगा। इस वक्त तो मैं इतना ही कहता हूं कि जो आप खर्च लीजिए उसको उचित रूप से खर्च कीजिए और उसके ऊपर अगर आपको कसौटी पर कसा जाय तो आप ठीक उतरें। शिक्षा की यह हालत है कि यहां यह साबित हुआ है कि दस रुपया न दे सकने के कारण एक स्कूल का इजेक्टमेंट हो गया! स्कूल को निकाल दिया। श्रीमन्, यह देखिए कि आपके इतने अफसरान वहां थे, जिला इंस्पेक्टर वगैरह सारे आपके अफसर वहां बने रहे, और दस रुपया न दें सकने के कारण स्कूल का इजेक्टमेंट हो गया। यह जरा सोचने की बात है। विभाग के लिए कितनी लज्जा की बात है कि दस रुपया न देने के कारण स्कूल को निकाल दिया गया।

मैं समझता हूं कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी और फिर जब बजट आयेगा तो मैं उस मौके पर अपने और विचार व्यक्त करूंगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेंट्री बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने पुलिस ऐडमिनिट्रेशन के लियें १४,३८,२०० रुपये की मांग की है। जहां तक पुलिस के खर्चे का ताल्लुक है, हर बजट में पुलिस का खर्चा बराबर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जनता की जो तकलीफें हैं वे कम होने के बजाय निरन्तर बजट के साथ ही साथ बढ़ती चली जा रही हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके खिलाफ अभी तक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस या डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस या इन्सपेक्टर्स, नीचे के अफसर्स की जांच करते थे। वह जांच तो संतोषजनक रहती ही थी, लेकिन उस सिलसिले में सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर एक कम्पलेन्ट अफसर की भी नियुक्ति की है जिसका प्राविजन इस सप्लीमेंटरी बजट में किया गया है। जहां तक डिस्ट्रिक्ट कम्पलेन्ट अफसर का ताल्लुक है वह भी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के अन्डर में रहेंगे। इसलिये उनसे इस बात की उम्मीद करना कि विभाग के जो छोटे कर्मचारी हैं, नान-गजेटेड, उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच विभाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के अन्डर रह कर कोई व्यक्ति कर सकता है सही नहीं है। अगर उनको जिलाधीशों के अन्डर में कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता।

इसके साथ ही साथ और भी जो पुलिस का खर्चा है वह बराबर बढ़ता चला जा रहा है और जनता की तकलीफें भी कम होने के बजाय पुलिस के खर्चे के साथ-साथ बढ़ती चली जा रही हैं। राज्य में दिन दहाड़े डकैतियां, चोरियां और कत्ल हो रहे हैं। इतनी अराजकता फैली हुई है कि इसकी बाबत जो भी कहा जाय थोड़ा है। लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

इसके साथ ही साथ इस सप्लीमेंटरी बजट में राजस्व लेखा के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर व्यय की मद में माइक्रोफोन के रिइन्फोर्समेंट के लिये १,२१,९०० रुपये की मांग की गई है। इस रुपये से माइक्रोफोन के रिइन्फोर्समेंट सिस्टम को विधान मंडल में जारी किया जायगा और इसका ठेका एक ब्रिटिश कम्पनी को दिया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो लाउड स्पीकर सिस्टम हमारे यहां जारी हैं उसमें साल में ३,७६८ रु० खर्च होते हैं, और इस तरह से अगर ३० साल का हिसाब लगाया जाय तो १ लाख १३ हजार रुपये का खर्च है। लेकिन रिइन्फोर्समेंट सिस्टम जारी करके एक ही साल में १,२१,९०० रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इसके अलावा अभी तो रिइन्फोर्समेंट पर रुपया खर्च किया जा रहा है, फिर थोड़े दिनों के बाद इसको एयर कंडीशन करने के लिये रुपया मांगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायगा, और कहा जायगा कि एयरकंडीशन के बिना रिइन्फोर्समेंट सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करेगा। फिर थोड़े दिनों के बाद कहा जायगा कि एयरकंडीशन के लिये एक इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिये कम से कम ५ हजार रुपये सालाना का पेमेंट किया जायगा। इस तरह से बराबर बजट में खर्च बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी तरफ देश के हालात जो कुछ भी हैं वे हमारे और आपके सामने हैं। आज देश में बेकारी हद दर्जे की बढ़ती चली जा रही है, लोगों को खाना नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, भुखमरी फैली हुई है, और दूसरी तरफ विधान भवन में बैठने के लिये लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह करदाता के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, और इस तरह से अगर खर्चे को बढ़ाया जायगा तो जो हम समाजवादी राज्य का स्वप्न देखते हैं वह हमारा स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना मुनासिब समझूंगा कि सिंचाई के लिये १५,७६,९०० रुपये की मांग सप्लीमेंटरी ग्रांट के जरिये इस सदन में रखी गई है। जहां तक सिंचाई का ताल्लुक है, मैं उपाध्यक्ष महोदय, अपने जिले की बात आप से कहना चाहता हूं कि पिछले सदन में माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने इटावा जिले के ट्यूबवेल्स के इंजिन को बदलने के लिये एक मांग प्रस्तुत करके स्वीकृत कराई थी। लेकिन इतना अर्सा हो जाने के बाद भी और निरन्तर लिखने के बावजूद भी इन चार ट्यूबवेलों के इंजन नहीं बदले जा सके। सौभाग्य की बात है कि इस समय सिंचाई मंत्री महोदय भी मौजूद हैं वह इन पर ध्यान देने की अवश्य कृपा करेंगे। यही नहीं जितने कोआपरेटिव के हमारे यहां ट्यूबवेल्स हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। हमारे २० ट्यूबवेल्स बने हुये हैं लेकिन उनमें से बहुत से चल नहीं रहे हैं और उनका पानी बहुत कीमती पड़ता है, इसलिये किसान उनसे पानी नहीं ले रहे हैं। एक तरफ तो सरकार की ओर से कहा यह जाता है कि हम सिंचाई के साधन बढ़ा रहे हैं, ट्यूबवेल्स बढ़ाये जा रहे हैं और नये कुयें खुदवाये जा रहे हैं और दूसरी ओर आपके यहां के ट्यूबवेल्स की हालत यह है कि किसान पानी नहीं ले पा रहा है। पिछले साल हमारे ट्यूबवेल्स की कोआपरेटिव सोसायटीज का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय सिंचाई मंत्री जी से मिला था और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और सांत्वना दी और तकलीफात को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सिंचाई मंत्री जी शीघ्र ही उन ट्यूबवेल्स को जिनको सोसायटी नहीं चला पा रही है, उनको लेने की कृपा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक सभा के लिये एक मंच खरीदने के लिये ४,५०० रु० की मांग मंजूर की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मंच खरीदना है उसके लिये यह ४,५०० रुपये की मांग कोई रकम बड़ी भारी नहीं है। लेकिन यह रकम खर्च करना इस बात के लिये इससे सरकार की मेन्टलिटी दिखती है कि हमारे यहां गरीब देश में जब कि हमारे यहां की हालत खराब है और हमारा देश दिन ब दिन गरीबी की ओर बढ़ता चला जा रहा है, उस समय मंच के लिये इतना रुपया खर्च करना, मैं नहीं समझ पाया कि कहां तक बुद्धिमानी है। सभामंडप को तो सादा बनाया जा सकता है। इसलिये इतना रुपया सभामंडप के लिये खर्च करना किसी भी तरह से बुद्धिमानी नहीं है।

इसी प्रकार से राज्यपाल महोदय के मेहमानों के लिये एक कार के लिये ३२,००० रुपये की मांग का सवाल है। हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश में जब कि गवर्नर के मेहमानों के लिये तीन-तीन कार पहले से मौजूद हैं, तब मैं नहीं समझ पाता हूं कि और कार खरीदना कहां तक बुद्धिमानी है और इस तरह से हमारा बजट दिन ब दिन बढ़ता चला जाय। यह कहां तक हमारी बुद्धिमत्ता है।

ऐसी हालत में मेहमानों के लिये तीन-तीन कार होने पर भी ३२ हजार की कार और लेना कहां तक ठीक है और हमें परेशानी नहीं होती अगर हमारे यहां की रोटी कपड़े की समस्या हल हो गई होती और किसानों को कोई परेशानी न होती और उनकी हालत अच्छी होती तो चाहे पांच पांच कार ले ली जातीं और हमें अफसोस नहीं होता। लेकिन

[श्री गजेन्द्रसिंह]

आजकल इस देश की हालत अच्छी नहीं है और दिन ब दिन गरीबी बढ़ती चली जा रही है, लोगों के पास कपड़ा नहीं है, जोतने के लिये जमीन नहीं है और कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये पैसा नहीं मिल पाता है। ऐसी सूरत में मेहमानों के लिये इतनी बड़ी रकम खर्च करना मैं नहीं समझता कि बुद्धिमत्ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशन तथा भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते के लिये ९४,००० रुपये की मांग मांगी गई है। जहां तक राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन देने के लिये प्रावीजन का सवाल है, इस मामले में गलत तरीके से काम किया जा रहा है। राजनीतिक पीड़ितों में तो लोग जो चलते पुर्जे हैं उन्हीं को पेंशन मिल पाती है जो पैसा खर्च करके लखनऊ आ सकते हैं और आफीसर्स से मिल सकते हैं वही लोग इन साधनों को पा रहे हैं। राजनीतिक पीड़ित जो विचारे गरीब है जो पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, जिनके पास अखबार नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको खबर नहीं मिल पाती है ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेंशन वह पा रहे हैं जिनके पास जमीन है, सैकड़ों बीघे जमीन है, जिन्होंने गवर्नमेंट से ट्रक्स भी ले रखे हैं, लारियां भी ले रखी हैं, जमीन भी ली हुई है और अपने बच्चों की पढ़ाई के लियें पुस्तकें और वजीफा भी ले रहे हैं। दूसरे फायदे भी राजनीतिक पीड़ित होने की वजह से वह उठाये हुए हैं। ऐसे ही लोग एम० एल० एज० से, डिप्टी मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स से मिलकर, आफिसर्स से मिल कर, सांठगांठ करके फायदा उठा रहे हैं। उन गरीब आदमियों को पेंशन नहीं मिल रही है जो वास्तव में साधनहीन हैं, जो लोग परेशान हैं और ऐसे आदमियों को कोई भी फायदा राज्य से पेंशनों के द्वारा नहीं मिल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य तथा राशनिंग विभाग के अन्तर्गत ५ लाख ३८ हजार ५०० रुपये की एक पूरक मांग उपस्थित की गई है। जहां तक इस मांग का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण मांग है। इस मांग में सरकार ने इस बात की व्यवस्था की है कि जब पिछले दिनों गल्ले का भाव बुरी तरह गिर गया था तो उसको उठाने के लिये सरकार ने व्यवस्था की थी और उसको उठाया था। यह कार्य सराहनीय है लेकिन जिस दर्जे पर यह कार्य किया गया है वह बहुत ही छोटा है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आज हमको देश की बेकारी को दूर करना है और अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की जनता का रहन-सहन ऊंचा उठे और देश श्रीवद्ध हो तो यह पहली जरूरत है कि हमारे किसानों की खरीदने की ताकत बढ़े और इसके लिये हममें किसानों की पैदावार के भावों को बढ़ाना होगा और किसानों को हमको इस बात की गारन्टी देनी होगी कि चार या छः साल के लिये उसके उपजाये गल्ले के भावों में बढ़ोत्तरी या गिरावट न होगी। अगर हम इस बात की व्यवस्था करें और १० साल के लिये भी किसान को इस बात का विश्वास दिला दें कि उसके भावों में कमी न होगी तो मैं समझता हूं कि पैदावार बढ़ सकती है क्योंकि किसान जमकर मेहनत करेगा और उसे यह खतरा न होगा कि अगर भाव गिर गये तो मेरी मेहनत बेकार जायगी। ऐसी सूरत में देश की पैदावार बढ़ सकती है और उसकी बढ़ी हुई पैदावार को किसान से सरकार ठीक दाम पर खरीदे और इस तरह से सरकार के पास काफी गल्ला भी जमा हो जायेगा। इस के लिये सरकार नयी-नयी योजनायें भी चला सकती है और इसके द्वारा और नये काम किये जा सकते हैं इसलिये कि अर्थ शास्त्र हमको यह बताता है कि एक आदमी का ७० फीसदी खाने में रुपया खर्च होता है। अगर हम गल्ले को स्टोर करें और नयी-नयी योजनायें चलायें तो बेकारी की समस्या हम बहुत मानों में हल कर सकते हैं। तो इसमें जो पूरक मांग सरकार ने की है अगर उसके लिये कुछ ज्यादा रुपया रखा जाता तो अच्छा था और उसके द्वारा अगर किसानों की पैदावार बढ़ाने तथा उसके भाव ठीक ढंग से बनाये रखने के लिये और ज्यादा काम किया जाता तो मैं समझता हूं कि वह प्रदेश के लिये और हमारे देश के लिये एक अच्छी बात होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, योजना और एकीकरण के लिये १ करोड़ पांच लाख रुपये की पूरक मांग रखी गई है। जहां तक योजना का ताल्लुक है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर बहुत सी छोटी छोटी योजनायें चल रही हैं, और उनमें जो, श्रमदान के जरिये कार्य करवाया जाता है उसमें केन्द्रीय सरकार से भी सहायता मिलती है और प्रांतीय सरकार भी उसमें सहायता देती है। इसके साथ ही साथ किसानों से, गांव वालों से कहा जाता है कि श्रमदान के द्वारा वह कार्य करें तो एक तिहाई रुपया श्रमदान के और दो तिहाई राजकीय मद से उनके कार्यों को दिया जायेगा। इस तरह से बहुत सा श्रमदान का कार्य हुआ है। किसान श्रमदान करके कार्य को पूरा तो करते हैं लेकिन उनको रुपया देने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमारे यहां एक ढाई मील लम्बा नाला खोदा गया, उसमें दो हजार रुपया इनाम भी था लेकिन उसके लिये अभी तक कुछ नहीं किया गया। वह रुपया उनको अभी नहीं मिला। कुछ रुपया उसी सिलसिले में पुलियों आदि के लिये भी दिया जाने वाला था, वह भी नहीं दिया गया और इसका नतीजा यह है कि पूरा का पूरा नाला पुलियों के न होने की वजह से बरबाद हो गया है और जितना भी श्रमदान में किसानों ने काम किया था वह सब बेकार हो गया। श्रमदान में सड़कों पर मिट्टी डाली जाती है लेकिन उस पर कंकड़ न बिछाने की वजह से, उनको रुपया न देने की वजह से वह सब काम बेकार हो जाता है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय करघा वस्त्र सहकारी समिति का मेम्बर बनने के लिये १० हजार रुपया गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट को दिया जा रहा है लेकिन इसके अन्तर्गत जितना करप्शन और भ्रष्टाचार है उसके बारे में जितना कहा जाय उतना ही थोड़ा है। इसके अतिरिक्त यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट के अन्तर्गत काम करने वाले छोटे छोटे कर्मचारीगण की हालत भी बहुत ही शर्मनाक है, उनको गजटेड छुट्टियां दी जाती हैं। यहां तक कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी के निधन पर जबकि सारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं परन्तु सारे भारत में शोक मनाया जारहा था और जब कि गवर्नमेंट के सब आफिसेस यहां तक कि सेक्रेटेरियट भी बन्द था, गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट की दूकान बराबर खुली रही। इस तरह से वहां के कर्मचारियों को उस दिन भी छुट्टी मनाने का मौक़ा नहीं मिला। बसन्त पंचमी एक गजटेड छुट्टी है लेकिन उस दिन भी यह दुकान खुली रही। इस प्रकार से छोटी तनख्वाह वालों को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। इसके साथ साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार सरकार को घाटा ही होता है और घाटे का मुख्य कारण यह है कि वहां के स्पेशल मैनेजर साहब ही सब चीजों की खरीदारी करते हैं और किसी किस्म के टेंडर वगैरह काल नहीं किये जाते हैं। जब कि सस्ती से सस्ती चीज टेंडर के द्वारा खरीदी जा सकती है, वे स्वयं ही उसकी खरीदारी करते हैं। लम्प सम में सब चीजों को खरीदा जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह बिकती नहीं है और रुपया उनमें बेकार लगा पड़ा रहता है और घाटा होता है। मैं इस बात में निश्चित नहीं हूं लेकिन शायद गवर्नमेंट का एक जी० ओ० निकला है किसी भी ऐसी पोस्ट पर जिसका व्ययय से ताल्लुक है कोई भी गजटेड आफिसर तीन साल से अधिक नहीं रह सकता है लेकिन हम देखते हैं कि यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट के स्पेशल मैनेजर साहब वर्षों से चले आ रहें हैं और इस तरफ कोई तवज्जह नहीं देता है। वहां पर उनके द्वारा जितना रूपया अपव्यय हो रहा है उसके बारे में जितना ही कहा जाय उतना थोड़ा है। गवर्नमेंट हैन्डीक्राफ्ट की दुकानें बाहर शो के लिये जाती हैं। अमृतसर कांग्रेस में भी गई थी। कई बार लोग वहां पर उसको देखने के लिये गये, बहुत सा रुपया खर्च किया गया, भत्ता बनाया गया। इसी कारण से कि यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट में बार बार खर्च होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों के छात्रों की फीस के लिये इसमें ७९६ हजार रूपया रक्खा गया है। जो ऐसे जूनियर हाईस्कूल्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डस या म्यूनिसिपल बोर्डस द्वारा के नहीं चलाये जाते, प्राइवेट कमेंटियों के द्वारा चलाये जाते हैं, उनमें हरिजन विद्यार्थियों के साथ मनमानी बरती जाती है और उन विद्यार्थियों को फीस की माफ़ी नहीं मिलती है। जिस प्रकार उच्च माध्यमिक स्कूलों को सुविधा दी जाती है वह सुविधा

[श्री गजेन्द्रसिंह]

जूनियर हाई स्कूलों में भी दी जानी चाहिये उन विद्यालयों में जो कि प्राइवेट कमेटियों द्वारा संचालित किये जाते हैं क्योंकि अभी बहुत से ऐसे विद्यार्थी रह जाते हैं जिनको इस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती जिसकी वजह से उनके पास पैसा न होने के कारण वे अपनी पढाई को पूरी नहीं कर पाते हैं। इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह से राजनैतिक पीड़ितों के बच्चे तथा आश्रितों की शिक्षा आदि के लिये भी ४२ हजार रुपया की पूरक मांग हमसे मांगी जा रही है। जहां तक इन बच्चों की शिक्षा और सहायता का सम्बन्ध है उसमें भी वह वही चीजें जिस तरह से और जगह होता है इसमें भी अप्लाई हो रही हैं और इसका लाभ भी उन्हीं को पहुंचता है जिनका सोर्स और पहुंच होती है और जो दौड़ धूप कर पाते हैं और वह लोग जिनके ज़रिये नहीं हैं उनको कुछ नहीं मिल पाता है। इस तरह से जो पूरक मांगे मंजूर कराई जा रही है उनका बहुत सा रुपया इस तरह से खर्च किया जा रहा है कि जिससे हमारी स्टेट को पूरा लाभ नहीं पहुंच रहा है और इस रुपये का ठीक तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने यह ११ करोड़ ३० लाख से कुछ ज्यादा ही सप्लीमेंटरी ग्रांट पेश है। अबसे कुछ मास पहले भी इस सदन के सामने ५ करोड़ से कुछ ज्यादा की सप्लीमेंटरी ग्रांट पेश हुई थी। इस तरह से दोनों ग्रांट्स को मिलाकर यह करीब १६ करोड़ की सप्लीमेंटरी ग्रांट्स हो जाती है। सप्लीमेंटरी ग्रांट्स का पेश होना कोई नई चीज नहीं है। हर साल हर जगह और सभी विधान सभाओं और पार्लियामेंट में सप्लीमेटरी ग्रांट्स पेश हुआ करती हैं। मुनासिब भी है कि जब एक साल का बजट बनता है तो यह किसी भी सरकार के लिये चाहिये वह कितना ही जागरुक या सचेत क्यों न हो यह संभव नहीं हो सकता कि एक साल की तमाम बातें नहीं सोच सके। कभी कभी ऐसे वाकयात देश या प्रदेश में हो जाते हैं जिनका पहले से अन्दाजा नहीं किया जा सकता। इसको मानते हुये भी जब हम अपनी सप्लीमेंटरी ग्रांटस को देखते है तो कुछ ऐसा लगता है कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स की आड़ में कुछ ऐसी चीजों को भी लाने की कोशिश की जाती है जिनका स्थान सप्लीमेंटरी ग्रांट में नहीं होना चाहियें। मुझे यह कहते हुये दुख होता है कि सप्लीमेंटरी ग्रांट के प्राविजन का उचित ढंग से प्रयोग नहीं होता है। यह शिकायत आमतौर से मुझको रही है कि हमारे एक्टीमेंट बनाने के तरीके में कहीं न कहीं गल्ती जरूर है। मेरी तो ऐसी फीलिंग हो रही है कि हमारे डिपार्टमेंट हेड्स को जितना परिश्रम एस्टीमेट्स को बनाने में साल के आरम्भ में करना चाहिये वह नहीं करते या तो उनको यह यकीन सा रहता है कि वह जो चाहे कर सकते हैं और यह भवन तो उनकी मांग को स्वीकार करेंगे ही या फिर कहीं न कहीं एफीशियेंसी की कमी है। मैं इस समय डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मगर यदि माननीय अर्थ मंत्री कहेंगे तो मैं उनके पास एक लिस्ट भेज दूंगा उन ग्रांट्स की जो आधे से ज्यादा ऐसी हैं जो सप्लीमेंटरी में नहीं होनी चाहिये थीं और कुछ ऐसी भी हैं जो पिछले सप्लीमेंटरी में ही आ सकती थीं। मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर केवल दो बातों की ही ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं समझता कि शायद कुछ चीजें इसलिये भी सप्लीमेंटरी बजट में रख दी जाती हैं कि शायद यह ख्याल किया जाता है कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स आमतौर से हम लोग जल्दी में पास करा देते हैं और कुछ ज्यादा सोचने समझने का हम इस पर मौका नहीं मिलता। मैं अनुदान संख्या ४६ को लेता हूं उसमें मैंने अभी देखा कि एक हेड है 'माल ऐवेन्यू लखनऊ में स्थित बंगला नम्बर १३-ए का मोल लिया जाना' उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं वे हमारे सरकारी कर्मचारियों और माननीय मंत्रीयों के लिये काफी नहीं है इसलिये एक बंगला माल ऐवेन्यू पर है उसको १ लाख १९ हजार ९ सौ रुपयों में खरीदने की बात है। मैंने जब इस हिसाब से उसका हिसाब को जोड़ा कि हम नेशनल प्लान लोन साढे चार प्रतिसत पर फ्लोट करते हैं और अगर उसमें हैंडलिंग चार्जेज़ भी जोड़ लिये जांय तो करीब ५ प्रतिशत साल सरकार को देना पड़ता है चाहे केन्द्रीय सरकार हो और चाहे प्रादेशिक सरकार हो। अगर हम इस ५ प्रतिशत से जोड़ें तो इस रुपये से जो बंगला खरीदेंगे उसका ६ हजार रुपया सूद हो गया और जब इतना बड़ा बंगला

है तब मेरा ख्याल है कि दो ढाई हज़ार रुपया उसके रख-रखाव में भी हर साल खर्च हो जायेगा तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा । इसमें डिटेल्स नहीं हैं मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी ऐकोमडेशन है । मैं इतना जानता हूं कि यह बंगला चाहे किसी सरकारी कर्मचारी को दिया जाय या हमारे किसी आदरणीय मंत्री को दिया जाय इस पर इस तरह से आठ नौ हज़ार सालाना खर्च होगा जो करीब सात सौ रूपया महवार में पड़ेगा । हमने यह भी देखा कि जो हमारे उपमंत्रियों के लिये क्वार्टर्स बने हैं उसकी कीमत २२ हजार से २६ हजार तक आयी है । और यह क्वार्टर्स काफी अच्छे हैं, मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम उन पुरानी इमारतों को इतनी ज्यादा कीमतों पर खरीदने के बजाय अपनी खुद की इमारतें बनावें और ऐसा माडल तैयार करें जिसमें डिप्टी मिनिस्टर्स के क्वार्टर्स यदि २६ हजार में बनते हैं तो हमारे मंत्रियों के क्वार्टर्स ५० हजार के अन्दर बन जाने चाहिये । मेरा अपना यह मत है कि इस कीमत पर यह बंगला नहीं खरीदना चाहिये । मैं थोड़ा सा असंगत होता हूं लेकिन हमने पिछले साल भी देखा कि नैनीताल में एक कोठी खरीदी गई । मुझे जहां तक मालूम है शायद ९५ हजार के करीब खरीदी गयी या तमाम खर्चा ९५ हजार हुआ । यदि यह कैपिटल इन्वेस्टमेंट मान लें तो हमारा ५ हजार रुपया सूद का बैठ जाता है और मेंटीनेंन्स पर हजार डेढ हजार खर्च हुआ तो ६ या साढ़े ६ हजार रुपया बैठ जाता है इस तरह पांच सौ रुपये महावार का औसत बैठता हैं और यह सही हैं कि हमारे कोई माननीय मंत्री जो नैनीताल में एक महिने से ज्यादा साल में नहीं रहते । नैनीताल में बढ़िया से बढ़िया ढाई और तीन हजार में सीजन भर के लिये बंगला मिल सकता था । मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस विषय पर गौर से ध्यान दे । जब हमको इमारतों की आवश्यकता है तो यह उचित है कि हमें इमारतें बनानी चाहिये । परन्तु वह हमारी एकनामिक स्थिति के अनुसार होनी चाहिये । सिम्पिल डिजाइन्स होनी चाहियें । ये जो हमारी इमारतें हैं जो हम ले रहे हैं इतनी बड़ी किमतों पर यह उचित नहीं है । चूंकि यह सप्लीमेंटरी ग्रांट का विषय है इसलिये रायल होटल की बात कहना मैं उचित नहीं समझता । लेकिन मैं देखता हुं कि लम्बी चौड़ी किमतों पर पुरानी इमारतें खरीदी जारही हैं । इनको न खरीद कर अगर हम अपनी इमारतें बनवांये तो एक तो वह मजबूत होंगी और दूसरे लेटेस्ट माडल की चीजें हम बना सकते हैं । मैं नहीं जानता कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में इस की क्या विशेष आवश्यकता थी कि इस को सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में पेश किया गया है ।

एक आइटम और "विधान सभा मंडल प्रतिध्वनि नियंत्रण व्यवस्था" में सुधार करने का है । इसके अन्तर्गत भी एक लाख २१ हजार ९ सौ रुपये की ग्रांट रखी गयी है । कारणों में बताया गया है कि चूंकि पार्लियामेंट में प्रतिध्वनि नियंत्रण का एक खास तरीक़ा है । उचित ही है कि हमारे यहां भी इस भवन की शान के अनुसार उसी तरह की व्यवस्था हो जाय । मेरी मालूमात यह हैं कि पार्लियामेंट का जो भवन है शायद एयर कंडीशंड है मुझको तो ऐसा लगता है कि पहले इस व्यवस्था को कायम करने के बाद फिर हमसे यह मांग की जायगी कि इसको एयर कंडीशंड भी किया जाय । मुझ को कोई बड़ी आपत्ति नहीं है कि एयर कंडीशंड भवन हो जाय । मुझ को भी ऐसे भवन में बैठने में अच्छा ही लगेगा । लेकिन आज के युगमें जब अब विकास की बात कहते हैं, और बहुत सी योजनायें हमारे सामने हैं तो कहीं न कहीं प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिये कि कौन चीज पहले हो, कौन चीज बाद को हो। मैं समझता हूं कि यह एक लक्जरी की बात है । नेसेसिटी की बात नहीं है। जो मौजुदा इन्तजाम है हो सकता है कि इसमें कुछ कमी हो । यह तो मैं नहीं कहता कि यह बड़ा पूर्ण है लेकिन फिर भी काम चलाऊ है । मैं यह उचित नहीं समझता कि इस तरह से सप्लीमेंटरी ग्रांट में इसको ला कर पास कराया जाय । यह चीज कुछ दिनों इन्तजार कर सकती है । इसी तरह इसमें कुछ और भी चीजें हैं और मैं उनके विवरण में जाना नहीं चाहता कुछ सज्जनों ने उन चीजों की तरफ संकेत भी किया है । मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि ये जो कम से कम वे आइटेम्स हैं जिनके ऊपर मैंने विशेष रूप से भवन का ध्यान आकर्षित किया है सरकार और वित्त मंत्री उस पर सोचें और यदि इस समय इन आइटम्स पर खर्च न किया जाय तो मेरे अपने विचार से यह ज्यादा अच्छा होगा इस बात की भी व्यवस्था करें कि जो आइटम्स

[श्री नवलकिशोर]

इंडिस्पेंसिबिल हैं उन्हीं को सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के रूप में हमारे सामने रक्खा जाय और गैर ज़रूरी चीजें इस तरह से भवन के सामने न रक्खी जांय। मुझे केवल इतना ही कहना है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इस वर्ष के अन्तर्गत दो पूरक अनुदानों को मिला कर करीब साढ़े १६ करोड़ रुपये की मांग प्रस्तुत की गई। इतनी ऊंची रक़म पूरक अनुदान के जरिये से मांगना दो ही बात का द्योतक हो सकता है। एक तो इस बात का द्योतक हो सकता है कि हमारी सरकार की बड़ी तेज रफ्तार है। खर्च इतने आकस्मिक ढंग से उपस्थित होते रहते हैं कि सरकार उन्हें रोक नहीं सकती और बड़ी तीव्र गति से विकास आदि के कामों में जुट गई है या दूसरे इस बात का द्योतक हो सकता है कि जिस समय बजट में पूरे विकास के लिये मांग की गई उस समय इस बात का ध्यान नहीं आया कि क्या-क्या आवश्यकतायें हमारी अगले वर्ष के लिये बढ़ सकती हैं। कुछ अधिकांश तो जरूर ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ऐसा कोई अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता था लेकिन कुछ अधिकतर आइटम्स ऐसे हैं या तो जिनका अनुमान लगाया जाना चाहिये था या पूरा अनुदान के ज़रिये से उनकी मांग होना ही अनुचित था। माननीय नवल किशोर जी ने इस बात पर बड़े अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है और मैं उसे दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि यह केवल साढ़े १६ करोड़ नहीं बल्कि प्रत्येक मांग के ज़रिये से जो रक़म मांगी जा रही है वह जोड़ी जाय तो उससे भी कहीं अधिक यह हो जायगी। जैसा कि प्रतीक अनुदान एक सौ रुपये का रखा गया है, उस काम के लिए, जो माल ऐवेन्यु में एक बंगले के लिए है जिसकी कीमत एक लाख बीस हजार के करीब है। इसी तरह से ध्वनिप्रसारक यंत्र के लिये भी प्रतीक अनुदान १०० रुपये की मांग की गयी है। लेकिन उसका कुल तखमीना एक लाख २१ हजार ९ सौ है। इस तरह से एक बार जब प्रतीक अनुदान इस सदन में स्वीकार कर ली जाय तो फिर बजट के समय जो ऐसी मांगों पर और ऐसी आवश्यकताओं पर सदन को विशेष रूप से विचार विनिमय का मौका मिलता वह एक प्रकार से पहले ही स्वीकार करा लिया जाता है। प्रतीक अनुदान के जरिये से 'ऐसी रकमों की मांग करना जिसके संबंध में बजट के समय विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए कि आया वह उचित है या अनुचित, इतने थोड़े समय में, विचार न हो कर, उन बातों को प्रतीक अनुदानों के जरिये से स्वीकार करा लेना मैं यह समझता हूं कि उचित नहीं है। जो आकस्मिक ढंग पर हमारा खर्चा हो जाता है उसके बारे में सदन का प्रत्येक सदस्य स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। मसलन हमारे प्रदेश में एक ऐसी बाढ़ वर्षा का प्रकोप पिछली जुलाई और उसके बाद के महीनों में हुआ, पूर्वी जिलों में दो-दो बार यहां तक कि पश्चिमी जिलों में भी एक बहुत बड़ा प्रकोप हुआ और उसके लिए आवश्यकता इस बात की थी कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाय, उनके लिए मकान, भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था की जाय, तक़ावी वगैरह दी जाय। यह बहुत ही आवश्यक कार्य था। मैं उसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। इतनी तेजी से और इतने अच्छे ढंग पर वह सारी व्यवस्था कायम की। जो महान कष्ट, महान् आपत्ति थी, उससे बहुत अंश तक विपत्ति में पड़े हुए लोगों की रक्षा की जा सकी। हमारे माननीय मुख्य मंत्री, हमारे माननीय सिंचाई मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने भी तमाम बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में दौरा करके, उनकी वास्तविक स्थिति को जानकर, कुछ सहायता कार्य किया। और वह मांग जो कि जा रही है वह बहुत ही उचित है और मैं तो समझता हूं कि जो सरकार ने किया वह उचित ढंग से किया। हमें सहर्ष उन मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

जहां तक सिंचाई के संबंध में मांगें रखी गयी हैं इन पूरक अनुदानों के जरिये से उनके संबंध में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है। सिंचाई की व्यवस्था हमारे प्रदेश में जिस ढंग से हो रही है वह काफी संतोषजनक है और

किसानों को भी उससे संतोष है। वह अपनी आंखों से देख रहे हैं। नहरों का निकालना, ट्यूबवेल्स का लगाना जिससे उनके भावी सुख का स्वप्न पूरा होता हुआ दिखायी देता है। गल्ले की पैदावार में वृद्धि हो, यह सबसे आवश्यक वस्तु है। तो सिंचाई के संबंध में जो जो कार्यक्रम लिये गये हैं और पूरक अनुदानों के जरिये से जो रकमें मांगी गयी हैं वह एक बहुत ही उचित है और मैं तो इसके लिये भी माननीय सिंचाई मंत्री को बधाई देता हूं कि वे सिंचाई के काम में जो रकमें खर्च करनी हैं उनमें जरा भी कोताही नहीं कर रहे हैं और सबसे आवश्यक वस्तु समझ करके पूर्ण रूप से इस कार्य को पूरा करने में वह लगे हुए हैं।

जहां तक उद्योग की बात है छोटे उद्योगधंधों के लिए जो मांग की गई है वह भी हमारे लिए इस बात की सूचक है कि हम अपने देश में जो उद्योगधंधे मृत प्राय हो गये थे उनको पुनर्जीवित कर रहे हैं। और भी ऐसे उद्योग-धंधे हैं जो पुनर्जीवित करने के लिए अगर सरकार रकम मांगे तो उसके लिए सरकार बधाई की पात्र होगी। हमारे देश में बेकारी की समस्या का हल छोटे उद्योग-धंधे पुनर्जीवित करना ही है और इन उद्योग-धंधों के जरिये से बहुत से आदमी जो बेकार थे वे काम में लगे हुए हैं और एक दिशा का परिवर्तन हो गया। एक तरफ से जो बड़े उद्योग-धंधों की तरफ दृष्टि थी उससे हटकर छोटे उद्योग-धंधों की तरफ लगे हुए हैं और सरकार ने जो इस तरफ ध्यान दिया है उसके लिये बधाई देता हूं।

जो बंगले की बात कही गई उस संबंध में माननीय नवलकिशोर जी ने कुछ प्रकाश डाला है मैं भी उनकी राय से इत्तफाक करता हूं कि अगर वह बंगला न खरीदा जाता तो उससे कोई सरकार को इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं थी उसके खरीदने की जबकि हमको एक एक पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है कर्ज लेकर के अपनी विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिये। मैं नहीं समझता कि इसकी क्या आवश्यकता थी कि इतनी बड़ी रकम दे करके वह बंगला खरीदा जाय और जब इमारत बना बंगला खरीदा जाय और जब हमारा बिना बंगला खरीदे काम चल रहा है और जब हम उससे कम कीमत में बंगले का निर्माण कर सकते हैं तो फिर इस तरह से इतनी बड़ी रकम लगाना ठीक नहीं।

जो सभा मंच के लिये ४,५०० रूपयों की मांग की गई है कि जहां कहीं सभा हो वहां यंत्र से मंच बना दिया जाय और जल्दी से तय्यार कर दिया जाय। तो इसके लिये ४,५०० रूपये की मांग की गई है। यह बात समझ में जरा नहीं आ रही है कि यह मंच कहां काम में आयेगा। क्या सरकार उसको किराये पर चलायेगी या वह कैसी सभा होगी जिसमें इस मंच का प्रयोग किया जायेगा। वह हर जिले में तो जा नहीं सकेगा। शायद एक ही स्थान पर रह सके। तो केन्द्रीय स्थान लखनऊ है। तो फिर कौन सी सभा सरकार की होगी जिसमें कि मंच की आवश्यकता होगी। वैसे सार्वजनिक सभायें होती हैं भिन्न भिन्न पार्टियों की सभायें होती हैं तो फिर उस मंच का इस्तमाल सरकार के लिये कैसा आवश्यक होगा, यह बात समझ में नहीं आती जो सभायें करते हैं, वे अपना मंच बना लेती हैं। तो इस मंच की आवश्यकता क्यों पड़ी मैं समझता हूं कि सरकार इस पर प्रकाश डाले तो ज्यादा उचित होगा।

जहां तक पोलेटिकल सफरर्स को पेंशन देने की बात है अनुसूचित जातियों के उत्थान की बात है, इन सबके लिये जो रकमें मांगी गई हैं जो उचित ही हैं। लेकिन कुछ रक्म इस प्रकार की हैं जैसे शिक्षा के मद में कई डिग्रियां हैं। जो सरकार को देनी पड़ रही है यह पता नहीं कि इस तरह से जो डिग्रिया हो जाती हैं सरकार के खिलाप शिक्षा के मामले में जैसा कि इसमें विवरण दिया हुआ है तो इन डिग्रियों को पूरक अनुदान में बड़ी आवश्यकता इस बात की हुई कि इन डिग्रियों के अदा करने के लिये पूरक अनुदान में मांग की गई है।

एक बात और है मैं आपके द्वारा उस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार के निवारण के संबंध में कुछ नियुक्तियां डी० एस० पी० की की गई हैं। उनके लिये खर्च मागां गया है। वह ठीक है। वह एक हमारा प्रयोग है और आशा है कि सफल होगा लेकिन जो प्रत्येक जिले में भ्रष्टाचार निवारक समितियां नियुक्त की गई हैं, उन भ्रष्टाचार निवारक

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

समितियों के अधिकार तो कुछ रखे नहीं गए हैं। उन के लिये उन समितियों के लिए कोई रकम उन पर खर्च की जाय, उनका कोई आफिस हो, उस के जरिये से कुछ कार्य हो, ताकि उनके अधिकार का भी कुछ सदुउपयोग हो सके, इस बात पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर उन भ्रष्टाचार निवारक समितियों से सही रुप में काम लेना है या सही रूप में उनका उपयोग करना है तो मैं यह समझता हूं कि हर जिले में उन कमेंटियों का एक अलग आफिस हो, उनका अलग साइनबोर्ड हो और जो भी कोई जांच पड़ताल के बाद जहां भ्रष्टाचार के मामलेपाये जांय उन में जो कोई सजा वगैरह देनी हो तो उस का निर्णय तो अवश्य ही उन अधिकारियों द्वारा हो जैसे पुलिस कर्मचारी के बारे में पुलिस सुपरिन्टेन्डेट या कलेक्टरी कचेहरी के कर्मचारी बारे में जिलाधीश वगैरह अपना निर्णय करें लेकिन वह निर्णय भ्रष्टाचार निवारक समितियों के जरिये से ही ऐलान हो। तभी जनता में इस बात का एहसास हो सकता है कि भ्रष्टाचार समितियों के जरिये से कोई वास्तविक भ्रष्टाचार निवारण हो रहा है। अगर उन समितियों के जरिये से कोई कार्य इस संम्बध में नहीं लिया गया और केवल भ्रष्टाचार निवारक समितियों में कोई मामला आया और वह पुलिस कप्तान के पास भेज दिया गया या विभाग के दूसरे अधिकारियों के पास भेज दिया गया और इस विचार विनिमय का कि सजा दी जाय या न दी जाय, इसका उनको मौका नहीं मिला तो वह भ्रष्टाचार निवारक समितियां बेकार साबित होंगी और इस से जनता को उनकी तरफ कोई आकर्षण नहीं होगा और एक जो ऐसा वातावरण पैदा करने की बात है भ्रष्टाचार निवारण के संबंध में, वह समस्या भी हल नहीं होगी। मैं समझता हूं कि हमें भ्रष्टाचार निवारण के संबंध में विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है कि जो आज भ्रष्टाचार है वह किस तरह से दूर किया जा सके। वैसे जिस रकम की मांग की गई है मैं समझता हूं कि उस रकम को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह हमारा एक प्रयोग होगा और हमें फिर इस बात का निश्चय करने का मौका मिलेगा कि हमें कहां तक उस में सफलता मिली है या नहीं मिली है।

कुछ विदेशी ठेकेदारों से मोटर तथा पम्प इत्यादि के अतिरिक्त पुर्जों के लिए ४,६२ हजार रुपया मांगा गया है। इस में कुछ पुर्जे खरीदने की मांग की गई है। वह पुर्जे होंगे मोटर के या पम्प वगैरह के जो कि अतिरिक्त पुर्जे होंगे। यह पूरक अनुदान के जरिये से इतनी बड़ी रकम की मांग की गई है और उनकी अभी आवश्यकता, मालूम होती है कि नहीं पड़ी है। वह पुर्जे खरीदे जायेंगे और रखे जायेंगे और जब कभी जरुरत होगी इस्तेमाल किये जायेंगे। इतनी बड़ी रकम अगर बजट के जरिये से मांग ली जाती तो अच्छा होता। इस पूरक अनुदान के जरिये से इस बड़ी रकम का मांगना उचित नहीं था। मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारा ध्यान अपने देश में बनी हुई चीजों की खरीद या उनसे ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर अधिक होना चाहिए। जब हम अब स्वतंत्र हैं हमें अपने देश की कारीगरी और अपने देश के बने हुए सामान को अमल मे लाने या उस से ही अपना काम चलाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हों जो हमारे देश में न बन पा रही हों और उनकी हमें आवश्यकता हो लेकिन हम अपनी ऐसी आवश्यकताओं को जो विना विदेश से मगांये हुए पूरी न हो सकें अगर कम कर सकें तो कम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि विदेशी कम्पनियों से जो सामान मंगाया जाता है उसमे जो सामान हमारे देश का बना मिल सके वह लिया जाय और विषेश विदेश के सामान के विना पर अगर हमारा काम चल सके तो हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। इस तरफ जितना ध्यान हमारा जाना चाहिए उतना नहीं गया है और भविष्य में इस तरफ और ध्यान देने की जरुरत है।

बाकी और छोटी-छोटी मदें हैं उनमें मैं जाना नहीं चाहता और मैं समझता हूं कि भविष्य में अगर पूरक अनुदानों की मांग की जाय तो इस बात का सरकार को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो बहुत ही आवश्यक खर्चे हुआ करें उन्हीं को पूरक अनुदानों के जरिये से मांगा जाय और बड़ी-बड़ी रकमों को इस तरह से मन्जूर करवाने की कोशिश न की जाया करे जिन पर बजट के दौरान में हमें ज्यादा गौर करने का मौका मिल सकता है।

(इसके उपरान्त श्री उपाध्यक्ष ने श्री कुंवर कृष्ण वर्मा का नाम पुकारा।)

श्री सीताराम शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब बोल रहा था उस वक्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था.....।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। मैं एक माननीय सदस्य को बोलने का मौका दे चुका हूं।

श्री सीताराम शुक्ल—मेरी बात पूरी हो जाय फिर हुक्म दीजिये। उस वक्त हुक्म हुआ था कि किस कायदे से तुम बोल रहे हो। तो मैंने अर्ज किया था कि किसी और मेम्बर को बोलने का हुक्म दीजिये फिर मैं देख कर बतलाऊंगा। तो अब मैंने देख लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। माननीय सदस्य बैठने की कृपा करें।

*श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक अनुदान इस सदन के सामने उपस्थित हैं मैं उसमें से बहुत से अनुदानों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कुछ अनुदान इसमें ऐसे जरूर हैं जिनके लिये यह आपत्ति है कि वे अनुपूरक अनुदान में नहीं लाने चाहिये थे। दो, चार अनुदानों की बाबत जो बात कही गयी है वह बहुत हद तक उचित है लेकिन कुछ अनुदान ऐसे हैं जिनके लिये यह कहा गया कि यह पहले भी लाये जा सकते थे। मैं उन बातों से सहमत नहीं हूं। इसका कारण यह है कि इस अनुपूरक अनुदान में हर एक अनुदान के बारे में बहुत साफ तौर पर कारण दिये गये हैं कि किस वजह से वह पहले नहीं लाया जा सका। जैसे अर्द्ध कुम्भ मेला, हरद्वार के लिये यह कहा गया कि यह अनुदान पहले भी लाया जा सकता था। लेकिन जो किताबें हमें दी गयी हैं अगर उनको हम पढ़ें तो उसी में यह साफ लिखा हुआ है कि पहले इसका निश्चय पंडितों ने नहीं किया था कि अर्द्ध कुम्भ मेला हरद्वार में अब की मर्तबा मनाया जायगा या नहीं। तो जब यह बात निश्चय नहीं थी तो कैसे यह अनुदान पहले लाया जा सकता था। वह तो जैसा इसमें लिखा है पंडितों के निश्चय के बाद ही अनुपूरक अनुदान में शामिल किया जा सकता था, उसके पहले नहीं। यह तो ठीक है कि एक तरफ तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना चालू होने जा रही है और हमको एक-एक पैसे की तलाश है, हमें धन की तलाश है और हम किस तरह से अपने कार्यों को पूरा कर सकेंगे। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो इतनी आवश्यक नहीं है, इतनी जरूरी नहीं है उनके बिना हमारी गुजर हो सकती थी। जब तक हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त न हो जाय हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिये कि हम ऐसा कोई व्यय न करें जो अत्यन्त आवश्यक न हो। मिसाल के लिये जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि नैनीताल में बंगले बनाये जा रहे हैं उनके लिये इतना धन इस समय व्यय करना उचित नहीं है। इसी तरह से माल एवेन्यू में जो बंगला खरीदा जा रहा है वह भी इतना आवश्यक नहीं है, हम इस समय उसको न खरीदें और जो इस समय प्रबन्ध है उसी के अनुसार चलें और जब हमारे पास रुपया हो तो दूसरा बंगला बनायें। इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि इस समय कोई ऐसी फिजूलखर्ची न हो जिससे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धन की कमी पड़े। मैं आशा करूंगा कि इस पर काफी ध्यान दिया जाय, और चाहे सप्लीमेंटरी बजट बनायें या सालाना बजट बनायें, उसमें इन सब बातों का खयाल रखें।

अभी-अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि इस समय मद्य-निषेध पूरे प्रदेश में लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें धन की अत्यन्त आवश्यकता है। जहां यह खयाल है वहाँ इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिये जो मैंने अभी बतलाई हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

भ्रष्टाचार रोकने के लिये जो स्कीम चलाई गई है उसका मैं स्वागत करता हूं। यह सही है कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों के पास इतना काम रहता था जिससे वह इधर पूरा समय नहीं दे सकते थे और इसमें उस हद तक कामयाबी नहीं मिली जिस हद तक मिलनी चाहिये थी। सिर्फ यही बात नहीं थी कि वह ध्यान नहीं देते थे बल्कि मैंने देखा है कि जहां पर उन्होंने ध्यान दिया, जहां पर समय दिया वहां पर एक मनोवृत्ति इस बात की बहुत ज्यादा है कि पुलिस का दूसरा भाई यदि भ्रष्टाचार करता है तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं और इसमें मामलों में जो सत्य होता है उस पर पर्दा पड़ जाता है और वह मामले हमारे सामने जिस रूप में आने चाहिये उस रूप में आ नहीं पाते हैं। इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिये पुलिस के आदमी को ही मुकर्रर किया जा रहा है और बहुत से जिलों में तो मुझे यह सूचना है कि जो हल्का इंस्पेक्टर थे वही डी० वाई० एस० पी० मुकर्रर हो गये हैं और हल्का इसपेक्टरों तथा सब इसपेक्टरों का इस प्रदेश में एक जाल बिछा हुआ है एक-दूसरे के टाउट हैं। एक दूसरे को रिश्वत दिलाने में मदद करते हैं और जब वही हल्का इंस्पेक्टर डी० एस० पी० रखे जा रहे हैं तो हम कैसे इस बात की आशा कर सकते हैं कि यह भ्रष्टाचार बन्द हो जायगा। अगर वाकई हम सच्चे दिल से इसको रोकने की व्यवस्था करना चाहते हैं तो हमें इस पर काफी संजीदगी से विचार करना होगा मेरी समझ में एक दूसरा ही रास्ता हमको इसके लिये अख्तियार करना होगा। अगर हमको पुलिस के ट्रेन्ड आदमियों को ही इसके लिये रखना है तो मैं ज्यादा बेहतर समझूंगा कि जो डी० एस० पी० की ट्रेनिंग लेकर पहले पहल इस विभाग में आते हैं उनको ही नियुक्त किया जाय न कि उनको जो अपना हाथ पहले ही गरम कर चुके हैं और रिश्वत लेने के आदी हो चुके हैं। ऐसे लोग यहां पर इस भ्रष्टाचार को बन्द करने के लिये न रखे जाय। तो मैं समझता हूं कि सही कदम उठाने के लिये यह आवश्यक है कि हम पुराने पुलिस के अधिकारियों को जो कि भ्रष्टाचार में रहे हुए हैं और जिनके हाथ गरम हो चुके हैं उनको इसमें न रखें। हमारी मद्य निषेध की पालिसी जो फेल हो चुकी है और अभी तक कामयाब नहीं हुई है उसका भी यही एक कारण है। हम मद्य-निषेध तो कराना चाहते हैं लेकिन जिन आदमियों के द्वारा हम यह काम करना चाहते हैं वह स्वयं ही उस प्रथा को चालू किये हुए हैं। वही लोग शराब बिकवाते हैं और उनके दलाल लगे हुए हैं जो इसको सफल नहीं होने देते। तो अगर हम इस बात को ध्यान में न रखें तो हम कोई भी स्कीम चलावें वह किसी तरह से भी कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिये इस बात की सख्त आवश्यकता है कि हम इस सिलसिले में जो भी कर्मचारी नियुक्त करें वह बहुत सोच समझ कर करें और ऐसे आदमियों को नियुक्त करें जो इन बातों से बहुत दूर हों, परे हों और तभी हम इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं।

मुझे इस सिलसिले में एक अनुदान जो बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये इसमें है, उसके बारे में भी कुछ कहना है। मैं इसका स्वागत करता हूं और इस सिलसिले में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बाढ़ की वजह से, अधिक वर्षा की वजह से हमारे इस प्रदेश में हजारों लाखों मकान गिर गये थे और आज उन गिरे हुए मकानों को बनाने की बात उठ खड़ी हुई है। जिन लोगों के मकान गिर गये थे वह सब आज अपने मकान बनाने के लिये उत्सुक हैं लेकिन जो कुछ भी रुपया मकान बनाने के लिये दिया हुआ है ग्रैच्युटस रिलीफ की शक्ल में या सब्सीडी की शकल में, वह सब करीब-करीब खर्च हो चुका है और वह काफी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। हमको अभी और रुपया उनको मकान बनाने के लिये देना चाहिये। तीन, चार महीने वर्षा आने के रह गये हैं। अगर वर्षा तक हमने उन मकान बनाने की व्यवस्था न कर दी, अगर उनके मकान तब तक न खड़े हो गये तो जैसे ही वर्षा ऋतु आयेगी वैसे ही हमारे सामने एक बड़ी कठिन समस्या आकर खड़ी हो जायगी, जिसको हल करना हमारे लिये बड़ा मुश्किल हो जायगा। तो यह कितनी बड़ी समस्या है इस पर हमको विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस पर और रुपया खर्च करने की जरूरत है और मैं यह चाहूंगा कि इस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ज्यादा ध्यान दें और जितने रुपये की आवश्यकता हो उतना रुपया हमारे गरीब भाइयों को अपना मकान बनाने के लिये मिले।

राजनीतिक पीड़ित अनुदान, बच्चों के लिये और उनके डिपेन्डेंट्स के लिये, इसमें मांगा गया है, मैं इस उचित समझता हूं। यह कहा गया कि बहुत सी बेवायें हैं जिनका गुजर बसर नहीं होता है, उन्हें भी इस मद में रखना चाहिये। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जैसा कि श्री राज्यपाल के सम्बोधन में कहा गया है, उसके लिये दूसरी व्यवस्था की जायगी। उनको कुछ काम दिया जायगा और ऐसे ट्रेनिंग क्लास खोले जावेंगे जिनमें काम सीख कर वे अपना गुजर कर सकेंगी। राजनीतिक पीड़ितों के लिये खास मद है। बहुत से राजनीतिक पीड़ित सहायता से वंचित रह जाते हैं जिनकी हालत उनसे खराब होती है, जिनको कुछ को मिल जाती है। इस ओर हमें बहुत ही सोच समझ कर काम करना है। जो भी रुपया सहायता के लिए मांगा गया है, मैं समझता हूं वह कम है और इसमें अधिक रुपया रखने की आवश्यकता है। आशा है कि अगले बजट में इस पर ध्यान रखा जायगा।

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिये भी एक मांग है जिसमें कि एक एडीशनल डिपार्टमेंट खोले जाने का विचार है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इस डिपार्टमेंट का काम बहुत ही ज्यादा था और हमारी बहुत सी स्कीमें वैसी ही पड़ी थीं। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां ४, ५ साल से कुछ थोड़ी बहुत स्कीम वाटर वर्क्स की बनी लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। या तो डिपार्टमेंट ने उन पर ध्यान नहीं दिया या उनके पास स्टाफ काफी नहीं था, जिसकी वजह से हमारे बहुत से उन्नति के काम नहीं हो पाये। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एडीशनल डिपार्टमेंट की वजह से हमारे कामों में काफी सहायता मिलेगी और वे जल्दी हो सकेंगे। मिसाल के लिये मैं अपने जिले का जिक्र करना चाहता हूं। २,३ साल हो गये सुल्तानपुर में वाटरवर्क्स के लिये कोशिश है। एक स्कीम पहले टेस्ट ट्यूबवेल बनाने की रखी गई और उसकी फीस वगैरह सब दी गई लेकिन साल भर से ऊपर हो गया और वह काम वहां चालू नहीं हो सका। मैं चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट को तेजी से चलाने का प्रयत्न किया जाय।

मुझे बहुत खुशी हुई कि इस अनुपूरक अनुदान में उद्योग की ओर काफी ध्यान दिय गया है और बहुत से उद्योग चलाने के लिये प्रस्ताव हैं। इसमें जो उद्योग अधिकारी रखने की बात है उसके लिये कहा गया कि कुछ लोगों को महज रोजी देने के लिये जिला अधिकारी रखे जावेंगे। मैं नहीं समझ सका कि यह मतलब कैसे निकला गया। मैं समझता हूं कि उद्योग अधिकारी की योग्यता इस सम्बन्ध में जरूर देखी जायगी कि वह काम के योग्य है या नहीं। अभी तक तो जिलों में नाममात्र के लिये यह बात थी या जिले के स्तर पर कोई भी ऐसी बात नहीं थी। अब हमारी सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि वह जिले के स्तर पर इस बात को चलावे। यह आवश्यक है कि वह वहां की बातों की जांच पड़ताल करके सरकार को रिपोर्ट दे कि कौन से उद्योग वहां चल सकते हैं। एक बात यह कही गई कि अगर उसमें ऐसे लोग रखे जाते हैं जिनमें कोई योग्यता नहीं है तो फिर यह काम कैसे चालू हो सकता है और महज नाममात्र के लिये यह बात कही जा रही है। लेकिन में उन माननीय मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें केवल उद्योग अधिकारी ही जिले के स्तर पर नहीं रखा जा रहा है बल्कि हर जिले को टेक्निकल एडवाइज देने के लिये भी एक अधिकारी इसमें रखा गया है जिसके पास जिले के स्तर से जो बातें आवेंगी उन पर विचार करके वह अपनी एडवाइज देगा। उन लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है कि हमारा उद्योग ठीक तरह से चल सकेगा या नहीं। सुल्तानपुर जेल के अहाते की दीवालों को पक्का करने के लिये इसमें अनुदान मांगा गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों से मांग है कि उस जेल में जो टी० बी० सैनीटोरियम है उसे वहां से हटाया जाय। इसकी वजह से वहां की आबहवा बहुत ही खराब हो रही है और मैं आशा करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जायगा। वहां के लोग इस बारे में बहुत ज्यादा चिन्तित हैं। वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसे वहां से हटा दिया जाय ताकि वहां की आबहवा अच्छी रह सके और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े।

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

मैं यह समझता हूं कि जो अनुपूरक अनुदान इसमें पेश किये गये हैं वे बहुत जरूरी हैं। बहुत से माननीय मित्रों ने यह भी कहा कि अभी तो सालाना बजट पेश होने जा रहा है, इसलिये क्या जरूरत थी कि दो दिन पहले यह अनुपूरक अनुदान पेश किये गये। मैं उन लोगों को सिर्फ यह बतलाना चाहता हूं कि जो सालाना बजट पेश होने जा रहा है उसे हम पहली अप्रैल के बाद ही लागू कर सकेंगे। उससे पहले उसमें से रुपया खर्च हम नहीं कर सकते हैं। बहुत से काम पहली अप्रैल से पहले ही होने हैं, इस बात को तो वे माननीय सदस्य भी मानेंगे ही और इसलिये अगर पहली अप्रैल से कुछ कार्य करने हैं तो उसके लिये अनुपूरक अनुदान उपस्थित करना आवश्यक था।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, पूरक बजट प्रस्तुत करने की व्यवस्था अब हमारे वित्तीय शासन की एक स्थायी अंग बन गयी है। इस विकास के युग में जब करोड़ों और अरबों रुपये की व्यवस्था हो रही है तब ऐसे पूरक अनुदानों का प्रस्तुत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती कि इस प्रकार के पूरक बजट प्रस्तुत ही नहीं किये जाने चाहिये। लेकन प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में वह पूरक बजट है भी या नहीं और जो मुख्य प्राक्कलन वित्तीय वर्ष के लिये बनाये गये थे उनका वास्तव में पूरक है या नहीं। इस वित्तीय वर्ष में दो पूरक बजट प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें १६ करोड़ रुपये से अधिक की मांग की गई है। यदि इससे हम पिछले वर्ष की तुलना करें जिसमें कुल मिलाकर ८ करोड़ १२ लाख रुपये के सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस की मांग की गई है। इसको देखने से यह ज्ञात होता है कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष दुगने से अधिक रुपये की पूरक मांग की गयी है। इस वर्ष हमारे मूल एस्टीमेट्स लगभग ९१ करोड़ रुपये के थे। अगर इस रुपये में पूंजी व्यय को जोड़ दिया जाय और इस वर्ष भी जो पूंजी व्यय है उसको जोड़ दिया जाय तो यह रुपया सब मिलाकर सवा अरब रुपये से अधिक हो जाता है। इस समय जो यह अनुदान प्रस्तुत किये गये हैं इनसे यह पता नहीं चलता कि बजट की स्थिति क्या है? हमें यह पता नहीं चल सकता कि यह जो ११ करोड़ रुपये की मांग की जा रही है उसमें वास्तविक रूप से हमारे राज्य कोष से कितना रुपया जा रहा है और कितना रेवेन्यू एकाउन्ट से। साढ़े पांच करोड़ रुपया जो रक्खा गया है उससे हमें यह मालूम नहीं होता कि हमारे रेवेन्यू एकाउन्ट से वह रुपया जा रहा है अथवा नहीं क्योंकि इस पूरक बजट में बहुत सी मांगे ऐसी हैं जिनमें भारत सरकार का रुपया है। भारत सरकार से जो रुपया हमें प्राप्त होगा उसका कुल हिसाब लगाया जाय तो वह करीब साढ़े ६ करोड़ के लगभग आता है। इसलिये भारत सरकार की भी इसमें एक प्रकार से जिम्मेदारी आ जाती है कि वह हमें समय से नहीं बताती कि वह किस मद के लिये हमें रुपया देने जा रही है ताकि हम बजट और पूरक अनुदानों के ठीक प्रकार से रखने में समर्थ हो सकें। इसलिये जबकि मैं एक ओर राज्य सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह पूरक अनुदानों को ठीक प्रकार से प्रस्तुत करे दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय से भी यह निवेदन करूंगा कि वह भी इसके बारे में हमारे राज्य को समय से बतला दे कि किस मद के लिये वह कितना रुपया कब देने वाली है? पिछले एक दो सालों से यह पता चलता है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में कुछ मांगें मंजूर हो जाती हैं लेकिन यह मालूम नहीं हो पाता कि कितना रुपया और किस अनुपात से केंद्र से हमें दिया जायगा जिसका नतीजा यह होता है कि रुपया समय पर खर्च नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि केन्द्रीय सरकार समय से रुपया प्रान्तीय सरकार को नहीं देती है। जब केन्द्रीय सरकार रुपया देती है तो प्रान्तीय सरकार के पास रुपये की व्यवस्था नहीं होती और जब राज्य सरकार पूरक अनुदान की व्यवस्था कर भी लेती है तो वह रुपया खर्च नहीं हो पाता। इसका नतीजा यह होता है कि वह रुपया लैप्स हो जाता है। इस प्रकार से योजनायें बनायी जाती हैं, लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो पातीं और वित्तीय नियंत्रण में रुकावट आती है। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत वर्तमान पूरक बजट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को अध्ययन करने में यह मालूम हुयी और इसके लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय मंत्रालय के विभागों को इस बात की ताकीद कर देनी चाहिये ताकि राज्य के वित्त में जो अव्यवस्था होती है वह समाप्त हो सके। दूसरी ओर हमारे राज्य के विभिन्न विभागों को भी ध्यान देना है और वह इस बात पर कि जितनी आडिट रिपोर्टस हैं उनसे साबित होता है कि पिछले सालों में जो पूरक अनुदान मंजूर हुये हैं वह इस्तेमाल नहीं हो सके हैं और व्यर्थ साबित हुये हैं। मैं इसका उदाहरण आप की आज्ञा से देना चाहता हूं। आप देखें कि सन ४७-४८ में ५ आइटम्स ऐसे थे जो निरर्थक साबित हुये, जिनका प्रयोग न हो सका। सन् ४८-४९ में भी ५ आइटम्स ऐसे थे ५०-५१ में ११ आइटस ऐसे थे, और ५१-५२ में यह संख्या १० हो गयी जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इस तरह से यह संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। जिन विभागों के द्वारा अनुदान मांगें जाते हैं उनकी आवश्यकता हो तो वह मांगें, लेकिन जब अन्ततोगत्वा यह मालूम होता है कि उनकी आवश्यकता थी ही नहीं, अगर थी तो वह प्रयुक्त क्यों न कर सके, इसी से सिद्ध हो जाता है कि वह कागजी एस्टीमेट थे जो इस्तेमाल नहीं हुये। इसलिये पूरक अनुदानों के प्रयोग के अध्ययन से साबित होता है कि उसमें अभी अव्यवस्था है और वह समाप्त होनी चाहिये।

तीसरी बात है कंटिजेंसी फंड के बारे में कि वह किन-किन मदों में और किस प्रकार प्रयुक्त किया जाय। अगर हम अपने यहां के कंटिजेंसी फंड के प्रयोग को देखें तो हमें बहुत से ऐसे आइटम्स मिलेंगे जिन में इस फंड का प्रयोग कांफ्रेंसेज के लिये किया गया है, कहीं कोआपरेटिव कांफ्रेंसेज के लिये या और दूसरी कांफ्रेंसेज के लिये। ऐसी कांफ्रेंसेज के बारे में जब हमें पहले मालूम रहता है कि वह साल में अवश्य होंगी तो हम मूल बजट में ही साल के शुरू में उनके लिये क्यों न हजार, दो हजार का, जितनी जरूरत हो प्राविजन न कर लिया करें? ऐसे साधारण खर्च के लिये इस कटिन्जेंसी फंड का प्रयोग उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में विधान स्पष्ट कहता है कि अनफोरसीन और इमरजेंट खर्च के लिये अनुपूरक अनुदान आना चाहिये। वैसे तो विभाग के लोग किसी को भी इमरजेंसी ग्रान्ट कुछ न कुछ कारण देकर साबित कर सकते हैं, उनके हाथ में कलम है किसी तरह से भी वह सिद्ध कर देंगे और इमरजेंट कारण दे देंगे। दूसरे जिन मदों के लिये हम धन लेते हैं उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसी बजट में अर्द्ध कुम्भ के मेले के लिये कुछ मदों में तो कंटिजेंसी फंड से रुपया लिया गया है, जैसे सड़क आदि का काम है, लेकिन उसी में दूसरी मदों के लिये जैसे टेंट या खेमे गाड़ने का काम है उनके लिये नहीं गया है। इसी तरह से बौद्ध धर्म की जो २५००वीं शताब्दि मनायी जा रही है, उसके विषय में भी यही हुआ है कि कुछ मदों में कंटिजेंसी से रुपया लिया गया है और कुछ के लिये नहीं लिया गया। असाधारण स्थिति तो बहुत सी मदों के लिये हो सकती है। मैं कह सकता हूं कि यह जो कंटिजेंसी फंड का प्रयोग हो रहा है वह योग्यता से नहीं किया जा रहा है।

चौथी बात मुझे कंटिजेंसी फंड के बारे में यह कहनी है कि हमारी स्टेट में यह फंड केवल ४ करोड़ रुपये का है। इसका मैंने टोटल या जोड़ लगाया तो इस साल केवल पूरक अनुदान के लिये कंटिजेंसी फंड से करीब साढ़े ३ करोड़ के लिया गया है, और सवा करोड़ रुपया तो बाढ़ के क्षेत्र में ब्याज का रुपया जो बांटा गया है वह है, साढ़े ३ करोड़ रुपया विदड्राल से लिया गया है। मैं यह नहीं कहता कि यह रुपया बाढ़ क्षेत्र में ऋण के रूप में न देना चाहिये था। वह तो ठीक ही किया गया। मेरा तो कहना यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना सामने आ रही है। उसमें भी अनेक अनुदान होंगे और ऐसी अनेक सम्भाव्य स्थितियां होंगी जब आपको कंटिजेंसी फंड से रुपया निकालना पड़ेगा और उस समय यह चार करोड़ रुपया पूरा नहीं पड़ेगा। आपको कंटिजेंसी फंड में और रुपया देना चाहिये। और कम से कम चार करोड़ के स्थान पर ६ करोड़ या ८ करोड़ रुपया इसमें रखना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले सालों में अगर कहीं वास्तविक आवश्यकता पड़ेगी कंटिजेंसी फंड से प्रयोग करने की जैसे सवा करोड़ रुपये बाढ़ क्षेत्रों में सहायता देने के लिये लिया गया है, तो इस प्रकार की दिक्कत भविष्य में नहीं पड़ेगी। कंटिजेंसी फंड में आपको दिक्कत पड़ी। इस सम्बन्ध में एक मिसाल और देना चाहता हूं। भारत सरकार से सड़कों का निर्माण करने के लिये ६० लाख रुपया प्राप्त हुआ। पहले तरीका तो यह था कि कंटिजेंसी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

फंड से रुपया लिया जाता है, लेकिन सरकार ने यह नहीं किया बल्कि उसको साधारण मदों में डालकर खर्च किया जा रहा है। कंटिजेंसी फंड में ज्यादा रुपया होता तो शायद सही तरीका था उसको इस्तेमाल करने का। उसको अपने साधारण खाते में जमा कर के कंटिजेंसी फंड से ६० लाख रुपया आप बिद्ड्रा करते और अनुपूरक अनुदान द्वारा उसकी पूर्ति कर देते। इसलिये मैंने पिछले साल इसी बात को दोहराया था और इस साल भी दुहराता हूं कि राज्य के कंटिजेंसी फंड में रुपया कम पड़ गया है और कम पड़ता जा रहा है। मुमकिन है कि अगले साल २० करोड़ रुपयों का अनुपूरक अनुदान आ जाय क्योंकि सरकार की योजनाओं का तो अभी अनुदान नहीं है और जब २० करोड़ के अनुपूरक अनुदान आयेंगे तो उस समय आप कहां से रुपया विदड्रा करेंगे। इसलिये कंटिजेंसी फंड का जो कोष है उसको बढ़ाया जाना आवश्यक है।

चौथी बात जो इस समय मुझे कहनी है वह यह है कि इस पूरक बजट में दो नये फीचर्स इंट्रोड्यूस किये गये हैं। पहली बात तो यह है कि विधान की धाराओं के अनुसार यह आवश्यक है कि जितने मुकदमे सरकार हारे, और सरकारी अधिकारियों को इजराय करे तो सरकार को इसका भुगतान देना चाहिये। आप देखेंगे कि इस पूरक अनुदान में १० या १५ आइटम्स हैं जिनमें कहीं सरकार इस मुकदमें को हारी है या, किसी अधिकारी का इजराय किया था तो कहीं एक हजार, कहीं डेढ़ हजार और कहीं पांच सौ और कहीं पचास रुपये विभिन्न व्यक्तियों या कर्मचारियों को भुगतान करने के लिये रुपया मांगा गया है, और चार्ज्ड एकाउन्ट्स के रूप में, क्योंकि वह रुपया विधान के अनुसार प्रभृति देय माना गया है। तो सरकार से इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की मदों को सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स के साथ नहीं आनी चाहिये और अगर आती है तो सिर्फ तीन डिपार्टमेंट्स में इस प्रकार से रुपये की मांग की गयी है जैसे ट्रांसपोर्ट विभाग, मेडिकल बिभाग और सिविल सप्लाइज विभाग। इनमें एक लम्प सम मांग लिये गये हैं कि चूंकि इस प्रकार से सरकार की हार हो सकती है इसलिये कहीं ३१ हजार का फंड बनाया गया है, कहीं पांच हजार का। तो ऐसे फंड बनाने की यह प्रक्रिया सप्लीमेंटरी द्वारा नहीं होनी चाहिये बल्कि मूल बजट में होनी चाहिये। और अगर हो तो सब विभागों के लिये हो, क्योंकि हर एक विभाग में मुकदमों में हार हो सकती है इन्हीं तीन में क्यों? प्लानिंग विभाग में भी हार हो सकती है और अगर कोई इस प्रकार का फंड क्रियेट करना है तो यह तो एक पूल बना दिया जाय, सभी विभागों के लिये मूल बजट में कि जो मुकदमे राज्य हारती है उनको इस फंड से दे दिया जाय। यह तीन विभागों के लिये अलग-अलग रखने की प्रणाली मुझे उपयुक्त नहीं मालूम होती।

पांचवीं बात जो माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि इसमें दो तीन आइटम्स ऐसे हैं जिनको कल्पना के नाते इसमें रख लिया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल्पना कर ली है कि प्रान्तीय सरकार को इतना रुपया देना होगा। तो एस्टीमेट्स तो कल्पना के आधार पर नहीं बनते। यहां पर जो पूरा बजट पेश करने जा रहे हैं कल्पना के आधार पर कि भारत सरकार इतना देगी इसके आधार पर हम कोई अनुदान स्वीकार नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो गलत करते हैं। मिसाल के लिये मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा अनुदान संख्या ४४ की तरफ। इसमें स्पष्ट लिखा है भारत सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुमानतः ७१.५०० टन सल्फेट आफ अमोनिया मिलने की संभावना है, जिसके निमित्त कुल २,२५,२०,००० रु० की आवश्यकता होगी और इस प्रकार ४५,२०,००० रु० का अतिरिक्त व्यय होगा। तो कितना सल्फेट आफ अमोनिया आयेगा यह सरकार को पता नहीं है। संभव है न भी आ पावे। लेकिन रुपया मांग रहे हैं पूरक अनुदानके जरिये से! संभावनाओं की पूर्ति के लिये पूरक बजट नहीं है।

दूसरी मिसाल इस सम्बन्ध में आश्चर्यजनक सी लगती है। जैसे बाढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों व भकानों की मरम्मत के लिये स्थानीय निकायों को अनुदान भारत सरकार के आदेशानुसार राज्य सरकार को स्थानीय निकायों को दी गयी धनराशि का इतना भाग प्राप्त हो सकता है। तो इस सम्बन्ध में भी एक कल्पना के आधार पर जो धनराशि मांगी जा रही है, मैं समझता हूं कि यह किसी हालत में उपयुक्त नहीं है।

छठी बात ब्रिटिश दृष्टिकोण से—ब्रिटिश दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि जितनी वित्तीय प्रणाली है वह ब्रिटिश वित्तीय प्रणाली के आधार पर चली है, और हाउस आफ कामन्स की परम्परा यह है कि वहां पर सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स कभी इस बात के लिये नहीं लाये जाते जिसके मूल एस्टिमेट्स बाद को आने हों। जैसे मिसाल के लिये माननीय वित्त मंत्री जी को स्पष्ट कर दूं। यह जो नानक सागर, शारदा सागर और रामगंगा डैम हैं यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आने को हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना अगले वर्ष से शुरू होने जा रही है। उसके लिये प्रतीक अनुदान माननीय मंत्री जो इस समय मांग रहे हैं। तो ब्रिटिश पद्धति के अनुसार यह अनुदान इस समय नहीं मांगना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान मेज पार्लियामेंट प्रैक्टिस के पेज ६९६ की ओर दिलाना चाहता हूं।

"Supplementary not taken before main estimate.

"It is unusual procedure to obtain supplementary vote before the main estimate, to which it is attached, is noted. Normally, the two are taken together as a single vote including the supplementary."

तो यहां पर तीन-चार ऐसी मिसालें हैं जिनमें सप्लीमेंटरीज मेन एस्टिमेट्स के पहले ले ली गयी है। शारदा सागर, नानक सागर, रामगंगा डैम, ये इतनी बड़ी स्कीम्स हैं लेकिन १०० रुपये का टोकन अनुदान मंजूर कराया जा रहा है, प्रिलिमिनरी वर्क्स के लिये मांगा जा रहा है। दूसरी मिसाल लाउड स्पीकर बदलने की है। मेन एस्टिमेट्स अगले साल आयेगा केवल १०० रुपये की टोकेन ग्रान्ट इस साल मांगी जा रही है। तो जो ब्रिटिश पद्धति है, और जो हमारा सिस्टम ब्रिटिश आधार पर है मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार यह प्रणाली गलत है। मेन एस्टिमेट्स और सप्लीमेन्टरी एस्टीमेट्स में इस प्रकार का फर्क करना और मेन एस्टिमेट्स के पहले सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स की मांग कर लेना। साथ ही साथ कुछ नई वित्तीय गड़बड़ियां हैं जिनके द्वारा सदन का धन अपव्यय हो रहा है उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। ग्रान्ट नं० २२ में एक ट्यूबवेल कानपुर में १५ हजार रुपये का सन् ४४ में बनाया गया। अब आप समझिये कि डिफेंस डिपार्टमेंट के कहने से सन् ४४ में—अब सन् ५६ है, इस गल्ती का माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी अवलोकन करें। रेडक्रास सोसाइटी द्वारा एक ट्यूबवेल १५,७०२ रु० का बनाया गया। डिफ़ेन्स डिपार्टमेंट ने बाद में मना कर दिया कि हमने ट्यूबवेल नहीं बनवाया। कोई लिखा पढ़ी न होने से सेना विभाग ने उसे देने से इन्कार कर दिया, रेडक्रास ने भी इनकार कर दिया। १९४४ का मामला है। कितने पूरक बजट तब से चले गये होंगे। अगर आप को रेगुलराइज ही करना था तो १९४६ में हमारी मिनिस्ट्री आ गयी थी, १९४७ के पूरक बजट में, १९४८ के पूरक में, १९४९ के पूरक बजट में, १९५० के पूरक बजट में, और फिर उसके आगे दो-दो पूरक बजट आने लगे, उसमें किसी में लाते। १९५६ में क्या खास बात थी कि इसी साल रखा जाय? फिर अगर सेना विभाग ने बनवाया था, तो सेना विभाग से रुपया लीजिये। यह लिखा है कि सेना विभाग के कहने से बनवाया गया, रेडक्रास के कहने से और उसके द्वारा बनवाया गया। तो फिर राज्य के बजट से क्यों रुपया लिया जाय? मैं समय के कारण सारे उदाहरणों को प्रस्तुत करना नहीं चाहता। मैं एक मिसाल और देना चाहता हूं। हरिद्वार में ओखला और नरौरा में जो नहरें हैं वहां फौव्वारे बनाने के लिये, लान बनाने के लिये और उसकी सुन्दरता बढ़ाने के लिये नहर के आस पास, उसके लिये रुपया मांगते हैं। आप बताइये कि यह कैसे अनफोरसीन है और अर्जेन्ट है? मैं जानता हूं कि वहां टूरिस्ट्स आते हैं। वह खूबसूरत हो जायगा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि यह कैसे अनफोरसीन है और कैसे इमरजेन्ट है? यह तो नहीं है कि खर्चा नहीं होगा तो कोई नुकसान पहुंचेगा। तो ओखला में, हरिद्वार में नहर को नुकसान पहुंचेगा। इस प्रकार के आइटम को कोई भी व्यावहारिक आदमी नहीं मान सकता। न अरजेंट न अनफोरसीन। तो पूरक बजट में न लाकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, मूल बजट में ले आते जो एक महीने के बाद था। इस सम्बन्ध में एक और मिसाल देना चाहता हूं। पहला पूरक बजट जिसको हम सितम्बर या अक्तूबर में पास कर चुके हैं, उस पूरक बजट की बहुत सी मदें ऐसी थीं जिनके बढ़ाने के लिये

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

रुपया इस दूसरे पूरक बजट में मांगा जा रहा है। उसमें हमारे एस्टीमेट्स मौजूद थे। तारीफ की बात तो यह है कि जिस समय पहला पूरक बजट बना उस समय पूर्ण रूप से मालूम था कि इतना इन सड़कों के लिये मंजूर करना है। खर्चा ३७ लाख करना था लेकिन मांग केवल २४ हजार की की गयी। जब हमें यह मालूम था कि सड़कें बनानी हैं तो उसी पूरक बजट में १३ लाख रुपया और मांग लिया गया होता। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उलझाने के लिये यह उदाहरण नहीं दे रहा हूं। मैं इसलिये ये उदाहरण दे रहा हूं कि इतना बड़ा हमारा वित्त मंत्रालय है, इतने योग्य अफ़सर हैं, ज्यादा से ज्यादा योग्य सरकार है, तो उसके मंत्रालय में इस प्रकार की भूलें, अव्यावहारिक भूलें, असंगत भूलें, अवित्तीय नियंत्रण पूर्ण भूलें होना जरूर दुख की बात है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियां नहीं होंगी, और जो पूरक बजट प्रस्तुत होंगे वह वास्तव में पूरक बजट होंगे और ऐसे नहीं होंगे कि १९४४ की गलती को दुरुस्त करने के लिये मांग मांगी जाय या सौंदर्य वृद्धि के लिये पूरक बजट में मांग मांगी जाय, या कान्फ्रेंस को २ लाख रुपया देने के लिये कंटिजेंसी फंड का प्रयोग किया जाय। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी हमारे सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैं अनुपूरक अनुदान का समर्थन करते हुए इस अवसर पर अपने विरोधी दल के उपनेता श्री मदनमोहन उपाध्याय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार बजट के सम्बन्ध में एक बहुत संतुलित भाषण दिया, और यह अवश्य है कि कहने के लिये और कुछ विरोध करने के लिये कुछ बातें वे कह गये। किन्तु अवश्य ही उन्होंने कुछ मार्के की बातें भी सदन के सम्मुख रखीं। मुझे श्रीमन, थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ हमारे होनहार और पढ़ने वाले माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के भाषण को सुन कर। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर आपके सम्मुख जो निवेदन किया उससे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि सप्लीमेंन्ट्री बजट के सम्बन्ध में जो खास चीज है, एक खास वाक्य है, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं गया, वह है "re-appropriation from voted to charged accounts"। यह एक बड़ी भारी चीज है और यदि हम इसको समझ जायं तो शायद बहुत सी गलतफहमियां जो सप्लीमेन्ट्री बजट के बारे में हो जाया करती हैं वे न हुआ करें। १६ करोड़ रुपये का सब अनुदान है। इसका मतलब तो यह नहीं हुआ कि ८८ करोड़ का हमारा बजट उसमें १६ करोड़ रुपया और शामिल हो गया, और इन सब दोनों को मिला कर हमारी सरकार का बजट इतना काफी लम्बा चौड़ा बढ़ गया। इसमें अगर कहीं पर कोई ऐसा आइटम आता है, जो सन् १९४४ का हो या जिसके बारे में ऐसा अनुमान हो कि इसके बारे में पहले कुछ कह क्यों नहीं दिया गया तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि बहुत से आइटम सप्लीमेन्ट्री बजट में ऐसे होते हैं जिनके बारे में वर्षों तक लिखा पढ़ी चला करती है। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट इस बात की कोशिश करता है कि उसका ऐडजस्टमेंट करले और वह रकम वसूल कर ले। जब वह नहीं ले पाता, उसमें नाकामयाबी होती है तब जो उन मद को राइट आफ करना पड़ता है, उस राइट आफ करने वाले पर यह शंका करना कि सन् १९४४ से इतने साल बीत गये, और उसका कोई जिक्र नहीं आया तो वह चीज समझ में नहीं आती। इस सिलसिले में ऐसा भी कहा गया कि कहीं पर स्थान सौन्दर्य की वृद्धि हो रही है, और ऐसी ही कुछ दो एक बातें कही गई। यह भी कहा गया कि राजनीतिक पीड़ितों को जो पेंशनें दी गई वह बिलकुल गलत तरीके से दी गई। तो श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की बातें कह देना बड़ा आसान है कि जो पेंशन दी जा रही हैं गलत लोगों को दी जा रही हैं। जिन लोगों को इस तर्ज की बातें कहनी हों कम से कम ऐसी बातों को विशेषाधिकारी के सामने पेश करें। आप बतायें उनको कि कौन सा व्यक्ति है जिसको १००, २०० एकड़ जमीन भी मिल गई हो, रुपया भी मिला हो, और वास्तव में वह राजनीतिक पीड़ित न हो? तब तो उसके बारे में कार्यवाही की जा सकती है। स्पष्ट

आदेश है गवर्नमेन्ट का उस विशेषाधिकारी को, कि जिस आदमी ने किसी प्रकार की सुविधा न प्राप्त की हो, जो शरीर से पंगु हो गया हो, केवल उसे ही राजनीतिक पीड़ित की पेंशन मिल सकती है। यदि किसी के सामने ऐसी कोई मिसाल हो कि नियमों की अवज्ञा की गई हो और उस पर कार्यवाही न की गई हो तब तो शिकायत करनी चाहिये, वरना अनायास लन्तरानी हांक देने से कोई लाभ नहीं।

फिर इसके बाद गवर्नर को जो ३२ हजार रुपये कार के लिये दिये जा रहे हैं उसके बारे में कहा गया कि गाड़ी १० हजार की मिल सकती है, ६ हजार की मोटर भी मिल सकती है। बदकिस्मती से श्रीमान्, मुझे भी इसकी जानकारी है कि मोटर कितने दामों में मिल सकती हैं, लेकिन ६ हजार वाली ६ हजार मील चलेगी, १० हजार वाली १५ मील चलेगी और हर साल अगर ६ हजार या १० हजार रुपया लिया जाय मोटर खरीदने के लिये तो उससे तो यही अच्छा है कि एक दफा ३२ हजार की गाड़ी खरीद ली जाय। मैं समझता हूं इसमें काफी बचत हो सकती है।

यह भी कहा गया कि विदेशी मोटरें ली जाती हैं। हिन्दुस्तान में असेम्बिल की हुई मोटर नहीं ली जाती है। मैं नहीं जानता कि ऐसी कौन सी मोटर है जो हिन्दुस्तान में असेम्बिल नही होती हो विदेश से ही बनी बनायी चली आती हो? फिर गवर्नर के लिये जो इतना बड़ा अधिकारी है, उसके सम्मान के लिये, प्रतिष्ठा के लिये तथा जो समभ्रान्त व्यक्ति उनके यहां आते हैं उनके लिये तीन मोटर कोई अधिक भी नहीं हैं, जहां कि पहले अंग्रेजों के जमाने में २०,२५ मोटरें रहा करती थीं। वहां अब ३ मोटरों में कौन सी ऐसी बात हो सकती है मैं नहीं समझता।

(इस समय ४ बज कर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब यह कहा जाता है कि किसानों और मजदूरों जैसे हमारे देश में और साम्यवादी सभ्यता में तो यह शानशौकत अच्छी नहीं लगती तो श्रीमन्, इस सिलसिले में मुझे एक छोटी सी मिसाल की बात याद आ गई। देश का जो प्रधान अधिकारी होता है उसकी मर्यादा भी कुछ कायम रखनी पड़ती है। उसकी मर्यादा कायम रखने के लिये शायद कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसके लिए बड़े-बड़े साम्यवादी देशों की बड़ी-बड़ी मिसालें भी पेश की जा सकती हैं। जेनेवा की एक मिसाल में बता दूं— कुछ लोगों की जानकारी के लिए कि वहां पर चार बड़ों का सम्मेलन हो रहा था, तो किसान और मजदूरों के देश के विदेश मंत्री श्री मोलोतोव वहां पर आये थे। महज उनकी सवारी में मास्को से २० मोटरें लायी गई थीं। तो यह तो साम्यवादी देश की बातें हैं और यह वाकया मेरे वहां पहुंचने के दस पन्द्रह दिन पहले की बात है। तो गवर्नर महोदय की तीन कारों के बारे में ऐसी बातें कह देना कुछ प्रासंगिक नहीं है।

फिर यू० पी० हैन्डीक्रैफट्स का भी जिक्र आ गया और बेतुका जिक्र आया। यह कहा गया कि इतना ज्यादा रुपया खर्च किया जा रहा है, इतना रुपया बर्बाद किया जा रहा है चीजों के खरीदने के लिए। यू० पी० हैन्डीक्रैफट्स की स्थापना ही इसलिये की गई थी कि कला की वह चीजें जिनका कहीं विक्रय न हो सके उनको खरीद कर इनको बनाने वाले मजदूरों और कारीगरों को प्रोत्साहन दिया जाय। उनकी चीजों को खरीद लिया जाय ताकि उससे उनको कुछ पैसा मिले। गवर्नमेन्ट को यही उचित मालूम होता है। मुझे भी माननीय वित्त मंत्री महोदय की कृपा से उस मुहकमे की कुछ जानकारी हासिल करने का अवसर मिला था इकोनामी कमेटी के सिलसिले में। मैं फिर निवेदन करता हूं कि गवर्नमेन्ट उनको प्रोत्साहन देना चाहती है। शिकायत यह की गई कि उनका माल ज्यादा दाम में खरीदा जाता है, लेकिन वह शिकायत गलत है। कम दाम में खरीदा जाता तो शिकायत होनी चाहिये थी, यह शिकायत बिलकुल गलत है।

इसके साथ-साथ फ़ाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का सवाल आया। मुझे माननीय नारायण त्त जी की इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि एस्टीमेट्स अनुमान पर नहीं होते हैं।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

एस्टीमेट्स के माने ही तखमीना के होते हैं, और जब एस्टीमेट एक वेलफ़ेयर स्टेट में होता है तो उसमें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से भी क्या मिलने वाला हो उसकी लिखा पढ़ी चलती रहती है। फिर उसका एक आधार बन जाता है उस आधार के बन जाने के बाद कुछ रुपये की गुंजाइश करने की जरूरत महसूस होती है और उसकी गुंजाइश इसलिये कर दी जाती है कि जिस दिन वह लिखापढ़ी पूरी हो जाय उस दिन से काम को चालू कर दिया जाय। इसलिये एस्टीमेट्स के बारे में जो नारायणदत्त जी ने शिकायत की वह गलत है। यह मैं और निवेदन कर दूं कि सप्लीमेंटरी बजट में बहुत से ऐसे आंकड़े मालूम होते हैं जिनके लिये किसी ने कह दिया कि उनके बारे में पहले से अनुमान क्यों नहीं लगाया गया, फ़ोरसी क्यों नहीं किया गया? लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो फ़ोरसी नहीं की जा सकतीं। प्लानिंग के बारे में यह कहा गया कि चूंकि सेकेंड प्लान तो आने वाला है अब पहले प्लान की समाप्ति के वक्त पर ऐसा क्यों कर दिया गया कि दूसरा काम चालू हो गया? तो मैं निवेदन कर दूं कि वेलफेयर स्टेट में प्लांड इकोनामी में हर एक चीज को फोरसी करके साल के शुरू में नहीं तय किया जा सकता है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बना २२ सौ करोड़ रुपये का, और यह माननीय नारायणदत्त जी को और हर एक को मालूम होगा कि अभी आठ सौ, नौ सौ करोड़ रुपये उसके खर्च नहीं हुए, उद्योग धंधों पर शासन को ९४ करोड़ रुपये खर्च करने चाहिये थे, लेकिन पूरा रुपया खर्च नहीं हो पाया इसलिये कि उसमें बहुत सी बाधायें पड़ती हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं जिनकी वजह से कई काम गिव अप कर दिये जाते हैं। यह कह दिया जाय कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने पहले से सारी बातों के बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं हासिल कर ली? तो मैं श्रीमन्, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं, और यही शिकायत पहले मुझे भी फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के बारे में रहा करती थी कि सम्भवत: फाइनेंस डिपार्टमेन्ट देर करता है लेकिन फाइनेन्स के मुहकमे को देखने का मुझे कुछ मौका मिला, उसी इकोनामी कमेटी के सिलसिले में, और मैंने देखा कि उसकी रोकथाम का ही नतीजा है कि बहुत सी गड़बड़ियां रुक जाती हैं। एस्टीमेट्स जिनका फैसला हम करते हैं उनके बारे में देर जरूर लगती है। किन्तु इस देरी से कुछ रुपया बच जाता है पैसे की खराबी और बर्बादी नहीं हो पाती। हां, यह जरूर है कि इन चीजों के सम्बन्ध में थोड़ी सी ढीलें होती हैं और वह ढीलें इसलिये भी होती हैं कि एकाउन्टेन्ट जनरल का जो आफ़िस है उसके ऊपर मैं नहीं जानता कि फाइनेंस डिपार्टमेन्ट का कभी कंट्रोल हो भी पायेगा या नहीं? लेकिन उस दफ्तर की वजह से बड़ी दिक्कतें होती हैं। कई ऐसे सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनका ट्रांसफर होता है, पोस्टिंग होती है, इमाल्यूमेंटस में वृद्धि होती है, उनको तनख्वाहों के मिलने में एकाउन्टेंट जनरल से लिखा पढी होती है और उस लिखापढ़ी में इतनी देर हो जाती है कि कभी कभी सत्रह-सत्रह महीने तक उन अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, वेतन नहीं मिलता। तो इस चीज को दूर करना निहायत जरूरी है। इसके बारे में कोई न कोई सुधार करना पड़ेगा। इसका क्या असर हो सकता है अगर सोलह-सोलह, सत्रह-सत्रह महीने किसी अधिकारी को तनख्वाह न मिले, सिवाय इसके कि वह भ्रष्टाचार में पड़े और अपना पेट पाले और कोई तरीका नहीं हो सकता। इस विषय में माननीय नियोजन मंत्री जी से विशेषत: निवेदन करूंगा। उनके सप्लीमेन्ट्री बजट में सोशल वर्कर्स की ट्रेनिंग का जिक्र है। हमारे प्रदेश से कुछ लोग ट्रेनिंग के लिये बाहर भेजे गये हैं। हम इकोनामी करते हैं खर्चे को कम करने की गलत कोशिश भी करते हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर शिमला के नजदीक गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के ट्रेनिंग सेन्टर में आदमी भेजे जाते हैं। अभी छ: लड़किया भेजी गई हैं, उन लड़कियों को हमने केवल ३० रुपया दिया है, स्टाइपेन्ड। ३० रुपये मासिक स्टाइपेन्ड के ऊपर उत्तर प्रदेश

की लड़कियां उन प्रदेशों की लड़कियों के सामने बैठती हैं जिनमें किसी को भी १२० रुपये से कम नहीं मिलता। और जब कि उनके मेस चार्जेज़ गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ३५ रु० माहवार ले लेती है। तो इस प्रकार के हमारे प्रबंध में जो कमजोरियां हैं और प्रदेशों के सामने हमको जो थोड़ा नीचा देखना पड़ता है, मैं चाहता हूं कि हमारे नियोजन मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

एक चौथी शिकायत हमारे माननीय नारायणदत्त जी को थी कि आखिर इन एस्टीमेट्स के बीच में जो गैप हो जाता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यह ज़िम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। अभी ईस्टर्न यमुना कैनाल के बारे में किसी सदस्य ने कहा था कि सिंचाई में तो फैसला हो सकता था कितना काम करना है? लेकिन अगर गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया एक ग्रांट देती है और कहती है कि इतना रुपया हम देंगे तुम इस स्कीम को हाथ में ले लो तब तो हम वह स्कीम ले लेंगे। अब जैसे ईस्टर्न यमुना कैनाल में से ८ हजार क्युसेक्स पानी पंजाब ले लेता है और हमको केवल २ हजार क्युसेक्स मिलता है। तो अगर यकायक हम यह फैसला कर लें कि हमें किसानों के लिये ज्यादा पानी लेना है और इसके लिये और सप्लीमेंटरी ग्रांन्ट मागें तो यह अनुचित नहीं होगा। इसलिये सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के सिलसिले में जब हम विवाद करें तो यह सोच लें कि ऐडमिनिस्ट्रेशन की कुछ कठिनाइयां होती हैं और इसलिये कि गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया और हमारी, दोनों की मिली जुली प्लानिंग चल रही है, बहुत सी चीजें बीच में पैदा हो जाती है, बहुत से ऐडजस्टमेंट्स हमको करने पड़ते हैं। लिहाजा अगर यह कह दिया जाय कि रुपया क्यों नहीं खर्च किया गया तो यह कोई बहुत उचित बात नहीं होगी। उपाध्याय जी ने यह पूछा कि यह ग्रान्ट्स का रुपया बचा कैसे? तो यह तो बहुत आश्चर्य की बात है। रुपये का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। रुपये का बच जाना अच्छा है, बजाय इसके कि उसका दुरुपयोग हो। अन्त में नारायणदत्त जी ने एक बड़े आश्चर्य की बात कही कि कंटिजेंसी फंड को बहुत बढ़ा देना चाहिये। मैं नहीं जानता कि ऐसा कौन सा बजट संसार में बनता है जिसमें ह्यूज कांटिन्जेन्सी फंड की तारीफ की जाती हो? अगर कांटिन्जेन्सी फंड बहुत ज्यादा बढ जाता है तो हमारे माननीय मित्र शिकायत कर सकते हैं। कांटिन्जेन्सी फंड वहां बढता है जहां के शासक फैसला नहीं कर पाते हैं। बजट की तारीफ तो यह है कि जिन आइटम्स का हम फैसला करें उनको साफ-साफ सामने रख दें। यह मैं मानता हूं कि हमारा कांटिन्जेन्सी फंड कम है, लेकिन उसको बढाना गलत बात है। कंटिन्जेन्सी फंड के बारे में जो बात तिवारी जी ने इस सदन में सुझाई उससे हमारे प्रदेश की वित्त नीति का कोई कल्याण नहीं होगा। उससे तो हम अपने बजट में कमजोरी पैदा कर देंगे जिसका नतीजा यह होगा कि आज उनको सप्लीमेंटरी के १६ करोड़ रुपये के बारे में शिकायत करनी पड़ती है, कल २० करोड़ के बारे में जांच करनी पड़ेगी। अब हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आ रही है। उसमें हम २५० करोड़ रुपये खर्च करेंगे, लेकिन हमको बहुत सा अनुमान करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जो बहुत से मानों में और प्रदेशों से आगे बढ़ा हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हमने अपने लक्ष्य को समय के पहले पूरा कर लिया। इसलिये अब यह कहें कि आने वाले समय में नहर बनाने का काम रोक दिया जाय, ट्यूबवेल्स का लगाना रोक दिया जाय, फर्स्ट और सेकेंड फाइव ईयर प्लान के बीच में बैठ जाना चाहिये, यह ठीक नहीं है। और यही नहीं गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने अपना जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान बनाया है उसमें साफ लिखा है कि इतना रुपया हम ट्रांन्सफर कर रहे हैं उन प्रदेशों को जिन्होंने अपना वह काम नहीं पूरा किया और जिन्होंने काम किया उनको इतना रुपया देना है। तो जब ऐसा हमारा [illegible]विजन है कि फर्स्ट प्लान और सेकेंड प्लान एक दूसरे से कोआर्डिनेट करके चलने [illegible]ने सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में जो प्राविजन किये गये हैं उनसे किसी प्रकार की हानि [illegible] है। यही मेरा निवेदन है।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, इन सप्लीमेंटरीज के मुतालिक जो आम बहस आज हुई उसमें एक बात कई साहबों ने फरमाई और वह बिल्कुल सही है, और मुझको उससे इत्तफाक है। और सिर्फ इत्तफाक ही नहीं है बल्कि मैं इस राज्य के फाइनेन्स का काम करने में उस पर अमल करता हूं। यह मुमकिन है कि किसी वक्त किसी आदमी से बावजूद अमल के कोई फरोगुजाश्तगी हो जाय, कोई कमी रह जाय, वह बात यह है कि सप्लीमेन्टरी उन उसूलों और सिद्धान्तों के अनुसार लाना चाहिये जो उनके लिये मुकर्रर हैं। मैंने इस साल भी इस बात की बहुत छानबीन की है, और यह तो मैं ठीक से नहीं कह सकता कि कितने, लेकिन यह बतला सकता हूं कि गालिबन सैकड़ों की तादाद में मैंने सप्लीमेटरीज़ को मंजूर नहीं किया, इसलिये कि मेरी जांच में वह उन उसूलों पर उतरे नहीं।

एक तो मैंने यह अर्ज किया कि कुछ भूल हो सकती है इंसान से और दूसरी बात और भी है की एक जिनुइन और सही राय का इख्तलाफ भी हो सकता है कि मैं एक मसले को देखकर कहूं कि इसके लिये सप्लीमेंटरी लाना बिल्कुल ठीक है और दूसरा शख्स उसी को देखकर दूसरी राय कायम करे, यह भी हो सकता है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जो बहस हुई उसमें से किसी विशेष अनुदान की बाबत तो मुझको यह नहीं मालूम हुआ कि यह कहा गया हो कि यह उसूल के बाहर है। लेकिन अगर कोई है तो मैं यह अर्ज करुंगा कि उस पर गालिबन इख्तलाफ राय हो सकती है और उस पर दो रायें कायम की जा सकती होंगी। और दूसरी वजह यह भी है कि इन अनुपूरक अनुदानों को लाने के संबंध में जो उसूल और जो सिद्धान्त अब तक बरते गये हैं, उनकी निस्बत एक सवाल पैदा होता है कि आज इस जमाने में जब हमें अपने देश की उन्नति और उसका विकास करना है और उसको जल्द से जल्द करना है, कम से कम वक्त के अन्दर करना है कि आया एक ऐसी स्कीम या एक ऐसा काम, जिसकी निस्बत, जिसकी बाबत दो रायें नहीं हो सकती हैं कि देश के फायदे का काम है और उसके लिये बजट में रुपया न हो और साल के आधे जमाने में या आखिर में वह सामने आये तो उसको उस वक्त किया जाय तो मैं समझता हूं कि मैं इस पर अमल करता हूं। इसकी बहस मैं नहीं करूंगा, और अगर कोई साहब खास तौर से इस मसले पर गुफ्तगू करना चाहेंगे तो मैं तैयार होऊंगा कि इसको कानून और संविधान के लिहाज से बतला सकू कि जिस तरह से मैं कहता हूं, मेरे नजदीक इस काम को करने का हमारे संविधान में गुंजायश है। हम चाहते तो उन कामों को जिनको आमतौर पर अगले साल के लिये शुरू करने के लिये स्थगित किया जा सकता था उनको हम इस वक्त शुरू कर देते, मई में शुरू कर देते, अगस्त या अक्टूबर में शुरू कर देते या मार्च मे शुरू करने की जरूरत हो तो मार्च में शुरू कर दें।

तो उसकी निस्बत मैंने अर्ज किया कि अगर उनको कायल करना है तो मुझे कायल करें, मैं उसके लिये तैयार हो ऊंगा कि मुझ को बतलाया जाय कि फलां अनुदान इसमें ऐसा है कि जो किसी तरीके से भी इन उसूलो को अंदर नहीं आता है। मैं उसको मान लूंगा और जहां मैंने यह कहा कि मैं उस पर अमल करता हूं वहां यह भी अर्ज करूंगा कि कम से कम जब तक यह काम मेरे पास रहेगा मैं इन उसूलों को नहीं छोड़ूंगा सिवाय उस बात के कि मैं इसका लिहाज रखूंगा कि मुल्क के विकास के किसी काम में किसी किस्म का उससे सदमा और धक्का न पहुचेगा।

थोड़ा है यह कंटिजेन्सी फंड और कुछ इसकी इबारत, उसके माने सही नहीं समझे गये। जिन्होंने वह पढ़ कर सुनाया वह मेरे साथ बैठ कर पढें तो मैं उनको समझा सकता हू कि जो उनके दिमाग में है वह सही नहीं है, गलत है। मैं इस बड़े हाउस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में उसको गलत कहता हूं, उसी मेज़ पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस की रोशनी में, जिस माने में उसको पढ़ना चाहिये था उसको नहीं पढ़ा गया।

मकानात खरीदे जाय या न खरीदे जाय,इसके लिये मेरे नज़दीक तो मुनासिब बात यह हो सकती है कि कोई हार्ड ऐन्ड फास्ट तरीका नहीं होना चाहिये। दोनों सूरतें पेश आ सकती है किसी मकान को खरीदने में। किसी वक्त बमुकाबिले किसी दूसरे मकान के बनाने के, किराये पर लेने में ही नफा समझा जाया पहले जमाने की बात तो यह थी और जो एक मुस्तकिल उसूल दुनिया ने समझा है हमेशा, वह यह है कि किराये के मकानों में रहने के बजाय अगर किसी को साल भर रहना है, ६ महीने रहना है,दो साल रहना है, या चार साल रहना है तब तो दूसरी बात है, वरना जिनको मुस्तकिल मकानों में रहना है उनके लिये किराये के मकान में रहने के बजाय इकोनामिक यही है कि वह मकान बना कर के रहे या मकान खरीद करके रहें। यह किसी तरीके से भी अनइकोनामिक नहीं हो सकता है। जहांतक इस मकान के मुताल्लिक कहा गया, उस मकान को मेरे दोस्त ने देखा नहीं है ,शायद मेरे ख्याल मे ऐसा है।

एक सदस्य---देखा है।

श्री हाफिज मुहम्मद इबाहीम---सारी इमारतें जो उसमें हैं वह शायद उन्होंने नहीं देखी होगी चूंकि उनकी राय यह थी कि उसमें एकोमोडेशन कितना है, उसे तकरीर में यह कहा गया, तो इसलिये मैंने यही समझा कि अगर उन्होंने देखा भी है तो वह न देखे के बराबर हो गया। इसलिये कि जब याद ही नहीं तो देखना या न देखना बराबर है। तो मैं उनसे यह दरख्वास्त करूंगा कि वे उसे फिर देखें। फिर यह भी है कि उस पर मुझे इतना इस रार नहीं है कि मैं उनकी बात को न मानूं। मेरी राय सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम राय तो इस सदन की है और चाहे वह कैसी ही हो मेरे लिये वह इज्जत और अहतराम के काबिल है। मुझे उसकी पूरी पाबन्दी करनी है। इस हाउस के अन्दर जो सिस्टम इस समय है जो हमारी आंखों के सामने है इसे बदलने का वास्ता है, इसकी निस्बत में अर्ज करूगा कि इस इमारत का बनना तो पहले शुरू हुआ था, लेकिन सन् २८ से इसमें यहां की उस समय की काउन्सिल की बैठक शुरू हुई। इसकी एकांस्टिक इतनी खराब हो सकती है कि यहां एक आदमी बोल रहा है ,मैं यहां बोल रहा हू और मेरे भाई जो वहां बैठे हैं वह उसे ठीक से समझते सुनते नहीं हैं। मुझे याद है कि मैंने उसके ऊपर जब आलोचना की तो उसमें मैंने यह कहा कि मुझे ताज्जुब है कि एक मकान इसलिये बनाया है कि वहां एक आदमी दूसरे की बात सुने और वह मकान ऐसा बन जाय कि वहां एक दूसरे की बात काई न सुन सके। ये मेरे अलफाज आपकी अलमारियां में यहां के रेकार्ड में मौजूद होंगे। जो इस वक्त सिस्टम है वह यह है कि मैं पूरे तौर से किसी मेम्बर साहेब के अलफाज को सुन नहीं सकता हूं। मैं नहीं जानता कि और मेम्बर साहेबान कैच कर सकते हैं या नहीं? इसकी गूंज भी इस किस्म की है कि वह तमाम अलफाज को गड़बड़ करके कान। तक पहुंचाती है और समझ में नहीं आता है कि पूरे तौर पर किसी मेम्बर साहेब ने क्या कहा ? ये भाई जो कि मेरे पास यहां बैठते हैं कितनी बार में उनसे कहता हू कि इन्होंने क्या कहा ? आपने समझा हो तो मुझे बता दीजिये ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। अगर मेरा यह कहना गलत है तो इस इम्प्रूवमेन्ट की, जो इसमें रखी गई है कोई जरूरत नहीं है। मैंने पार्लियामेन्ट का इसके बारे में जो इन्तजाम है वह देखा है, और और साहेबान ने भी देखा होगा। वहां कोई आदमी जिस जगह चाहे खडा हो कर बोल सकता है और उसकी आवाज सब अच्छी तरह से सुन और समझ सकते हैं। यह बात स्पीकर साहेब के इल्म में है और उन्हान इस बात की कोशिश की है और उनके पहले भी स्पीकर साहेबान बराबर इस बात की कोशिश करते रहे थे, कि कोई इन्तजाम ऐसा हो कि यहां की आवाज खराब होने का किस्सा

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जाता रहे और ठीक तरह से एक आदमी दूसरे की बात सुन सके। इसके एकस्टिक्स को ठीक करने की कोशिश बराबर जारी रही कि यह सुनने या ठीक तरह से पूरे तौर पर किसी की बात को न सुनने की दिक्कत दूर हो जाय। स्पीकर साहेब की फाइलों में इसके मुताल्लिक बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। क्या क्या कार्यवाही की गयी और किस किस वक्त क्या क्या हुआ? बिल-आखिर यह समझ में आया कि पार्लियामेन्ट में जो इन्तजाम है वह यहां भी कर दिया जाय। लिहाजा वह इस वक्त यहां रक्खा गया है। अब सवाल यह आता है कि उसको सप्लीमेंटरी में क्यों रक्खा गया है? इसलिये कि रुपया इस साल देना है और इसलिये जरूरत महसूस हुई कि लेजिस्लेचर से उसकी मंजूरी ले ली जाय। अगर सदन को यह काम कराना है और रुपया देना मजूर है तो उसको दे दिया जायगा और आगे वह काम हो जायगा। लेकिन अगर वह इस काम की मजूरी नहीं देता तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। तो जैसा मैंने अर्ज किया, चाहे कोई मिनिस्टर हो या और कोई हो वह लेजिस्लेचर से बालातर नहीं हो सकता। आप तो वह हैं जिनको लोगों ने अपनी वोटों से चुनकर भेजा है, और इसलिये भेजा है कि आप उनका काम करने के लिये सबसे बहतर हैं। मैं समझता हू कि जब यह अनुदान अलहैदा-अलहैदा पेश होंगे उस वक्त तक आप सब मेम्बरान अपनी अपनी राय कायम कर लेंगे। अगर मेम्बरान की राय यह हो कि हमें यह काम इस समय नहीं करना चाहिये तो हमें इसके बारें में भी कोई ऐतराज नहीं है।

अब मैं यह बताऊं कि जिस तरह से यह रक्खा गया है उसमें चाल चलने की कोई बात नहीं है। क्लेवरनैस अगर इस्तेमाल करते तो जरा घटिया सी बात हो जाती, इसलिये उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर इसमें थोड़ी सी क्लेवरनैस इस्तेमाल कर दी जाती, जैसा कि पुराने जमाने के फाइनेन्स मिनिस्टर्स किया करते थे, तो गालिबन वह क्रिटिसिज्म जो यहां हुई है वह न होती। मुलाहिजा फरमाइये—यह जो ११,२०,९१,४०० रुपया इसमें मांगा गया है उसके लिये इसमें लिखा हुआ है कि राजस्व से ४,३६,१९,४०० रुपया खर्च होगा। अब उसमें जो रुपया गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से आयेगा उसको निकाल कर हमें सिर्फ १,८४,००० रुपया लगाना है। तो इसके मानी है कि ११ करोड़ में से आधे से कम का यह खर्चा होगा। अब इसमें दूसरी रकम ३,४०,३७,३०० रुपये की दिखायी गयी है जो केपीटल एकाउन्टस से खर्च होगी। यह केपीटल का खर्चा क्या है? यह सिर्फ स्टेट ट्रेडिंग का खर्चा है, यानी प्राइस सपोर्ट पालिसी जो यहां चलाई गयी उसके सिलसिले में यह रुपया है। इसमें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने २५८ लाख रुपये की रकम आपके पास लगा रक्खी है आपके खर्च करने के वास्ते, यह रकम भी गयी। अब उसके बाद ३,५४,३४,७०० रुपये की रकम है। उसके ऊपर भी फतवा दे दीजिये कि वह काम भी किया जाय या नहीं। दूसरी प्लान आ रही है और हर एक का कहना यह है कि रोजगार बढाये जायं, उद्योग धंधे बढाये जाय। छोटी इडस्ट्रीज बढाई जाय और बड़ी इंडस्ट्रीज बाढ़ाई जाय, तो मालूम नहीं कि हमने बेवकूफी की या हमारी राय सही रही कि हमने यह कोशिश की कि दुनिया में कोई ऐसा खुदा का बंदा मिले जो सूबे में बड़ी इंडस्ट्रीज को जारी करे। कोई सोडा ऐश की इंडस्ट्री या बिजली की चीजों की इंडस्ट्री कायम करे तो इस गुफ्तगू से यह बात निकली कि हमें उसके लिये उनकी पैसे की मदद भी करनी होगी और वह इसलिये कि वह उस रुपये को हमारे यहां लगा दें। उसमें यह ३ करोड़ ५४ लाख और कुछ रुपया जो है वह कर्ज के तौर पर दिया जाने वाला है और उनको दिया जाने वाला है जो लोग हमारे यहां बड़े उद्योग लगायेंगे। मैं नहीं जानता कि अगर यह बात बुरी हो तो जरूर इसको नामंजूर किया जाय। यह ३ करोड़ ५४ लाख निकाल दिया जाय और स्टेट ट्रेडिंग का वह २ करोड़ के करीब जो रुपया है वह निकाल दिया जाय और जो बाकी रुपया

बाकी रहा जाता है वही वाकई तौर पर आप से खर्च करने को इस वक्त मांगा जा रहा है, इससे ज्यादा ग्रह है नहीं। उसके ऊपर इतनी बड़ी-बड़ी बातें और उसूल मैंने सुन लिये, आखीर उन उसूलों में वाकई मानों में कोई इन्सान हो तो उसकी नजर पहुंच नहीं सकती। मैं एक बात अर्ज कर दूं, इसमें कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो खास जगहों की हैं। उनके बारे में कोई साहब चाहें तो उनको फिर दोहरा लें इस हाउस के सामने और जब दूसरा बजट आये तो उस चीज के मुताल्लिक अपनी राय दे लें और अपनी-अपनी शिकायत कर लें। आज उनकी कोई खास जगह नहीं थी, इसी खयाल से मैं उसका जवाब भी नहीं देता हूं, जिस आनरेबिल मिनिस्टर से वह मुताल्लिक चीज होंगी वह उसका जवाब ठीक दे देंगे। मैं अपनी तरफ से अगर दे भी दूं तो मुमकिन है कि मैं किसी बात के लिये इन्कार कर दूं और वह ठीक समझें तो उनकी बात मान लें, इसलिये मैं किसी का रास्ता बन्द नहीं करता, वह बजट के वक्त अपनी मांग करें और डिपार्टमेंट से अपना काम करा लें।

एक बात मेरी समझ में नहीं आयी। एक साहब को मैंने खूबसूरती पर ताना कसते हुए सुना। जो तकरीर हो रही थी उसमें उन्होंने खूबसूरती के ऊपर ताना किया। क्या खूबसूरती को किसी जगह पर लाना, कहीं लॉन लगाना या फुलवाड़ी लगाना और इस तरह से जरा हराभरा रख कर ठीक करना क्या बड़ा भारी इल्जाम है? मैं अर्ज करूं कि जहां के वह साहब रहने वाले हैं जिन्होंने खूबसूरती पर तन्ज किया है, मैंने वहां उन्हीं के यहां यह देखा है पहाड़ पर कि उन बेचारों का जरा सा घर है और उसमें वह मय अपनी फेमिली के रहते हैं, फिर भी वह उस छोटे से घर के आगे कुछ फूल गेंदे वगैरा के या और पेड़ लगा कर रखते हैं। लेकिन फिर भी न मालूम क्यों उनको नफरत है खूबसूरती से। मेरे नजदीक यह सीरियसली सोचने की बात है। और आखिर जो इस बीसवीं सदी में, जिस वक्त कि हिन्दुस्तान का दरवाजा हर एक खटखटाने लगा और यहां बादशाह, बड़े-बड़े वजीरआजम और वजीर आयें और उन जगहों पर जायें और देखें और अगर आप उनसे कहें कि एक ऊंचे दरजे के इन्सानों की तरह से वे यहां रहें तो इसमें क्या हर्ज है, और क्यों उन चीजों पर पैसा खर्च किया जाय। करोड़ों रुपया नहीं चार पांच लाख रुपया इस काम के ऊपर अगर इस स्टेट के अन्दर खर्च हो जाय तो क्या गुरेज है?

गवर्नर साहब की गाड़ियों की बाबत कहा गया तो क्या गुनाह हुआ? गवर्नर गरीब ने गाड़ियां खरीद लीं और इसलिये कि परसों शाह ईरान तशरीफ लाने वाले हैं। वे आकर ठहरेंगे। कितने आदमी उनके साथ हैं आपको मालूम है। ६२ या ६३ आदमी हैं, मुख्तलिफ दरजों के, कोई उनमें वजीर भी होगा और कोई और दरजे के आदमी होंगे। अब क्या यह स्टाफ कार जो सरकार की दौड़ती फिरती है वह उन बादशाह के लिये दे दी जायं तो वह बादशाह क्या इम्प्रेशन ले कर जायेंगे कि कैसे ये इन्सान हैं, न इनमें सभ्यता है, न तहजीब है, न इनके अन्दर कोई शाइस्तगी है और न ये आज कल की दुनिया की शान को समझते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस क़िस्म के ख्यालात की गुंजायश क्या है? यह तो मेरे नजदीक सोचने की बात है कि हमारे ऐसे मुकामों पर, जैसे कि आगरा का सरकिट हाउस है, उसमें दुनिया के बड़े-बड़े आदमी आते हैं, बुल्गानिन साहब आये, बादशाह सऊदी अरब आये थे और अब यह आये हैं वे भी जा रहे हैं, तो क्या जो सरकिट हाउस की खूबसूरती है उसको भी खत्म कर दें। जो खूबसूरती उनकी बनी हुई है उसको भी मत रखें। तो मैं नहीं समझता कि इसको रखने में कोई एतराज हो सकता है। एतराज नहीं होना चाहिये।

एक बात कोआपरेटिव्ज की बाबत मेरे दोस्त उपाध्याय जी ने, जिनकी तकरीर मेरे नजदीक बहुत अच्छी थी, कही है। मैं उनसे अर्ज करता हूं कि मैं खुद इस बात को मानता हूं कि इस डिपार्टमेंट पर फिर से निगाह डालने की जरूरत है। लिहाजा मैं उनसे बरख्वास्त करता हूं कि वह मुझको बतलावें, अपना मशवरा दें, मैं उस काम को करूंगा और उसकी हालत को बेहतर बनाऊंगा। जहां इस किस्म की कमियां हों उनको दूर करने की कोशिश करूंगा और मैं उनका बहुत मशकूर हूंगा।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

एक बात या तो मैं गलत समझा हूं या यह कही गयी है कि काटेज इंडस्ट्री, स्माल स्केल इंडस्ट्री और विलेज इंडस्ट्री इनको तो किया जाय और हेवी इंडस्ट्रीज को न किया जाय। किसी साहब ने यह राय जाहिर की है, और अगर की है तो वह राय तो मैं इतना ही समझता हूं कि मेरे नजदीक ठीक नहीं है। हमारा जो काम है देखिये। यह जो अनुदान है इसमें से छांटिये कि अगला जो प्लान है और जो प्लान अगली अप्रैल से शुरू होने वाला है दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कितना कम रक्खे गये हैं, तैयारी के लिये जो इन अनुदानों के अन्दर हैं। तो उनमें जो काम हमको करने हैं उनमें एक काम मिनजुमला यह है स्माल स्केलइंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, काटेज इंडस्ट्रीज इनको खूब बढ़ाना है, जितना भी बढ़ाया जा सकता हो। जितना पैसा यह हाउस मंजूर करेगा सब का सब उस पर लगायेंगे लेकिन साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहां बड़ी इंडस्ट्रीज भी खुलें।

जहां तक बिजली का वास्ता है बिजली की निस्बत उपाध्याय जी ने जो फरमाया वहां के जो रहने वाले हैं मेरे नजदीक वहीं की हालत नहीं है बल्कि दूसरी जगहों की हालत भी सोचने के काबिल है कि वहां क्या करना है? वह यह कि बिजली हमने बनाई। शहरों और कस्बों में चली गई। कुछ गांव ऐसे हुए जहां अच्छे स्टेट्स के आदमी रहते हों उसमें चली गई, लेकिन जो छोटे छोटे गांव हैं जहां ४००, ५०० , ४० या ५० आदमी रहते हों, जहां छप्पर के घर हों उनके अन्दर बिजली को किस प्रकार से पहुंचाया जाय? उन गांवों में बिजली पहुंचाने का खर्चा जो हो उसको देखते हुये बिजली उस क़ीमत पर बेची जाय जिस कीमत पर वह बिकनी चाहिये, तो जो वहां के रहने वाले हैं तो उनके काबू से यकीनन बाहर की बात है उनको खरीदना। यह सवाल गवर्नमेंट आफ इंडिया में उठाया गया। वहां यह बात चली कि इसको सब्सीडाइज़ करने की जरूरत है। वहां कोई फैसला नहीं होगा, लेकिन मैंने इसलिये अर्ज कर दिया क्योंकि आपने अपनी तकरीर में फरमाया था। यह बात पहले से हमारे दिमाग़ में थी। उसको हमने चला रक्खा था और उनसे इस मसले पर गुफ्तगू और बहस हुई है और इस बात की कोशिश है कि उन जगहों पर बिजली को सब्सीडाइज कर के पहुंचाया जाय। इस बात का जवाब मेरे नजदीक अब उनको मिल गया होगा।

एक फौज के ट्यूबवेल का जिक्र किया गया। कब वह ट्यूबवेल बनाया गया। सन् ४४ में। पता नहीं कहां वह छिपा पड़ा था? आज हमारे छतरमंजिल के आसपास खुदाई हो रही है। वहां सुरंग निकल रही है। वह सुरंग उस समय बनी होगी जिस समय छतरमंजिल बनी थी, लेकिन हमको आज जिस वक्त उसकी खुदाई हुई तब पता चला और तब वह निकल रही है। तो वह जो कम्बख्त फौज का ट्यूबवेल था कानपुर में जिसका किस्सा आप के सामने आया वह डिफेन्स, डिपार्टमेंट ने सन् १९४४ में बनवाया था। तो इससे पहले जब उसकी खबर न हो तब कब आता वह? मैं उसे कब लाता। सन ४६ में लाता?

श्री नारायणदत्त तिवारी---इतने बेखबर आप न रहें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बेखबर मैं क्यों होता? मुझे अपने कामों की खबर है। दूसरे के कामों से क्या मतलब? यह बात ऐसी नहीं थी जिसको इस सिलसिले में, इतनी बड़ी बातों के बीच में जो बड़े-बड़े उसूलों से सम्बन्ध रखती हों, लाया जाता उनको कहना नहीं चाहिये।

एक बात की शिकायत की गई है कि साहब रुपया पहले खर्च कर लिया और खर्च कर लेते हैं, बाद को हमसे यहां इजाजत मांगते हैं, लेजिस्लेचर की मंजूरी मांगते हैं। अगर हम यह न करें, ऐसा कहा गया कि नहीं करना चाहिए। हम खर्च करते नहीं हैं ,हम सिर्फ उस सूरत में खर्च करते हैं जिस वक्त हम यह देखते हैं कि आज इस खर्च की जरूरत ऐसी है कि इसको अगर नहीं किया गया तो इससे नुक्सान होने वाला है। लिहाजा इसको खर्च

करो। उसके लिये कंटिजेंसी फंड रखा है। कंटिजेंसी फंड इसलिये है कि बगैर लेजिस्लेचर की मंजूरी लिए हुए, गवर्नमेंट उस कंटिजेंसी फंड से रुपया लेकर उस जरूरत के ऊपर रुपया खर्च कर देगी और बाद को सप्लीमेंटरी में उसको लाया जायगा और लेजिस्लेचर के सामने रखा जायगा कि साहब इतना रुपया कंटिजेंसी फंड से ऐसे-ऐसे खर्च हुआ? कंटिजेसी फंड का रुपया ऐसा खजाना है जिसमें कमी नहीं होती। यह ऐसा फंड है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका नाम है कंटिजेंसी फंड। कैसे? जितना रुपया कंटिजेंसी फंड का खर्च हुआ, इसमें लिखा है वह परसों को जब यह मंजूर हो जायगा कंसालिडेटेड फंड से निकल कर इसमें चला जायगा। तो जितना रुपया कंटिजेंसी फंड से जिस साल खर्च होता है उसका भार कंसालिडेटेड फंड पर पड़ता है। कंटिजेंसी फंड पूरा का पूरा हमेंशा रहता है, उसमें कभी कमी नहीं होती। चार करोड़ रुपया हम उसके अन्दर रखते हैं। उससे ज्यादा रुपया रखने की जरूरत हो, मुझको तो अब तक कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। मेरे दोस्त ने पिछले साल भी अपनी तक़रीर में कहा था कि कंटिजेंसी फंड की रक़म को बढ़ाया जाय। मैं समझता हूं कि उसके बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी वक्त इत्तफाक से हो भी तो उस वक्त देखा जायगा। इस वक्त इस काम को करने की क्या जरूरत है।

एक साहब ने यहां कहा कि साहब १२ करोड़ रुपया, और सही बात है कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट १९३७ में आयी थी इस प्रदेश में तो हमारा बारह करोड़ रुपया का बजट होता था। इसी असेम्बली में यहां बैठ कर हम १२ करोड़ रुपये का बजट पास करते थे। आज वह दिन है कि आज एक अनुदान का १२ करोड रुपया है, यह उन्होंने बतलाया। उन्होंने कहा था एतराज के सिलसिले में। मैं उसको उलट कर कहता हूं कि आओ इस प्रदेश के रहने वालो खुश हो कि तुम्हारा बजट हर साल बढ़ता जाय, तुम्हारे खर्च हर साल बढ़ते ही जायं, तुम अपने प्रदेश को ऊंचा करते जाओ। जितना बजट अब तक रहा है, अभी कहता नहीं, कल की बात है, कल की बात कल को कह दूंगा, इस वक्त नहीं कहता हूं। लेकिन यह तो बजट आप का है इसको हर साल बढ़ाना ही है, घटाना नहीं है। सुनो, जिन्दा कौम का बजट कभी घट नहीं सकता, वह हमेशा बढ़ेगा, हम उसको बढ़ायेंगे। पैदा करेंगे, पैसा लगायेंगे। अपने मुल्क की पैदावार को बढ़ायेंगे, दौलत को बढ़ायेंगे। उसको बढ़ा कर के खर्च करेंगे। इसमें कोई चिन्ता और फिक्र की बात नहीं है कि साहब ११ करोड़ रुपये का अनुदान है।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२३ फरवरी, १९५६।

पी० एस० यू० पी० ए० सी० २४१ एल० ए०—१९५६—७९६।